हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर कार्यदल की रिपोर्ट

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग
अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला–134116
हरियाणा सरकार

हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने

पर

कार्यदल की रिपोर्ट

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग
अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला–134116
हरियाणा सरकार
2021

बिक्री के लिए नहीं
केवल शासकीय उपयोग के लिए

'हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने' पर कार्यदल की रिपोर्ट

अध्यक्ष

प्रो. नरेन्द्र कुमार बिश्नोई

अर्थशास्त्र विभाग
गुरू जम्भेश्वर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार–125001

सदस्य

डॉ. मीना शर्मा
प्राध्यापक, विश्वविद्यालय व्यापार स्कूल
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़– 160012

डॉ. रोहताश
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय,
सिरसा–125055

श्री ज्ञान सिंह कम्बोज
संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), ईआरएमएयू
वित्त विभाग, हरियाणा

श्री पवन कुमार बंसल
अपर निदेशक (सेवानिवृत्त)
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा

नोडल अधिकारी

डॉ. प्रताप सिंह
परामर्शक, हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, पंचकुला

सह–नोडल अधिकारी

श्रीमती वंदना
अनुसंधान अध्येता, हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, पंचकुला

डॉ. संजय यादव, अनुसंधान अध्येता एवं प्रदीप कुमार, कंप्यूटर प्रोग्रामर ने कार्यदल की रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग और फार्मैटिंग में सहायता की।

प्रकाशक

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग
अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला–134116, हरियाणा
दूरभाषः 01722551764, फैक्सः 01722551864
ईमेल–आईडीः haryanakisanayog@gmail.com

© 2021
सर्वाधिकार हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, पंचकुला के पास सुरक्षित तथा दस्तावेज तथा दस्तावेज के किसी भी भाग का आयोग की अनुमति के बिना किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

डॉ. सुमिता मिश्रा, आईएएस

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

प्राक्कथन

हाल के वर्षों में भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि, तीव्र गति से बढ़ती हुई सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा परिचालित हुई है; तथापि, कृषि रोजगार तथा आजीविका के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय कृषि के विकास के लिए उत्प्रेरक बन गया है और इसका महत्वपूर्ण सम्पर्कों तथा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दो स्तंभों नामतः उद्योग व कृषि के बीच प्रवर्धन की दृष्टि से मुख्य सम्पर्क सूत्र बन जाने के कारण भारत के विकास में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सशक्त सम्पूरक पूर्ति संबंधी शक्तियों के साथ मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है जिससे मुख्य क्षेत्र के रूप में प्रसंस्कृत खाद्य खंड के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सृजित करने में सहायता मिली है और इससे सकल वृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि को आर्थिक जीवंतता प्रदान की जा सकती है।

हरियाणा सरकार अपनी आउटरीच नीति (आमजन तक पहुंचने वाली) तथा व्यापार संबंधी कार्यसूची और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से वृद्धि, मूल्यवर्धन और व्यापार के अवसर सृजित कर रही है, ताकि किसानों की आय में सुधार हो सके। हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, किसानों को बाजार संबंधी अवसरों से जोड़ने में सहायता प्रदान कर रहा है और ऐसा नीति, प्रौद्योगिकी, व्यापार, विपणन, वित्तकरण तथा आवश्यकताओं से संबंधित साझेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पारिस्थितिक प्रणाली पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के, कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए भारतीय कृषि व्यापार को अपनी प्राथमिक भूमिका से हटकर अपने योगदानों को बढ़ाना होगा, ताकि सामाजिक उत्थान के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखते हुए आर्थिक पूंजी को बढ़ाने की प्राथमिक भूमिका को और व्यापक बनाया जा सके।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य उन प्रमुख बाधाओं को पहचानना है जो कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में वृद्धि में बाधक हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धाओं की पहचान करना और ऐसा नीतिगत ढांचा सुधारना है जिससे कृषि एवं खाद्य उद्योग के लिए सुविधाओं का सृजन हो सके और एक कारगर बुनियादी ढांचा तैयार हो सके।

मैं कार्यदल के अध्यक्ष डॉ. एन.के. बिश्नोई, कृषि व्यापार के क्षेत्र के विशेषज्ञ हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग के अधिकारियों का यह रिपोर्ट तैयार करने तथा 'हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने' के लिए मूल्यवान सुझावों से युक्त यह उपयोगी दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए उनकी हृदय से सराहना करती हूं।

Mishra

डॉ. सुमिता मिश्रा, आईएएस

प्रो. नरेन्द्र कुमार बिश्नोई

अध्यक्ष, कार्यदल
अर्थशास्त्र विभाग
गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
हिसार–125001

आमुख

'हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने' पर कार्यदल का गठन हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, पंचकुला द्वारा किया गया था। इससे हरियाणा में कृषि उद्योगों की स्थिति की जांच करने तथा भावी क्षमता में सुधार के लिए नीतिगत उपाय सुझाने के लिए कहा गया था। कार्यदल की संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

- राज्य में कृषि उद्योगों को और सुधारने के लिए वर्तमान सहायता (निवेशों, योजनाओं, नीतियों, तकनीकी तथा बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता' के विश्लेषण के साथ–साथ राज्य में कृषि उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, ताकि कृषि उद्योगों में और सुधार के उपाय सुझाए जा सकें। हरियाणा में विपणन, प्रौद्योगिकी, श्रम, वैधानिक तथा कृषि उद्योग से संबंधित अन्य मुद्दों सहित इस विषय की समस्याओं का अध्ययन।
- हरियाणा में कृषि उद्योगों के मामले में वित्तीय सेवाओं; व्यापार सेवाओं के वाणिज्यिक दाताओं जैसे लेखाकारों, कानून से संबंधित फर्मों, मरम्मत, रखरखाव, परीक्षण, पैकेजिंग आदि सहित व्यापार में सहायता देने वाली सेवाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन।
- हरियाणा में सड़कें, परिवहन, दूर–संचार, भंडारण तथा बिजली की उपलब्धता जैसे कृषि उद्योगों से संबंधित मुद्दों से जुड़ी बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं का अध्ययन।
- हरियाणा में कृषि उद्योगों से संबंधित वैधानिक, कर, प्रोत्साहनों आदि सहित नीतिगत ढांचे का अध्ययन।
- राज्य सरकार की कृषि उद्योग नीति का विश्लेषण तथा पड़ोसी राज्यों से इसकी तुलना।
- हरियाणा में कृषि उद्योग से जुड़े मुद्दों के सम्पूर्ण परिदृश्य को लेते हुए उचित नीति की सिफारिश करना।
- निर्यात के उद्देश्य तथा वांछित नीति संबंधी सहायता के लिए कृषि उद्योगों के उन्नयनकी संभावना तलाशना।
- कृषि व्यापार के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की क्रियाविधि तैयार करना।

अपना कार्य सम्पन्न करने की दृष्टि से कार्यदल के सदस्य हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक सहायता को आभारपूर्वक ज्ञापित करते हैं। हम विशेष रूप से आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार यादव और पूर्व सदस्य सचिव डॉ. आर. एस. बाल्यान को बौद्धिक तथा प्रशासनिक, सभी प्रकार की संभावित सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हम डॉ. श्याम भास्कर, आयोग के पूर्व सदस्य तथा डॉ. आर. एस. दलाल, पूर्व सदस्य–सचिव का विभिन्न अवसरों पर सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर हम डॉ. प्रताप सिंह, परामर्शक और श्रीमती वंदना, अनुसंधान अध्येता, हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग को कार्यदल के नोडल एवं सह–नोडल अधिकारी के रूप में कारगर और प्रभावी सहायता देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं।

हम उन विभिन्न कृषि इकाइयों के स्वामियों को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने अनुभव साझा करके तथा हरियाणा में कृषि उद्योगों के समक्ष व्यापार संबंधी दशाओं की गतिकी के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

हम अपनी अन्य संबंधित संस्थाओं को विषय पर कार्य करने में सक्षम बनाने और उत्कृष्ट सहायता व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

इस संबंध में सामान्य अन्युक्ति लागू होती है।

प्रो. नरेन्द्र कुमार बिश्नोई
(अध्यक्ष)

डॉ मीना शर्मा
(सदस्य)

डॉ. रोहताश
(सदस्य)

श्री पवन कुमार बंसल
(सदस्य)

श्री ज्ञान सिंह कंबोज
(सदस्य)

डॉ. मेहर चंद

सदस्य सचिव
हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग
हरियाणा सरकार

आभार ज्ञापन

बढ़ते हुए वैश्वीकरण के साथ–साथ नई चुनौतियां उभर रही हैं जिनसे खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा योगदान करने के साथ–साथ भारत के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र की वृद्धि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा इसमें योगदान करने के लिए इन चुनौतियों से सक्रिय रूप से निपटा जाना चाहिए। हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग अपने विशिष्ट क्षेत्र के लिए कार्यदलों के माध्यम से जहां एक ओर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों के हितों को पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट स्तर पर स्थिति को ऊंचा उठानें में भी योगदान दे रहा है।

आयोग विभिन्न कार्यदलों में विशेषज्ञों के दल के माध्यम से सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखते हुए फार्म क्षेत्र में निवेशों, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकियों में सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, ताकि कुछ नीतिगत परिवर्तन लाए जा सकें या नई परियोजनाएं शुरू की जा सकें। किसानों व उत्पादक संगठनों के साथ–साथ कृषि स्टार्ट–अप के लिए प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाने, उत्पादकता और कृषि व्यापार में तेजी लाई जा सके। इस कार्यदल को सृजित करने का उद्देश्य ऐसे आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों में तेजी लाना था जिनकी इस क्षेत्र को और अधिक गतिमान और प्रतिस्पर्धी बनाने, उत्पादन, खरीद, मूल्य निर्धारण, वितरण, अप्रभावी अनुदान प्रणालियों, विनियमित घरेलू बाजारों, बुनियादी ढांचों संबंधी कमी, निम्न उत्पादकता, निम्न मूल्य वर्धन के लिए तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के साथ–साथ प्रबंधनात्मक अपेक्षाओं जैसे पहलुओं से निपटने के लिए आवश्यकता थी।

मुझे डॉ. रमेश कुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष; डॉ. आर. एस. दलाल, पूर्व सदस्य–सचिव; डॉ. आर. एस. बाल्यान, पूर्व सदस्य–सचिव और डॉ. श्याम भास्कर, पूर्व सदस्य, हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग को कार्यदल के विभिन्न कार्यों में विशिष्ट सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने में अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रो. एन. के. बिश्नोई, हरियाणा व्यापार स्कूल, गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के नेतृत्व में कार्य दल ने क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशों के साथ यह व्यावहारिक और सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से आसान रिपोर्ट विस्तृत अध्ययन के पश्चात तैयार की है। इस रिपोर्ट से नीति निर्माताओं को राज्य में कृषि व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिए वांछित परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी।

मैं कार्य दल के सदस्यों' डॉ. प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी, श्रीमती वंदना, सह–नोडल अधिकारी, डॉ. संजय यादव, अनुसंधान अध्येता तथा डॉ. गजेन्द्र सिंह (पूर्व अनुसंधान अध्येता) तथा आयोग के अन्य स्टाफ सदस्यों को उनके सराहनीय प्रयासों तथा इस उपयोगी रिपोर्ट को तैयार करने में अमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

डॉ. मेहर चंद

हरियाणा किसान आयोग
हरियाणा सरकार
अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला–134116

कार्यालय अधिसूचना

सं.: एचकेए/डब्ल्यूजी–18/2018/2414–27 **दिनांक: 23 जुलाई 2018**

अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग 'हरियाणा में कृषि व्यापार तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने' पर निम्नानुसार कार्य दल सहर्ष गठन करते हैं :

1	डॉ. नरेन्द्र कुमार बिश्नोई, प्राध्यापक, हरियाणा व्यापार विद्यालय, जीजेयूएसटी, हिसार	अध्यक्ष
2	डॉ. मीना शर्मा, प्राध्यापक, विश्वविद्यालय व्यवसाय विद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	सदस्य
3	डॉ. रोहतास, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	सदस्य
4	श्री पवन कुमार बंसल, अपर निदेशक (सेवा निवृत्त), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा	सदस्य
5	श्री ज्ञान सिंह कम्बोज, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) तथा पूर्व परामर्शक (संसाधन नियोजन), वित्त विभाग (एआरएएमयू), हरियाणा सिविल सचिवालय	सदस्य

हरियाणा किसान आयोग के अधिकारी

1	डॉ. आर.एस. दलाल, सदस्य–सचिव, हरियाणा किसान आयोग	प्रशासनिक सहायता
2	डॉ. ओम प्रकाश टोकी, परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग	नोडल अधिकारी
3	श्रीमती वंदना, अनुसंधान अध्येता, हरियाणा किसान आयोग	एसोसिएट नोडल अधिकारी

संदर्भ की शर्तें

1. राज्य में कृषि उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और राज्य/केन्द्र सरकार से कृषि उद्योगों के लिए वर्तमान सहायता (निवेश, योजनाओं, नीति, प्रौद्योगिकीय तथा बुनियादी ढांचा सहायता संबंधी) विश्लेषण करना और राज्य में कृषि उद्योगों के और सुधार के लिए उपाय सुझाना।
2. हरियाणा में कृषि उद्योगों से संबंधित विपणन, प्रौद्योगिकीय, श्रम, वैधानिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों सहित समस्याओं का अध्ययन करना।
3. हरियाणा में कृषि उद्योगों के मामले में लेखाकारों या विधि संबंधी फर्मों, मरम्मत, रखरखाव, परीक्षण, पैकेजिंग आदि जैसी व्यापार सेवाओं के वाणिज्यिक प्रदानीकरण और वित्तीय सेवाओं सहित व्यापार से संबंधित सेवाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन करना।
4. हरियाणा में कृषि उद्योगों से संबंधित सड़क, परिवहन, दूर–संचार, भंडारण और बिजली व अन्य शक्ति उपलब्धता सहित बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओ का अध्ययन करना।
5. हरियाणा में कृषि उद्योगों से संबंधित वैधानिक, कर, प्रोत्साहनों आदि सहित नीतिगत ढांचे का अध्ययन करना।
6. सरकारी कृषि उद्योग नीति का अध्ययन करना और पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना करना।
7. हरियाणा में कृषि उद्योगों से संबंधित मुद्दों के व्यापक परिदृश्य को लेते हुए सहायी नीति की सिफारिश करना।
8. निर्यात और वांछित नीति सहायता के उद्देश्य से कृषि उद्योगों के उन्नयन की संभावना तलाशना।
9. कृषि उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियाविधि या यांत्रिकी तैयार करना।

संदर्भ की अन्य शर्तें (प्रशासनिक)

1. रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सदस्य प्रत्येक 25,000/–रु. के एकमुश्त मानदेय के पात्र होंगे जबकि अध्यक्ष को एकमुश्त 50,000/–रु. मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
2. कार्य दल के सदस्यों को बैठकों में भाग लेने पर वास्तविक आधार पर केवल यात्रा भत्ता दिया जाएगा और आयोग द्वारा प्रत्येक बैठक में स्थानीय सत्कार के लिए 2000/–रु. मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
3. हरियाणा किसान आयोग के संबंधित स्टाफ को कार्य दल की सहायता के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा।
4. कार्य दल विशिष्ट बैठकों में विचार जानने हेतु एक या इससे अधिक विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी आयोग द्वारा मानदेय तथा अन्य व्यय के रूप में भुगतान किया जाएगा। ऐसा अन्य सदस्यों के लिए उनके द्वारा किसी विशेष बैठक में भाग लेने और योगदान देने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
5. बैठकें आयोजित करने व रिपोर्ट को मुद्रित करने की लागत आयोग द्वारा वहन की जाएगी।
6. कार्य दल को अपनी रिपोर्ट प्रश्रयतः इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि में प्रस्तुत करनी होगी।

RR Lalal 23.07.18.

दस्य–सचिव
हरियाणा किसान आयोग

पृष्ठांकन सं. एचकेए/डब्ल्यूजी–18/2018/2414–27

1. डॉ. नरेन्द्र कुमार बिश्नोई, प्राध्यापक, हरियाणा व्यापार विद्यालय, जीजेयूएसटी, हिसार: 09991932828, फोन : 1662-262174, ईमेल: nkbishnoi123@gmail.com
2. डॉ. मीना शर्मा, प्राध्यापक, विश्वविद्यालय व्यवसाय विद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, फोन: 09855075609, ईमेलः: sharma94mk@rediffmail.com
3. डॉ. रोहतास, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, फोनः 09896017462, ईमेलः rohtaskait@gmail.com
4. श्री पवन कुमार बंसल, फ्लैट नं. 108, सैक्टर–9, रोहिणी–110085, मोबाइलः 09780032279, ईमेलःpawanlegal57@gmail.com
5. श्री ज्ञान सिंह कम्बोज, वार्ड नं.11, गली नं.4, शिव कालोनी, मंडी रोड, रादौर, जिला यमुना नगर, हरियाणा, मोबाइलः 09896152381, ईमेलः sfc.hry@nic.in
6. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, चंडीगढ़
7. कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
8. कुलपति, जीजेयूएसटी, हिसार
9. डॉ. आर.एस. बालियान, सदस्य, हरियाणा किसान आयोग, पंचकुला
10. डॉ. श्याम भास्कर, सदस्य, हरियाणा किसान आयोग, पंचकुला
11. डॉ. ओम प्रकाश टोकी, परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग
12. श्रीमती वंदना, अनुसंधान अध्येता, हरियाणा किसान आयोग
13. अध्यक्ष के निजी सचिव, हरियाणा किसान आयोग, पंचकुला
14. लेखा अधिकारी, हरियाणा किसान आयोग, पंचकुला

विषय–सूची

विवरण			पृष्ठ
प्राक्कथन			iii
आमुख			v
आभार ज्ञापन			vii
अधिसूचना			viii
विषय–सूची			ix
सारणियों तथा चित्रों की सूची			xii
भाग 1: हरियाणा की अर्थव्यवस्था विकसित करना: ग्रामीण हरियाणा का कृषि से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रूपांतरण			**1–8**
1.1	भूमिका		1
1.2	हरियाणा: अब केवल कृषि आधारित राज्य ही नहीं रह गया है		1
1.3	अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण, कृषि में कार्य बल में गिरावट		2
1.4	ग्रामीण हरियाणा मे जनसंख्या वृद्धि का धीमे होना		3
1.5	ग्रामीण हरियाणा में गैर कृषि गतिविधियों का फलना–फूलना		4
1.6	हरियाणा में भौतिक बुनियादी ढांचा		4
1.7	हरियाणा में सामाजिक क्षेत्र		7
1.8	हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा		7
1.9	निष्कर्ष		8
भाग 2: हरियाणा कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: लाखों अवसरों की भूमि			**9–12**
2.1	हरियाणा में कृषि तथा दुग्धोत्पादन		9
2.2	हरियाणा में कृषि उपज का प्रसंस्करण		10
2.3	हरियाणा में कृषि प्रसंस्करण उद्योग का महत्व		11
2.4	निष्कर्ष		12
भाग 3: हरियाणा की खाद्य प्रसंस्करण नीति का इसके पड़ोसी राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण: जमीनी सच्चाई से कहीं दूर			**13–22**
3.1	भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति		13
3.2	पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कृषि उद्योग संबंधी नीतियां		15
3.3	राष्ट्रीय, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की डेरी और दुग्ध प्रसंस्करण नीति का अध्ययन: तुलनात्मक विश्लेषण		20
3.4	निष्कर्ष		22
भाग 4: हरियाणा में कृषि उद्योग की स्थिति, निष्पादन और दशा: ध्यान देने के लिए आह्वान			**23–70**
4.1	हरियाणा में चावल उद्योग		23
	4.1.1	खरीद एजेंसियां	24
	4.1.2	हरियाणा में चावल मिलीकरण नीति और विधियां	24
	4.1.3	हरियाणा में खरीद एजेंसियों द्वारा चावल मिलों को धान का आबंटन	24
	4.1.4	मिलीकरण शुल्क का भुगतान	24
	4.1.5	चावल, चावल के चौकर और चावल की भूसी के व्यापारी	24
	4.1.6	चावल के निर्यातक	25
	4.1.7	हरियाणा के प्रमुख जिलों में चावल मिलें	25
	4.1.8	चावल मिल मालिकों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	26
		4.1.8क मांग संबंधी शर्तें	27
		4.1.8ख कारक शर्तें	28
		4.1.8ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	28
		4.1.8घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	29

		4.1.8ड. सहायी सरकारी नीतियां	29
	4.1.9	निष्कर्ष	29
4.2	हरियाणा में आटा उद्योग		30
	4.2.1	भारत में आटा मिलों की संख्या और क्षमता	30
	4.2.2	हरियाणा में आटा मिलें	30
	4.2.3	रोलर आटा मिलें	30
	4.2.4	गेहूं आटा उद्योग का भावी परिदृश्य	32
	4.2.5	उत्पादों के लिए बाजार	32
	4.2.6	आटा मिलीकरण में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	32
		4.2.6क मांग संबंधी शर्तें	32
		4.2.6ख कारक शर्तें	35
		4.2.6ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	35
		4.2.6घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	36
		4.2.6ड. सहायी सरकारी नीतियां	36
	4.2.7	निष्कर्ष	36
4.3	हरियाणा में दाल उद्योग		37
	4.3.1	वैश्विक अवलोकन	37
	4.3.2	दालों का मिलीकरण	37
	4.3.3	विभिन्न प्रकार की दाल मिलों द्वारा किए जाने वाले प्रसंस्करण का अर्थशास्त्र	38
	4.3.4	दालों के मिलीकरण में उपोत्पादों का उपयोग	39
	4.3.5	दालों में मूल्यवर्धन	39
	4.3.6	दाल मिलीकरण प्रक्रिया	40
	4.3.7	हरियाणा में दाल मिलें	40
	4.3.8	दाल मिलीकरण में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	41
		4.3.8क मांग संबंधी शर्तें	41
		4.3.8ख कारक शर्तें	43
		4.3.8ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	43
		4.3.8घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	44
		4.3.8ड. सहायी सरकारी नीतियां	44
	4.3.9	निष्कर्ष	44
4.4	खाद्य तेल उद्योग		45
	4.4.1	वनस्पति तेलों के स्रोत	45
	4.4.2	भारत में तिलहनी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन और उपज	46
	4.4.3	वर्तमान विनियमनकारी/नीति परिदृश्य	48
	4.4.4	खाद्य तेल के क्षेत्र में चुनौतियां एवं अवसर	48
	4.4.5	रिफाइंड तेल आयात के हिस्से में वृद्धि	49
	4.4.6	हरियाणा में खाद्य तेल उद्योग	50
	4.4.7	खाद्य तेल मिलों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	51
		4.4.7क मांग संबंधी शर्तें	51
		4.4.7ख कारक शर्तें	52
		4.4.7ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	53
		4.4.7घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	53
		4.4.7ड. सहायी सरकारी नीतियां	54
	4.4.8	निष्कर्ष	54
4.5	हरियाणा में ग्वार उद्योग		54
	4.5.1	भारत में ग्वार का उत्पादन	55
	4.5.2	बाजार अवलोकन	55

	4.5.3	ग्वार निर्गम और मूल्यों में उतर–चढ़ाव	56
	4.5.4	ग्वार के बीज, ग्वार गोंद और ग्वार अवचूर्ण की आपूर्ति श्रृंखला	56
	4.5.5	ग्वार उद्योग और व्यापार से संबंधित मुद्दे	56
	4.5.6	विनिर्माण प्रक्रिया	57
	4.5.7	बाजार की प्रकृति	58
	4.5.8	भारत में ग्वार गोंद उद्योग के समक्ष मुद्दे	58
	4.5.9	व्यापार संबंधी बाधाएं	59
	4.5.10	ग्वार गोंद के प्रतिस्थापकों का विकास	59
	4.5.11	अन्य समस्याएं	59
	4.5.12	हरियाणा में ग्वार गोंद उद्योग	59
	4.5.13	ग्वार मिलीकरण में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	60
		4.5.13क मांग संबंधी शर्तें	61
		4.5.13ख कारक शर्तें	62
		4.5.13ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	62
		4.5.13घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	62
		4.5.13ड. सहायक सरकारी नीतियां	62
	4.5.14	निष्कर्ष	63
4.6	हरियाणा में डेरी क्षेत्र		63
	4.6.1	नवीनतम विकास	63
	4.6.2	हरियाण में डेरी उद्योग	64
	4.6.3	हरियाणा में डेरियों के समक्ष मुद्दे	66
	4.6.4	जटिल वैधानिक एवं नीतिगत ढांचा	66
	4.6.5	हरियाणा में प्रसंस्करण व बुनियादी ढांचा	66
	4.6.6	डेरी उद्योग में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण	67
		4.6.6क मांग संबंधी शर्तें	69
		4.6.6ख कारक शर्तें	69
		4.6.6ग फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा	69
		4.6.6घ संबंधित एवं सहायक उद्योग	70
		4.6.6ड. सहायक सरकारी नीतियां	70
	4.6.7	निष्कर्ष	70
भाग 5: भावी दिशा : उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक न रुको			**71–77**
5.1	प्रमुख निष्कर्ष		71
5.2	निम्न के संदर्भ में सिफारिशें		72
	5.2.1	नीति, नियम और विनियम	72
	5.2.2	प्रशासनिक उपाय	72
	5.2.3	भौतिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं	73
	5.2.4	सहायक सेवाओं का विकास	75
	5.2.5	कृषि उद्योगों के लिए परामर्शी सेवाओं का विकास	75
	5.2.6	क्षेत्रीय विकास, दलहनों, ग्वार बीज, सरसों व दूध पर बल देती हुई योजनाएँ	75
	5.2.7	सरसों के तेल पर विशेष ध्यान देना	76
	5.2.8	प्रमुख सिफारिशें	76
आयोजित बैठकों/प्रक्षेत्र दौरों का विवरण			**78**
कार्य दल के अध्यक्ष व सदस्यों के बारे में			**79**

सारणियों और चित्रों की सूची

सारणी	सारणियों का विवरण	पृष्ठ
1.0	स्थिरांक (2011–12) मूल्यों पर राज्य में सकल मूल्यवर्धन में वृद्धि, 2020–21 के आंकड़े	2
1.1	हरियाणा में आर्थिक गतिविधियों में कर्मियों का वितरण	3
1.2	हरियाणा की जनसंख्या (सांख्यिकीय सारांश 2019–20)	3
1.3	हरियाणा में व्यापार स्थापनाओं की स्थिति (2016)	4
1.4d	दिनांक 30.11.2020 को हरियाणा में सड़क नेटवर्क	5
1.4[k	हरियाणा में दूर–संचार का बुनियादी ढांचा (दिसम्बर 2019 को)	5
1.5	हरियाणा की शिक्षा संस्थाओं के संकेतक (2019–20)	7
1.6d	हरियाणा में चिकित्सा स्थापनाओं (एलोपेथिक) की संख्या (2019–20)	8
1.6[k	हरियाणा में चिकित्सा स्टाफ (2019–20)	8
2.1	हरियाणा–प्रमुख फसलों की उत्पादन स्थिति (2019–20)	9
2.2	कब्जे वाली भूमि के प्रत्येक आकार वर्ग के लिए प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय तथा उपभोग पर होने वाला व्ययः जुलाई 2012 – जून 2013 (एनएसएसओ इंडिया 2016)	10
2.3	खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्र और उदाहरण	10
4.1	हरियाणा में चावल मिलों की विवरणात्मक सांख्यिकी	26
4.2	भारत में आटा चक्कियों की संख्या और क्षमता (2015)	31
4.3	प्रति कि.ग्रा. गेहूं का आटा बनाने में आने वाली लागत	31
4.4	हरियाणा में आटा चक्कियों की विवरणात्मक सांख्यिकी	33
4.5	भारत में दालों का उत्पादन और उपभोग (2017–18)	38
4.6	भारत में प्रमुख दालों की खेती का क्षेत्र, उत्पादन और उपज (2017–18)	38
4.7	हरियाणा में दाल मिलों की विवरणात्मक सांख्यिकी	42
4.8	भारत के तिलहन उत्पादक राज्य	46
4.9	भारत का तिलहन उत्पादन (2017–18)	46
4.10	भारत में खाद्य तेलों का उपभोग (तेल वार) (2015–16)	47
4.10d	भारत के लिए खाद्य तेलों संबंधी आकलन (2017–18)	47
4.10[k	प्रमुख खाद्य तेलों का वैश्विक और घरेलू उत्पादन, इसके निर्यातक और आयातक (2017–18)	47
4.11	विश्व तथा भारत में प्रमुख खाद्य तेलों का उत्पादन (2018)	49
4.12	भारत में वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति (2018)	49
4.13	हरियाणा में तेल मिलों की विवरणात्मक सांख्यिकी	51
4.14	ग्वार व्युत्पन्नों की उपयोगवार वैश्विक खपत	58
4.15	हरियाणा में ग्वार मिलों की विवरणात्मक सांख्यिकी	60
4.16	दुग्ध उपयोग का पैटर्न (2017)	64
4.17	हरियाणा–कृषि तथा पशुधन में सकल मूल्य वर्धन (2020–21)	64
4.18	हरियाणा में दुग्धोत्पादन (2019–20)	65
4.19	हरियाणा में दूध की खरीद और दुग्ध संयंत्र (2019–20)	65
4.20	डेरी संयंत्रों की संख्या (2016–17)	65
4.21	हरियाणा में दूध के मूल्य वर्धित उत्पाद (वीएपी) (2016–17)	66
4.22	हरियाणा में दुग्ध उद्योगों की विवरणात्मक सांख्यिकी	67

चित्र	चित्रों का विवरण	पृष्ठ
1.0	हरियाणा–वृद्धि दर और जीएसडीपी का संघटन	2
1.1	2020–21 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर राज्य की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र–वार संघटन	3
1.2	हरियाणा में जनसंख्या (सांख्यिकीय सारांश 2019–20)	3
2	हरियाणा में चावल मिलों के आंकलन के परिणाम	26
3	हरियाणा में आटा मिलों के आंकलन के परिणाम	34
4	हरियाणा में दाल मिलों के आंकलन के परिणाम	41
5	हरियाणा में खाद्य तेल मिलों के आंकलन के परिणाम	53
6	हरियाणा में ग्वार उत्पादन (लाख टन)	55
7	हरियाणा में ग्वार मिलों के आंकलन के परिणाम	60
8	हरियाणा में दुग्ध संयंत्रों के आंकलन के परिणाम	69

भाग 1

हरियाणा की विकसित होती हुई व्यवस्था : ग्रामीण हरियाणा से कृषि का औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में रूपांतरण

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों के बीच सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आमदनी वाला राज्य है। केवल कुछ छोटे नगर राज्यों जैसे दिल्ली, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ और पुदूचेरी में हरियाणा से अधिक प्रति व्यक्ति आमदनी रिपोर्ट की गई है। हरियाणा देश के तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से भी एक है जहां 2004–05 से वृद्धि दर 8.0 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2.18 लाख रुपये थी। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में वर्ष 2018–19 में उपलब्ध सामान्य विनिमय दर पर यह 3110 अमेरिकी डॉलर थी। खरीद शक्ति समता विनिमय दरों के संदर्भ में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आमदनी 11266 अमेरिकी डॉलर थी जो पूर्वी यूरोपीय देशों, यूक्रेन की तुलना में काफी अधिक थी। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा मध्य स्तर की आर्थिक व्यवस्था में प्रवेश कर चुका है और शीघ्र ही अर्थात् निकट भविष्य में उच्च स्तर के आय की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में इसके शामिल होने की अपेक्षा है, बशर्ते कि परिवर्तन की इस अवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए।

अस्तित्व में आने के पिछले 50 वर्षों के दौरान हरियाणा अब कृषि से गैर–कृषि की अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। यहां गैर–कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 82% से अधिक है। इसके अलावा राज्य के व्यावसायिक पैटर्न में भी संरचनात्मक रूपांतरण हो रहा है और यहां की जनसंख्या कृषि क्षेत्र से हटकर गैर–कृषि संबंधी गतिविधियों में जुड़ रही है। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता 1991 में 63.05 प्रतिशत थी जो 2020 में घटकर 41.49% रह गई (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ एसटीएटी डेटाबेस)। तथापि, अर्थव्यवस्था की परिवर्तित होती हुई रूपरेखा तथा व्यवसाय संबंधी पैटर्न परिपक्व अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत हैं जहां सक्रिय कार्य बल के व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है तथा यह वर्ग उन लोगों को पीछे छोड़ रहा है जिनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। तथापि, यह देश की अर्थव्यवस्था का मौलिक क्षेत्र भी है।

1.2 हरियाणा, अब केवल कृषि आधारित राज्य नहीं रह गया है

हरियाणा में कृषि विकास की सफलता की गाथा को पहले से ही सराहा गया है। यह राज्य 1960 के दशक के अंत में देश में हरित क्रांति लाने में अग्रणी रह चुका है। वर्तमान में हरियाणा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदाता है तथा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। इस राज्य ने उद्योग तथा सेवाओं के क्षेत्र में भी समान रूप से उत्कृष्ट प्रगति की है। हरियाणा भारत के सर्वाधिक औद्योगिककृत राज्यों में से एक है और देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातकों में भी एक है। लगभग 80 प्रतिशत एस्केलेटर 57% मोटरसाइकिलें, 55% ट्रैक्टर, 52% क्रेन, 50% कारे और 33% थ्री व्हीलर और 25% व्हाइट गुड हरियाणा द्वारा उत्पन्न करके आपूर्त किए जा रहे हैं। यह तृतीयक क्षेत्र हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदाता के रूप में उभरा है।

हरियाणा में वर्ष 2005–06 और 2017–18 के बीच की अवधि के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि क्रमशः 3.3%, 8.2% और 13.1% रही (चित्र 1)। निर्माण, विनिर्माण, व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, वित्त, बीमा, ट्रांसपोर्ट और संचार जैसे उच्च रोजगार वाले क्षेत्रों की वृद्धि पिछले एक दशक के दौरान हरियाणा में अपेक्षाकृत उच्च रही है (*स्टेट ऑफ ग्रोथ 2.0, सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट 2019*)।

हरियाणा देश के प्रमुख निर्यातक के रूप में भी उभरा है। ध्यान देने योग्य है कि बीपीओ तथा साफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात इसके कुल निर्यात का लगभग आधा है। इसी प्रकार, हरियाणा द्वारा देश के बासमती चावल के कुल निर्यात में से 15 प्रतिशत भाग का निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में हरियाणा का भारत के जीडीपी में लगभग 3.63 प्रतिशत योगदान रहा। वर्ष 2011–12 और 2019–20 के बीच चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) नया जीएसडीपी 14.86 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2018–19 में राज्य का भारत के कृषि निर्यात में 7.28 प्रतिशत योगदान था। वर्ष 2018–19 में राज्य द्वारा 1,366.95 मिलियन मूल्य के प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया जो अप्रैल–दिसम्बर 2019 में बढ़कर 807.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (*स्रोतः हरियाणा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18, एपीडा*)।

विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि में हुए सुधार के परिणामस्वरूप हरियाणा की सेवा अर्थव्यवस्था का कृषि से आर्थिक क्षेत्र की ओर रूपांतरण हुआ। वर्ष 2005–06 से 2017–18 के बीच की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में जीएसडीपी के मामले में क्रमशः 23.3% और 32.7% से 18.2% और 30.6%की गिरावट आई। इस गिरावट की क्षतिपूर्ति इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र के सम्बद्ध बढ़ते हुए हिस्से से हुई जो 44.0 प्रतिशत से बढ़कर 51.2 प्रतिशत हो गया। राज्य के डीएसडीपी में कृषि के क्षेत्र के हिस्से में आने वाली गिरावट अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुसार थी।

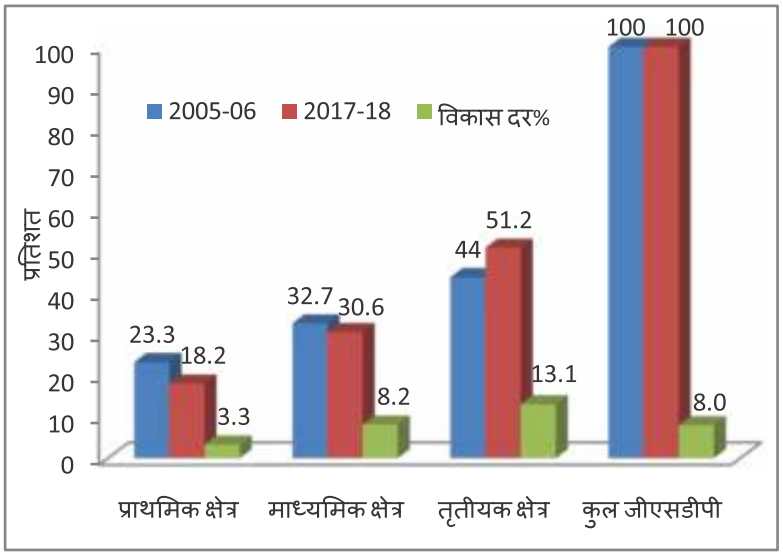

चित्र 1.0: हरियाणा–वृद्धि दर और जीएसडीपी का संघटन
स्रोतः वृद्धि की अवस्था 2.0 सीआरआईएसएच. रिपोर्ट 2019

स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धित (जीएसवीए) वृद्धि 2019–20 में 8.0% रिकॉर्ड की गई। तथापि, वर्ष 2020–21 में 5.2% की नकारात्मक वृद्धि का अनुमान लगाया गया। जीएसवीए में इस 5.2% की नकारात्मक वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 2020–21 में उद्योग क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 5.7% नकारात्मक वृद्धि थी।

सारणी 1.0: स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि

क्षेत्र	हरियाणा							सम्पूर्ण भारत
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019–20 (Q)	2020–21 (A)	2020–21 (A)
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	-2.2	3.8	7.9	7.0	5.0	5.6	4.3	3.0
उद्योग	4.7	11.4	12.9	3.5	4.9	7.8	-9.6	-8.2
सेवाएं	10.4	10.8	8.6	8.3	7.4	9.0	-5.7	-8.1
जीएसवीए	6.0	9.7	9.9	6.5	6.2	8.0	-5.2	-6.5

*Q: त्वरित आकलन,*A*: प्रगत आकलन (जीवीए– सकल मूल्य वर्धित)*
स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग, हरियाणा और एनएसओ, नई दिल्ली

1.3 अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण : कृषि कर्मिकों में गिरावट

राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या भी कम होती जा रही है। सारणी 1.1 में दर्शाए आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 1993–94 में राज्य का 57% कार्य बल कृषि में लगा हुआ था जो 2011–12 में घट कर 41% रह गया। उल्लेखनीय है कि कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या 2004–05 में थी जिसके पश्चात इसमें तेजी से गिरावट आई। वास्तव में वर्ष 2004–05 और 2009–10 के बीच लगभग 6 लाख व्यक्तियों ने कृषि का व्यवसाय छोड़ दिया (अर्थात् 1.1 लाख व्यक्ति/वर्ष) और वर्ष 2009–10 तथा 2011–12 के बीच इस प्रवृत्ति में और तेजी आई, जब लगभग 3.24 लाख व्यक्तियों ने कृषि व्यवसाय छोड़ दिया (प्रति वर्ष 1.6 लाख व्यक्ति की दर से)। यह ध्यान देने योग्य है कि कृषि छोड़कर आए सभी श्रमिकों को निर्माण के क्षेत्र में रोजगार मिला, जहां कम कौशल वाले कर्मी भी आसानी से काम पा लेते हैं।

सारणी 1.1: हरियाणा में आर्थिक गतिविधियों में श्रमिकों का विवरण

गतिविधि के क्षेत्र	वर्ष के दौरान रोजगार पाने वाले कर्मी (संख्या लाख में)				
	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10	2011-12
कृषि, वानिकी एवं मछली पालन	**36.20**	**36.25**	**45.66**	**39.93**	**36.69**
खान और खदान उद्योग	0.32	0.51	0.11	0.00	0.10
विनिर्माण	5.73	7.21	12.32	15.07	12.41
बिजली, गैस और जलापूर्ति	0.28	0.54	0.55	0.65	0.51
निर्माण	3.32	4.31	7.12	10.42	11.76
व्यापार, होटल व संचार, परिवहन व भंडारण	8.28	12.10	15.40	15.43	13.43
वित्तीय व बीमा सेवाएं	0.43	0.75	1.54	2.42	1.02
अन्य	8.72	5.92	8.17	9.77	13.62
कुल	63.27	67.58	90.87	93.69	89.52

स्रोत: एनएसएसओ रोजगार से प्राप्त आंकलन – विभिन्न राउंड में गैर रोजगार संबंधी रिपोर्ट

11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रूपांतरण की गति निरंतर बनी हुई है। पिछले समय में सेवा के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि रिकॉर्ड होने के बावजूद कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 में आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के हिस्से में 18.9 प्रतिशत का सुधार हुआ लेकिन उद्योग क्षेत्र के हिस्से में 30.2 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2020–21 में स्थिर मूल्यों पर सेवाओं के क्षेत्र का हिस्सा 50.9% रिकॉर्ड किया गया है।

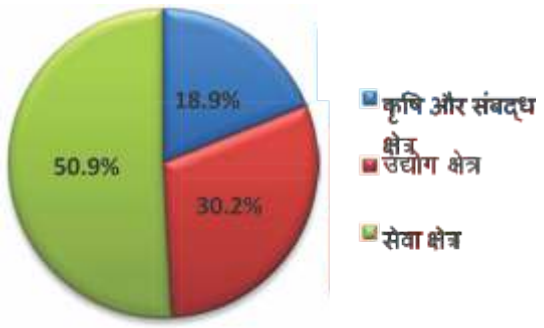

चित्र 1.1: 2020–21 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर राज्य की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र–वार संघटन

स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21

1.4 जनसंख्या वृद्धि : ग्रामीण हरियाणा में कम होती हुई

हरियाणा में बढ़ती हुई समृद्धि के कारण लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। लोगों का आकांक्षी वर्ग बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहा है। परिणामस्वरूप वर्ष 2001 और 2011 के बीच राज्य की शहरी संख्या में 45% की तीव्र वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में उसी समयावधि में ग्रामीण जनसंख्या मात्र 10 प्रतिशत बढ़ी (सारणी 1.2)। इसके अतिरिक्त राज्य की शहरी जनसंख्या का 68% से अधिक भाग एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों में रहती है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाले व्यक्ति अपनी आजीविका के उद्देश्य से अपेक्षाकृत बड़े कस्बों को पसंद करते हैं। यह विकास समृद्धि में सुधार का प्राकृतिक परिणाम है तथा आने वाले समय में इस वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है।

सारणी 1.2: हरियाणा की जनसंख्या (लाख में)

व्यवसायी	2001	2011	2001 की तुलना में वृद्धि (%)
कुल व्यक्ति	211.44	253.51	19.9
ग्रामीण	150.29	165.09	9.8
शहरी	61.15	88.42	44.6

स्रोत: सांख्यिकी सारांश हरियाणा 2019–20

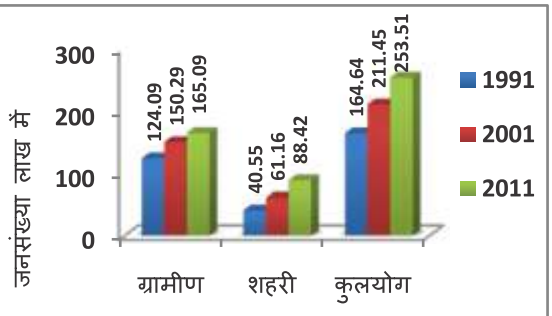

चित्र 1.2: हरियाणा में जनसंख्या

स्रोत: सांख्यिकी सारांश 2019–20

1.5 ग्रामीण हरियाणा में फलती–फूलती गैर–कृषि गतिविधियां

ग्रामीण हरियाणा में आर्थिक गतिविधियां अधिक से अधिक गैर–कृषि प्रकृति की होती जा रही हैं। वर्तमान में लगभग एक तिहाई ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए गैर–कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। हरियाणा की आर्थिक जनगणना 2013 (सारणी 1.3) से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा में लगभग 6.5 लाख स्थापनाएं (6442 गांवों में) कृषि से अलग आर्थिक गतिविधियों में सम्मलित है। जिसका अर्थ यह है कि इस राज्य में प्रति गांव लगभग 98 गैर–कृषि व्यापार संस्थाएं हैं। इन ग्रामीण स्थापनाओं या संस्थाओं में सम्मलित व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 14.65 लाख है। यह भी संकेत मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्थापना में औसतन दो से अधिक रोजगार हैं जिसका यह अर्थ है कि ग्रामीण हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग गैर–कृषि गतिविधियों में लाभदायक रोजगार पा रहे हैं। ग्रामीण व्यापार स्थापनाओं में प्रति वर्ष रोजगार की बढ़ती हुई दर (3.85%) एक अच्छा संकेत है।

सारणी 1.3: हरियाणा में व्यापार स्थापनाओं की स्थिति (लाख में)

संकेतक		ईसी–2005	ईसी–2013	वृद्धि दर
1-स्थापनाएं (लाख में)				
स्थापनाओं की संख्या	क) ग्रामीण	4.51	6.48	4.63
	ख) शहरी	3.72	5.17	4.21
	ग) संयुक्त	8.23	11.65	4.44
2.रोजगार (लाख में)				
रोजगार में लगे लोगों की संख्या	क) ग्रामीण	10.83	14.64	3.85
	ख) शहरी	10.23	17.72	7.11
	ग) संयुक्त	21.06	32.37	5.52

स्रोतः हरियाणा आर्थिक जनगणना (ईसी) 2013 सारांश रिपोर्ट 2016

यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि गैर–कृषि गतिविधियों से होने वाली प्रति व्यक्ति आय कृषि संबंधी गतिविधियों से होने वाली आय की तुलना में अधिक है। कृषि से निकलकर लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और जो स्वागत योग्य विकास है।

1.6 हरियाणा में भौतिक बुनियादी ढांचा

हरियाणा आर्थिक दृष्टि से एक बेहतर राज्य है तथा इसे अपेक्षाकृत अपने ठोस भौतिक बुनियादी ढांचे पर गर्व है। वास्तव में 1971 (काफी पहले) हरियाणा में सभी गांवों में बिजली आ गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 1995 के अंत तक हरियाणा के सभी गांवों को सड़कों से जोड दिया गया था। वर्तमान में राज्य में सड़क नेटवर्क की लंबाई 27163 कि.मी. है (सारणी 1. 4क)। हाल के वर्षों में उच्च मार्गों का विस्तार और सड़कों को चौड़ा बनाने का कार्य तीव्र गति से हुआ है। हरियाणा में 1710 कि.मी. का रेल का भी बड़ा नेटवर्क है। रेल नेटवर्क को और विस्तृत करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय रेल के साथ 'हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास कारपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसीएल)' का संयुक्त कार्यक्रम तैयार हुआ है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय विमानपतन, हरियाणा में पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी और नरनौल के नागरिक हवाई अड्डों की सेवा भी प्राप्त कर रहा है। राज्य में कुल आठ हवाई अड्डे हैं जिनमें परिचालनशील और गैर–परिचालनशील, दोनों प्रकार के हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार हिसार नागरिक हवाई अड्डे का अंतरराष्ट्रीय विमानपतन के रूप में उन्नयन करने की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण में हवाई अड्डे को घरेलू विमानपतन में पहले से ही परिवर्तित किया जा चुका है। यह विमानपतन भी 'उड़ान' की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत आता है। हिसार विमानपतन से घरेलू उड़ानें वर्ष 2020 से आरंभ हो गई हैं (स्रोतः भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, राज्य बजट 2018–19, 2017–18, 2016–17)।

क) दूरसंचार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2019 के अंत में हरियाणा में 277.95 लाख वायरलेस उपयोगकर्ता थे और 2.84 लाख वायर–लाइन उपयोगकर्ता थे। इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 160.80 लाख थी। दूर संचार घनत्व 96.99 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य की सभी 6,123 ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना के अंतर्गत ऑप्टीकल फाइबर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परिवहन नेटवर्क, बिजली की

उपलब्धता और दूर–संचार के प्रसार सहित राज्य में भौतिक बुनियादी ढांचा काफी ठोस और विस्तृत है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।

सारणी 1.4क. दिनांक 30.11.2020 को हरियाणा में सड़क नेटवर्क

सड़क नेटवर्क का प्रकार	लंबाई (कि.मी.)
राष्ट्रीय राजमार्ग	3011
राज्य के राजमार्ग	1602
जिलों की सड़कें – प्रमुख	1337
जिले की सड़कें, अन्य	21213

स्रोतः हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21)

सारणी 1.4ख. हरियाणा में दूर संचार का बुनियादी ढांचा (दिसम्बर 2019 को)

सब्सक्राइबर की श्रेणी	संख्या (लाख में)
वायरलेस	277. 95
वायर लाइन	2.84
इंटरनेट	160.80
दूर संचार घनत्व (%)	96.99

स्रोतः भारतीय दूर संचार विनियमन प्राधिकरण (टीआरएआई)

ख) बिजली क्षेत्र

बिजली, अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश है। कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यापार गतिविधियों, यहां तक कि दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी बिजली की उपलब्धता सुनिचित होनी चाहिए। हरियाणा देश के कुछ उन राज्यों में से एक है जो 1970 के दशक के आरंभ से ही बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बिजली से प्राप्त होने वाले लाभ उठा रहा है। वर्तमान में (2019–20) राज्य की कुल स्थापित बिजली सृजन की क्षमता 11,951 मेगावाट है जिसमें से निजी क्षेत्र का योगदान 4,628 मेगावाट है, राज्य की विद्युत इकाइयों का योगदान 4,032.12 मेगावाट है और शेष 2,600 मेगावाट बिजली केन्द्रीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। अप्रैल–नवम्बर 2018 के दौरान हरियाणा में ऊर्जा की कुल मांग 38,786 मिलियन यूनिट थी।

हरियाणा राज्य की मौलिक कृषि सांख्यिकी

कुल भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	44,212
कृषि योग्य क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	36,760 (83.15%)
निवल सिंचित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) (2017-18)	29,740
क) नहरों द्वारा (वर्ग कि.मी.)	11,530 (38.80%)
ख) नलकूप द्वारा (वर्ग कि.मी.)	18,210 (61.20%)
नलकूपों की संख्या (2017-18)	847750
क) डीज़ल नलकूप	297616
ख) बिजली से चलने वाले नलकूप	550134

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

ग) सिंचाई

हरियाणा में सिंचाई का गहन नेटवर्क है जिसमें 59 मुख्य नहरें शामिल हैं जिनकी लंबाई 1498.69 कि.मी. है। द्रोणियों (डिस्ट्रिब्यूट्री) तथा गौण नहरों की संख्या 1326 है जिनकी कुल लंबाई 12328.10 कि.मी. है। इसके अलावा लिफ्ट योजनाओं के अंतर्गत 200 नलकूप उपग्रह स्थापित किए गए हैं। हरियाणा के कुल 4.42 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 3.82 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य है जिसमें से 2.97 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में निम्न नहर प्रणालियों के अंतर्गत कुल 14370 कि.मी. लंबे नहर नेटवर्क से सिंचाई की जाती है।

- भाखड़ा नहर से हरियाणा के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी मैदानों में 1.28 मिलियन हैक्टेयर में सीसीए (कृषि योग्य कमान क्षेत्र) आता है।
- पश्चिमी यमुना नहर प्रणालियों के अंतर्गत हरियाणा के उत्तर–पूर्वी तथा मध्य भागों में 1.00 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है।
- हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भागों में 0.12 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में गुड़गांव नहर तथा आगरा नहर प्रणालियां आती हैं।

- राजस्थान की सीमा से लगे हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों में 0.57 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में लिफ्ट नहर प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य कमान क्षेत्र है।

घ) जलापूर्ति और मल–जल प्रणाली

प्रमुख शहरों में जल की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 70 से 155 लीटर/दिन है। कस्बों में औसत प्रति व्यक्ति आपूर्ति 117 लीटर/दिन है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरों को वर्ष 2015 से 2021 के बीच प्रति दिन 135 लीटर प्रति व्यक्ति जलापूर्ति की योजना बनाई गई है। मल–जल या सीवर के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत 78 कस्बों में 5 प्रतिशत से 95 प्रतिशत है। जल की दैनिक आवश्यकता 2394 प्रति दिन लाखों लीटर अनुमानित की गई है जो 34757055 जनसंख्या के लिए है।

शहरी क्षेत्र	
➢ 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक जलापूर्ति की स्थिति वाले कस्बों की संख्या	31
➢ 110–135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक जलापूर्ति की स्थिति वाले कस्बों की संख्या	25
➢ 70–110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक जलापूर्ति की स्थिति वाले कस्बों की संख्या	22
➢ कुल कस्बे	78
मल–जल	
➢ उन कस्बों की संख्या जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में मल–जल प्रणाली है	53
➢ उन कस्बों की संख्या जहां 50 प्रतिशत से कम क्षेत्र में मल–जल प्रणाली है	21
➢ उन कस्बों की संख्या जहां मल–जल प्रणाली नहीं है	4
➢ कुल कस्बे	78

*जलापूर्ति के स्तर का तात्पर्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन जनसंख्या को उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की वास्तविक मात्रा है।

स्रोतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा

ङ) अपशिष्ट तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन

हरियाणा में जलापूर्ति नहर प्रणाली के नेटवर्क और भू–जल के माध्यम से की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, दादरी, जींद और झज्जर को जलापूर्ति करती है, जबकि भाखड़ा की मुख्य नहर से हिसार और सिरसा जिलों को जलापूर्ति होती है। गुड़गांव, पानीपत और फरीदाबाद में भू–जल का स्तर गिर रहा है, जबकि रेवाड़ी में भूजल के तल में उठान देखा गया है। यद्यपि यहां का भूजल का तल राज्य में सबसे गहरा है। वर्तमान में, अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित जल झरनों, तालाबों, नालियों या अन्य गड्ढों में जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जल स्रोतों का प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त जिस जल का उपयोग नहीं होता है वह भी रिसकर जमीन के नीचे पहुंच जाता है जिससे भूजल दूषित होता है और इस प्रकार, इससे जन–स्वास्थ्य को बहुत खतरा उत्पन्न हो जाता है।

घग्गर नदी के प्रग्रहण क्षेत्र में कुल 59 एसटीपी (मलजल उपचार संयंत्र) स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 514.25 एमएलडी (प्रति दिन लाख लीटर) है। यमुना नदी के प्रग्रहण क्षेत्र में कुल 58 एसटीपी स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 1064.7 एमएलडी है। 35 एसटीपी जो 224.5 एमएलडी की क्षमता के हैं, अन्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जो नदियों के प्रग्रहण क्षेत्र में नहीं आते हैं। राज्य में वर्तमान में कुल 3 केन्द्रीकृत कचरे से कम्पोस्ट बनाने (डब्ल्यूटीसी) के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं हैं जो इस प्रकार हैंः रोहतक में 150 टीपीडी (टन प्रति दिन), सिरसा में 50 टीपीडी और करनाल में 150 टीपीडी। इनके अतिरिक्त फरीदाबाद, पंचकुला और रदौर में तीन जैव–मैथीनेशन सुविधाएं कार्यशील हैं तथा करनाल में एक बायो–सीएनजी संयंत्र कार्य कर रहा है। विभिन्न एमसी में 1800 कम्पोस्ट गड्ढे हैं और बागवानी से प्राप्त होने वाले कचरे के लिए 1466 गड्ढे उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 12 कम्पोस्ट गड्ढे और हैं। साथ ही घर में कम्पोस्ट तैयार करने हेतु परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 घरेलू गड्ढे तैयार किए गए हैं। सूखे कचरे को प्रसंस्कृत करने के लिए 395 सामग्री प्राप्त सुविधाएं (एमआरएफ) भी 39 नगर पालिकाओं में तैयार की गई हैं (स्रोतः हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल)।

1.7 हरियाणा का सामाजिक ढांचा

हरियाणा में सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों का आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त हुई उपब्धियों से कोई मेल नहीं है। लिंग अनुपात समाज में महिलाओं के सकल कल्याण का सूचक है जो इस राज्य में बहुत कम (879) है जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसका राष्ट्रीय औसत 940 है। अब लिंग समानता के महत्वपूर्ण संकेतक के मामले में हरियाणा में वर्ष 2020 में 922 बालिकाओं ने जन्म लिया जबकि इसकी तुलना में 1000 बालकों का जन्म हुआ। इसी प्रकार, वर्ष 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का स्तर 75.55 प्रतिशत था। इनमें से साक्षर पुरुषों की संख्या 84. 06 प्रतिशत थी, जबकि केवल 65.94 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं। वर्ष 2001 में हरियाणा में साक्षरता की दर 67.91 प्रतिशत थी, जिसमें से पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 78.49 और 55.73 था।

क) शिक्षा

पिछले दशक के दौरान हरियाणा में शिक्षा संस्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है (सारणी 1.5)। वर्ष 2005–06 में राज्य में केवल 5 विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 61 हो गई है (2019–20 में)। इन 61 कार्यशील विश्वविद्यालयों में आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, एक एम्स शामिल हैं। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 36 से बढ़कर 491 हो गई तथा अन्य शिक्षा संस्थानों के स्तर में भी चहुमुखी सुधार हुआ है। इसका अपवाद प्राथमिक–पूर्व प्राथमिक शिक्षा है जिसमें 2005–06 और 2016–17 में गिरावट आई। प्राथमिक स्तर की संस्थाओं की संख्या में कमी की अधिक जांच की आवश्यकता है, ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके और शिक्षा संस्थानों के उच्च स्तर पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। जो भी हो, शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार की आवश्यकता है। अधिकांश शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों तथा शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाओं की कमी है।

सारणी 1.5. हरियाणा के शिक्षा संस्थाओं के संकेतक (संख्या में)

शिक्षा संस्थाएं	1990-91	2005-06	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)
विश्वविद्यालय	3	5	43	46	55	61
तकनीकी विश्वविद्यालय / अभियांत्रिकी महाविद्यालय	2	40	175	127	109	101
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	18	36	491	491	491	475
कला एवं विज्ञान महाविद्यालय	120	168	274	297	342	359
उच्चतर / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	2356	5317	7782	8024	8308	8575
मिडिल / सैकंड्री विद्यालय	1399	2168	4986	5228	5673	5704
प्राथमिक / पूर्व प्राथमिक विद्यालय	5109	12152	9968	9974	9972	9928

स्रोतः हरियाणा सांख्यिकी सारांश 2019–20

1.8 हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा

हरियाणा में हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है, ताकि स्वास्थ्य संकेतकों के अभी तक के रिकॉर्ड को सुधारा जा सके। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के एनएचपी 2018 के अनुसार आईएमआर (शिशु मुत्यु दर) कम हुई है। यह 2011 में 52 थी जो 2018 में घटकर 30 रह गई है (हरियाणा में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी)। वास्तव में शहरी शिशु मृत्यु दर 30 हो गया है जबकि ग्रामीण शिशु मुत्यु दर की समस्याओं को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। यह वर्ष 2007–09 में 153 हुआ जबकि वर्ष 2011–13 में 127 था। नवीनतम मातृ मृत्यु दर बुलेटिन जो जुलाई 2020 में जारी हुआ था के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर घटकर 91 रह गया है (नागरिक पंजीकरण प्रणाली –2016)। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि राज्य में जन्म–दर भी निरंतर कम

हो रही है और यह वर्ष 2016 में 20.7 के सम्मानीय स्तर पर पहुंच गई तथा 2018 में यह और कम होकर 20.3 रह गई। शहरी जन्म दर थोड़ा सा कम अर्थात् 18.3 है, जबकि ग्रामीण जन्म–दर 22.0 है। इसी प्रकार, मृत्यु दर भी वर्ष 2016 में 5.9 के निम्न स्तर पर पहुंचकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर पहुंच गई। इस संदर्भ में शहरी महिलाओं में यह 4.5 कम हुई। यह राज्य की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है स्वास्थ्य प्राचलों में सुधार राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के प्रसार का परिणाम है। सारणी 1.6क का और 1.6ख में चिकित्सा संस्थाओं तथा चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता के बारे में दर्शाया गया है जो काफी उचित है और यदि निजी चिकित्सा सेवा को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह बेहतर कही जा सकती है।

सारणी 1.6क. हरियाणा में 2019–20 के दौरान चिकित्सा स्थापनाओं की संख्या (एलोपेथी)

अस्पताल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	औषधालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र
68	536	63	133	2655

स्रोतः हरियाणा सांख्यिकी सारांश 2019–20

सारणी 1.6खः हरियाणा में विद्यमान चिकित्सा स्टाफ

वर्ष	चिकित्सा अधिकारी (वर्ग I और II)	नर्सें आदि	एएनएमएस / एमपीएचडब्ल्यू आदि	तकनीशियन / प्रयोगशाला सहायक	फार्मेसिस्ट
2000	1610	1442	2274	527	853
2016	2108	1505	3989	622	667
2018-19	3718	2224	4757	572	706
2019-20(P)	4063	2168	5190	545	680

•एएनएमएस/एमपीएचडब्ल्यू (सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी/बहु–उपयोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता)

स्रोतः हरियाणा सांख्यिकी सारांश 2019–20

1.9 निष्कर्ष

हरियाणा अपने लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने में सफल रहा है। कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तेजी से कम हो रहा है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग स्थिर बना हुआ है और सेवा क्षेत्र में तेजी से सुधार के कारण राज्य का जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) भी सुधर रहा है। तथापि, कृषि से जुड़े लोगों की संख्या आनुपातिक रूप में कम नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गैर–कृषि गतिविधियों की तरफ जा रहे हैं। कृषि से गैर–कृषि गतिविधियों में बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को गैर–कृषि व्यापारों में उचित रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, ताकि परिवार की आय में सुधार हो सके। विस्तृत अन्वेषण परिणाम उपलब्ध न होने के कारण यह जानना कठिन है कि वास्तविक और सटीक आवश्यकताएं क्या हैं लेकिन यह मानना तर्कसंगत होगा कि पारिस्थितिक प्रणाली और कौशल को बढ़ाने के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने से कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए सुचारू और तीव्र गति से समन्वयन करने में सहायता मिलेगी।

भाग 2

हरियाणा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

उपयुक्तम उपयोग एवं अवसरों की भूमि

हरियाणा को 1966 में संयुक्त पंजाब से अलग किया गया था। राज्य की स्थापना के समय हरियाणा के अधिकांश भाग अपेक्षाकृत कम विकसित थे। तथापि, राज्य के परिश्रमी और प्रगतिशील किसानों ने खेती की आधुनिक तरीके और तकनीकअपनाई जिनमें उच्च उपजशील किस्मों के बीजों का उपयोग, ट्रैक्टर, सिंचाई संबंधी सुविधाएं, कीटनाशक तथा उर्वरक शामिल हैं जिनसे कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त हुई। हरियाणा के किसानों ने भारत सरकार द्वारा 1970 में दुग्धोत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई 'ऑपरेशन फ्लड' का भी लाभ उठाया।

2.1 हरियाणा में कृषि तथा दुग्धोत्पादन

हरियाणा में सरकार की किसानों के लिए अनुकूल नीतियों के कारण खाद्यान्न, विशेषरूप से गेहूं व चावल और इसके साथ ही दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि आरंभ हुई और इसमें निरंतरता आई। इसका सर्वश्रेष्ठ पहलू यह है कि केवल कुछ छोटे क्षेत्रों को छोड़कर जहां सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाओं की कमी है, नई कृषि की विधियों के लाभ हरियाणा के लगभग प्रत्येक कोने में पहुंचने के परिणामस्वरूप राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आई। सारणी 2.1 में वर्ष 1966 से (जबसे हरियाणा राज्य बना था), अब तक महत्वपूर्ण फसलों के फसलवार उत्पादन तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाया गया है। सारणी 2.1 में यह देखा जा सकता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 1966–67 में 25.92 लाख टन था वह 2018–19 के दौरान बढ़कर 181.56 लाख टन हो गया। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान दूध का उत्पादन भी 10.89 लाख टन से बढ़कर 100 लाख टन से अधिक हो गया। ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि 36 लाख हैक्टेयर है और यह पिछले 50 वर्षों से स्थिर बनी हुई है। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में यह वृद्धि कृषि उत्पादकता में हुई निरंतर वृद्धि का परिणाम है।

सारणी 2.1. हरियाणा में प्रमुख फसलों की उत्पादन स्थिति (लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	दालें	कुल खाद्यान्न	तिलहन	दूध
1966-67	2.23	10.59	0.32	25.92	0.92	10.89
1981-82	12.52	36.86	0.37	60.39	1.50	21.87
1991-92	18.03	64.96	0.71	90.78	7.62	34.19
2001-02	27.26	94.37	0.27	132.99	8.11	58.62
2011-12	37.57	131.19	0.34	183.90	7.58	66.60
2017-18	48.80	122.63	2.24	180.90	9.56	98.09
2018-19(P)	45.17	125.73	8.24	181.56	12.78	107.26
सीएजीआर	5.84%	4.78%	6.32%	3.74%	5.09%	4.41%

स्रोतः एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस और हरियाणा का सांख्यिकी सारांश (विभिन्न अंक) –वर्ष 2020–21 के लिए

यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि हरियाणा की कुल परिचालनीय जोतों में से दो तिहाई 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र वाली हैं। छोटी जोतों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए किसानों ने अपनी आमदनी बढाने के लिए व्यापक पैमाने पर दुधारू पशुओं को पालने पर जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा में कृषि से जीवीए ¼सकल मूल्य वर्धित) में पशुधन से प्राप्त जीवीए के हिस्से में 2011–12 में 30% और 2017–18 में 40% सुधार हुआ। हरियाणा में दुग्धोत्पादन कुल पशुधन जीवीए का 75% है। इस वृद्धि की पुष्टि सारणी 2.2 में हुए आंकड़ों से होती है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि छोटी जोत वाले किसानों की कुल आमदनी के मामले में पशुधन का हिस्सा आनुपातिक रूप से अधिक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि छोटे किसान पशुपालन शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। यह इस बात का बहुत स्वस्थ संकेत है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तथा किसानों की सोच प्रगतिशील है।

सारणी 2.2. हरियाणा में प्रत्येक आकार की जोत के लिए प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय तथा उपभोग पर होने वाला व्यय (जुलाई 2012– जून 2013)

जोत का आकार	मजदूरी से होने वाली आय (रु.)	खेती से होने वाली निवल प्राप्ति (रु.)	खेती और पशुओं से होने वाली निवल प्राप्ति (रु.)	कृषि इतर व्यापार से निवल प्राप्ति (रु.)	कुल मासिक आय (रु.)	कृषि परिवार ('000)
0.01-0.40	5490	157	2215 (24.9)	1040	8901	407.7
0.41-1.00	4691	2484	2326 (23.6)	354	9855	360.4
1.01-2.00	2423	7423	4042 (28.5)	308	14196	276.5
2.01-4.00	736	12379	2540 (16.2)	15	15671	283.0
4.01-10.00	2315	35775	3889 (9.2)	95	42073	137.9
10.00+	1042	125360	2459 (1.9)	0	128861	7.2
सभी आकार के	3491	7867	2645 (24.9)	431	14434	1569.3

स्रोतः इनकम, एक्सपेंडीचर, प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इंडेप्डेटनेस ऑफ एग्रीकल्चरल इन इंडिया, एनएसएस 70वां राउंड, एनएसएसओ इंडिया 2016. टिप्पणीः कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़ें कुल आय का प्रतिशत दर्शाते हैं

2.2 हरियाणा में कृषि उपज का प्रसंस्करण

कृषि उद्योगों में प्रगति को किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने वाला माना गया है क्योंकि इससे किसानों को बाजार उपलब्ध होता है और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। हरियाणा कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित राज्य है और भविष्य में कृषि उद्योगों की वृद्धि और प्रवर्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनका कल्याण होगा। इसलिए कृषि उद्योगों की स्थिति तथा उनके निष्पादन की व्यापक समीक्षा और जांच भी की जानी चाहिए। हरियाणा में कृषि उद्योग उचित स्तर पर विकसित है और राज्य के लगभग सभी भागों में फैला हुआ है जो कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है। तथापि, सामान्य धारणा यह है कि कृषि उद्योग चलाने वाले उद्यमियों में व्यापार संबंधी गतिविधियों को प्रबंधित करने वाले व्यावसायिकता और व्यापार संबंधी प्रवृत्ति की कमी है। लोगों में व्यक्तिगत रूप से प्रौद्योगिकी को सुधारने के प्रयास भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार, उद्यमी लागत को कम करने और अपनी प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को सुधारने का भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं जबकि अधिक कारगर संचालन के लिए ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। आयोग से चर्चा के दौरान कार्य के छह क्षेत्रों को पहचाना गया और इन पर कार्यदल ने विचार किया। ये क्षेत्र थेः **चावल, गेहूं, दलहनों, तिलहनों, ग्वार का मिलीकरण और दुग्ध प्रसंस्करण।** तद्नुसार इस कार्य दल ने इस रिपोर्ट में कृषि व्यापार संबंधी पहलुओं के संदर्भ में हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समीक्षा और जांच की। खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका को कुछ प्रमुख गतिविधियों में बांटा जा सकता है जिनमें शामिल हैंः

- फसल कटाई/सफाई और रेफ्रीजरेशन जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण
- अनाज का मिलीकरण, फल के गूदों का विनिर्माण, हिमित मांस और कुक्कुट मांस, पैकबंद दूध जैसे द्वितीयक प्रसंस्करण
- फलों के जैम और जूस, बिस्कुट, दुग्धोत्पाद, तत्काल खाने के लिए तैयार आहार, प्रोटीन सम्पूरक, कान्फैक्शनरी जैसे तृतीयक प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियां

सारणी 2.3. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र तथा उदाहरण

मध्य	प्राथमिक प्रसंस्करण	द्वितीयक प्रसंस्करण	तृतीयक प्रसंस्करण
फल और सब्जियां	सफाई, कटाई, छंटाई	गूदे, लेई, कतले	जैम, जूस, अचार
दाने और अनाज	छंटाई और श्रेणीकरण	आटा, माल्ट और मिलीकरण	बिस्कुट, नुडूल, केक
डेयरी/दुग्धोत्पाद	श्रेणीकरण और रेफ्रीजरेशन	कॉटेज, चीज, मलाई रहित दूध	योगर्ट, स्प्रेडेबल क्रीम, शुष्क दूध
मांस, कुक्कुट मांस और समुद्री उत्पाद	भंडारण, अति शीतलन और रेफ्रीजरेशन	कटा हुआ, तला और हिमित	तत्काल खाने के लिए तैयार
खाद्य तेल	छंटाई और श्रेणीकरण	रिफाइंड तेल	फोर्टिफाइड तेल

इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पर्कों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) कृषि विस्तार सेवाओं जैसी पहलों के माध्यम से पश्चगामी शक्तियों को एकीकृत कर सकता है। इससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। एफपीआई में उपज की छंटाई और श्रेणीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। तथापि खरीद में एफपीआई को शामिल करके किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने में भी सहायता की जा सकती है क्योंकि किसानों के एफपीआई के सीधे सम्पर्क में आने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त या कम हो जाती है और इस प्रकार, गैर–मूल्य वर्धित गतिविधियों के आकलन के माध्यम से मूल्य कम करने में भी सहायता मिलती है। एफपीआई में भंडारण और परिवहन की क्षमताओं में निवेश को बढ़ावा मिलता है, बर्बादी कम होती है, परिवहन और भंडारण के दौरान पोषक तत्व बने रहते हैं तथा जल्दी खराब होने वाले नाजुक उत्पादों की निधानी आयु में वृद्धि होती है।

2.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो का महत्व

एफपीआई भारत में सर्वाधिक आशाजनक क्षेत्रों में से एक है तथा देश में उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में डेरी, अनाज, दालें, तिलहन, फलों व सब्जियों का प्रसंस्करण; मसाले, मांस और कुक्कुट मांस, उपभोक्ता उत्पाद समूह जैसे कांफेक्शनरी, चॉकलेट, कोको उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, उच्च प्रोटीन युक्त आहार और मिनरल वाटर शामिल हैं। वर्तमान में भारतीय एफपीआई देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का एक अग्रणी योगदाता है। इस क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 14 प्रतिशत, भारत से होने वाले निर्यात में 30% तथा औद्योगिक निवेश में 6% योगदान है (आईबीईएफ, 2016)। एफपीआई में अर्ध कुशल तथा कुशल कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के मामले में भी अपार आर्थिक क्षमता है।

इस क्षेत्र के महत्व को अनुभव करते हुए भारत सरकार ने उसे 'प्राथमिकता का स्तर' दिया है और इस क्षेत्र में सकल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत पहलों की घोषणा की है। प्रमुख नीतिगत पहलों में शामिल हैंः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए स्वतः स्वीकृति, लाइसेंस को समाप्त करना, निर्यात के लिए कर में छूट, प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इसके अतिरिक्त सस्योत्तर बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आधुनिक बूचड़खाने, कृषि खाद्य पार्कों का सृजन, मूल्यवर्धन के लिए केन्द्र और विकिरण सुविधाएं भी शामिल हैं। साथ ही सरकार ने कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) संबंधित विद्यमान अधिनियम में संशोधन करके निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। ऐसा निजी संरक्षणों को किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है, ताकि इस अधिनियम का आसानी से अनुपालन हो सके तथा खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी विनियमों को सुचारू बनाया जा सके।

भारतीय खाद्य उद्योग अभी शैशव अवस्था में है लेकिन वैश्विक खाद्य व्यापार में वृद्धि के साथ इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में प्रसंस्करण की मात्रा विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए 2 से 35% के बीच है। फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कम मात्रा में हो रहा है (2%) तथा दूध उत्पादों में अपेक्षाकृत अधिक है (35%), जबकि मांस के मामले में यह 21%और कुक्कुट उत्पादों के मामले में 6% है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 2018 में यह अपेक्षा की थी कि एफपीआई के व्यापार में 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो। भारत के एफपीआई के अंतर्गत अनेक कारखाने हैं जिनमें सबसे बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं (2013–14 में 11.69%)। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में श्रम और श्रमिकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2013–14 में देश में पंजीकृत एफपीआई की कुल संख्या 37,445 थी।

इस उद्योग का काफी हिस्सा ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में है जिसमें सशक्त पश्चगामी और अर्धगामी सम्पर्क विकसित हुए हैं। इसने अंतर संबंधित क्षेत्रों के प्रभावों पर भी सकारात्मक असर डाला है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी लाई है। तथापि, अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ईसीए) जैसे नियम देश में एफपीआई के विकास में अत्यधिक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ईसीए (1955) के अंतर्गत अनिवार्य कृषि जिंसों का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित होते हैं। इस नियम के अंतर्गत डीलरों को लाइसेंस देकर उत्पादों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है, आवाजाही पर नियंत्रण के कारण स्टॉक सीमित हो जाता है जिससे न केवल कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है बल्कि एफपीआई को भी उचित बढ़ावा नहीं मिल पाता है। कृषि जिंसों के किसी क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर मुक्त आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया लेकिन इसमें अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

2.4 निष्कर्ष

'सकल वृद्धि' और 'खाद्य सुरक्षा' के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण देश के उद्योग और खेती प्रणाली के बीच सेतु का कार्य करता है जिसका उद्देश्य हरियाणा की उपज के बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सभी को प्रेरित करना है। कुछ निष्कर्षों के अनुसार ग्रामीण प्रसंस्करण अब पटरी पर आने लगा है। ऐसी स्थिति दालों के मिलीकरण तथा तिलहनों से तेल प्राप्त करने की उचित सस्योत्तर मशीनरी के विकास और उन्हें अपनाने के कारण उत्पन्न हुई हैं। ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण की वृद्धि में कुछ कारणों से रुकावट आ रही है जिसमें विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण की जटिल क्रियाविधि और भूमि के उच्च मूल्य, छोटे उद्यमियों के लिए पर्याप्त वित्त का उपलब्ध न होना, कुशलता और जागरूकता की कमी, मशीनरी की अधिक लागत, बाजार व्यवस्था और माल की बिक्री में कम सहायता प्राप्त होना और अनुकूल नीतियां न होना जैसे पहलू शामिल हैं। इसलिए हरियाणा को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए लोगों की पसंद का क्षेत्र बनाने तथा राज्य में कृषि प्रसंस्करण में तेजी लाने और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के लिए एक वृहत कार्यनीति की आवश्यकता है, जिसमें भौतिक कार्यात्मक और बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल हैं। इसके साथ ही एकल खिड़की प्रणाली, कर में छूट और निर्यात के लिए अनुदान जैसे प्रावधान भी रखे जाने चाहिए।

भाग 3

हरियाणा की खाद्य प्रसंस्करण नीति का इसके पड़ोसी राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषणः जमीनी सच्चाई से कहीं दूर

3.1 भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति (2019)

3.1.1 प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि पर निर्भर हैं तथा निकट भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रसंस्करण के उच्च स्तर के साथ भली प्रकार विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बर्बादी को कम करने, मूल्य वर्धन सुधारने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर लाभ दिलाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा निर्यात से अधिक आय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भारत दूध, केला, अमरूद, पपीता, अदरक, भिण्डी, दालें और भैंसा मांस के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही यह हरी मटर, आलू, चाय, टमाटर, तिल और अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

तथापि, सस्योत्तर हानियाँ चिंता का प्रमुख विषय हैं: राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उपज की कुल सस्योत्तर हानि वर्ष 2018 में लगभग लगभग 92651 करोड़ रुपये तक थी। प्रसंस्करण का स्तर निम्न था (10 प्रतिशत से कम)। लगभग 2% फलों व सब्जियों, 8% समुंद्री उत्पादों, 35% दूध और 6% कुक्कुटों का ही वर्तमान में प्रसंस्करण हो रहा है।

3.1.2 परिदृश्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा सृजन करने हेतु राज्य की सरकारों को सक्षम बनाकर भारत को विश्व खाद्य कारखाना बनाना

3.1.3 उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य किसानों को लाभदायक मूल्य दिलाकर वांछित लक्ष्य के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सकल वृद्धि और विकास करना है। मॉडल नीति में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उठाए जाने वाले वांछित कदम सुझाना है। सुझाए गए मॉडल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ उपज की बर्बादी को कम करना, मूल्य वर्धन को बढ़ाना और किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना है।
- पौष्टिक और संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करके अल्प पोषण और कुपोषण की चुनौतियों से निपटना।
- आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा नवोन्मेषों के उपयोग, उपयोगिता को बढ़ावा देकर, खाद्य सुरक्षा तथा परिसम्पत्तियों और संसाधनों का उपयोग करके उपयुक्ततम क्षमता को प्रोत्साहित करने के साथ बुनियादी ढांचे संबंधी पर्याप्त सुविधाएं सृजित करते हुए घरेलु एफपीआई को प्रतिस्पर्धी बनाना और भविष्य के लिए तैयार करना।
- कृषि व्यापार तथा खाद्य प्रसंस्करण में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में भारत में एफपीआई को विकसित करना और इस क्षेत्र में देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाना।

3.1.4 खाद्य प्रसंस्करण

कृषि, डेरी, पशुपालन, मांस और कुक्कुट या मात्स्यिकी के किसी भी कच्चे उत्पाद को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है (इस प्रक्रिया में कर्मचारी, शक्ति, मशीनें या धन शामिल हैं) कि उत्पाद के मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं और उत्पाद वाणिज्यिक मूल्य की दृष्टि से रूपांतरित हो जाता है और मनुष्यों और पशुओं के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। इसमें परिरक्षण, खाद्य योजकों को मिलाने, परिरक्षण हेतु खाद्य पदार्थों को प्रभावी रूप से सुखाने, उनकी निधानी आयु बढ़ाने, गुणवत्ता को सुधारने और उन्हें कार्यशील बनाने जैसी विधियों के माध्यम से उपज के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया शामिल है।

3.1.5 बुनियादी ढांचे का विकास

कृषि, बागवानी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग और वाणिज्य तथा विपणन जैसे सभी संबंधित सरकारी विभागों को राज्य के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ समन्वयन करना चाहिए तथा मूल्य श्रृंखला में सकल विकास का गहन प्रयास करना

चाहिए। राज्य का खाद्य प्रसंस्करण विभाग खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ कार्य कर सकता है।

3.1.6 भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करना

खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि को पट्टे पर लेने या उसके अधिग्रहण की सुविधा होनी चाहिए। भूमि को पट्टे पर लेने संबंधी अधिनियम में जो बाध्यता है उसे हटाया या समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि बड़ी इकाइयों के लिए उद्यमियों को भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

3.1.7 लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की सहायता के लिए विकास

उपज की तौलाई, उसकी सफाई, श्रेणीकरण, छंटाई, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3.1.8 फसल अपशिष्टों तथा प्रसंस्करण इकाइयों से सृजित कचरे का मूल्य वर्धन

यह सुझाव दिया जाता है कि खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों में सृजित कृषि कचरे और फसल अपशिष्टों के मूल्य वर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता संबंधी पहल की जानी चाहिए जिससे औद्योगिक इकाइयों की आमदनी में सुधार होगा, किसानों की भी आय बढ़ेगी तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं को हल करने में सहायता मिलेगी। बिजली तैयार करने के लिए जैव ऊर्जा के उपयोग की सहायता का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की लागत का कम से कम कुछ भाग एक बार के लिए पूंजी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि कचरे के उचित निर्माण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के माध्यम से संबंधित पक्षों को प्रोत्साहित किया जा सके।

3.1.9 विपणन तथा प्रवर्धन में सहायता

निर्यात में तेजी लाने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मामले में '*मेड इन इंडिया*' ब्राण्ड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए यह सुझाव दिया जाता है कि पीपीपी मोड में विशेष धनराशि उपलब्ध हो सके और इससे भारतीय खाद्य उत्पादों को दूसरे देशों में मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में निर्यात करने के लिए ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। ऐसा रोड–शो, विपणन अभियानों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

3.1.10 परिचालनीय श्रेष्ठता के लिए प्रोत्साहन

सस्योत्तर परिवहन हानियों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने में सहायता करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि किसानों को भाड़े की लागत में कुछ सहायता या अनुदान दिया जाए।

3.1.11 वेयरहाउसिंग

बड़े–बड़े भंडारधरों की सुविधा उपलब्ध कराना खाद्य व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल भविष्य में उपयोग के लिए भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध होता है बल्कि चोरी, आग लगने, माल के खराब होने आदि जैसे जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। इससे मूल्यों में स्थिरता लाने तथा मांग के आधार पर माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है।

3.1.12 अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता

एफपीआई में अनुसंधान एवं विकास का प्राथमिक उद्देश्य नए उत्पाद विकसित करना तथा उन्हें बाजार में सफलतापूर्वक उतारना है। इसका एक अन्य उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया विकसित करना है जिससे उत्पाद की लागत कम हो सके, ऐसे उत्पाद विकसित हो सकें जिससे उनके संवेदी गुण आकर्षक हो सकें, उनका पोषणिक मूल्य सुधर सके, खाद्य सुरक्षा में सुधार हो तथा अपशिष्ट या कचरे से मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित हो सके। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुविधा हो और अंततः उपभोक्ताओं को उनकी अधिक से अधिक पसंद के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

नीति का विश्लेषण

1. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और राज्य की नीतियों के माध्यम से एफपीआई को प्राथमिकता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद परंपरागत कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चना, कपास, सरसों, चावल आदि पर आधारित मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत इकाइयां स्थापित करने पर अभी कम ध्यान दिया जा रहा है।

2. एफपीआई से संबंधित अपनी नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, साथ ही खाद्यान्न के स्थानीय उत्पादन और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जानी चाहिए।
3. राज्य के किसी भी नीति में परंपरागत फसलों जैसे गेहूं, चना, कपास, सरसों, चावल आदि के प्रसंस्करण पर बल नहीं दिया गया है, ताकि और प्रसंस्करण के मामले से उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके।
4. यह देखना होगा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई में परंपरागत कृषि से परिदृश्य में बदलाव की प्रवृत्ति आ रही है। यद्यपि यह कुछ फसल उगाने वालों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन इससे राज्य के मूल किसानों को लाभ नहीं होता है।
5. फसलों के सस्योत्तर प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचा वर्तमान में बहुत अपर्याप्त है।
6. किसानों और एफपीआई के बीच कोई सीधा जुड़ाव नहीं है।
7. हरियाणा की मुख्य कृषि उपज चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, बाजरा, चना और जौं हैं।
8. देश के 60 प्रतिशत से अधिक बासमती चावल का निर्यात हरियाणा से होता है।
9. नीति से यह प्रदर्शित होता है कि परंपरागत फसलों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।
10. भारत सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य की नीति के अनुपालन में यह देखा गया है कि संबंधित नीति मुख्यतः फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण की है। मूल कृषि उत्पादों को नीति के बुनियादी ढांचें में वांछित स्थान नहीं दिया गया है।
11. भारत सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य की नीति में उच्च मूल्य के बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उच्च तकनीक विधियों को बढ़ावा देने के बारे में कहा गया है लेकिन इसमें परंपरागत और क्षेत्रीय फसलों के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं दिया गया है।
12. अतः हम कह सकते हैं कि किसी न किसी कारण से परंपरागत और क्षेत्रीय फसलें सरकारों की प्राथमिकता नहीं है।
13. भारत सरकार के दिशानिर्देशों और विभिन्न राज्यों की नीति के उद्देश्य इस प्रकार के दस्तावेज तैयार करना है जिनमें राज्य और राज्य के क्षेत्रों की जमीनी हकीकत पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
14. हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पारंपरिक और क्षेत्रीय फसलों के प्रसंस्करण को बढ़ाने के प्रयास सरकार के आदेश के अनुरूप नहीं हैं।

3.2 पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की कृषि उद्योग नीतियां

3.2.1 राज्यों में कृषि उद्योगों/उत्पादों की स्थिति

क) पंजाब

वर्तमान में पंजाब में कृषि प्रसंस्करण उद्योग निम्न मूल्य वर्धन संबंधी मदों जैसे तेल निकालने, बेकरी मदों का विनिर्माण, मिलीकरण आदि तक सीमित है। खाद्य प्रसंस्करण में उचित मूल्यवर्धन के न होने का मुख्य कारण कोल्ड़ स्टोरेज, नई प्रौद्योगिकियों को लाने और विद्यमान प्रौद्योगिकियों/बुनियादी ढांचे के उन्नयन के संदर्भ में बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की कमी है।

ख) राजस्थान

राजस्थान राज्य ग्वार, सरसों, तिलहनों, सोयाबीन, चना और मोठ के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन में चौथा स्थान है लेकिन इन उत्पादों के उच्च मूल्यवर्धन में अधिक प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण कोल्ड़ स्टोरेज, नई प्रौद्योगिकियों को लाने तथा विद्यमान प्रौद्योगिकियों/बुनियादी ढांचे के उन्नयन के संदर्भ में बुनियादी ढांचे में प्रमुख निवेश की कमी है।

ग) हरियाणा

राज्य की देश के कृषि व्यापार परिदृश्य में उल्लेखनीय स्थिति है। राज्य में सशक्त विपणन ढांचा है जिसमें कई मंडियां और खुले बाजार हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 3,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, चार खाद्य पार्कों और नौ कोल्ड़ स्टोरेज परियोजनाओं के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए पहचाना गया है।

3.2.2 उत्पादकता संबंधी उलब्धियां

पंजाब	राज्य ने गेहूं, धान, टमाटर, आलू, मक्का, कपास, नींबूवर्गीय फलों आदि में सर्वोच्च उत्पादकता स्तर प्राप्त किए हैं।
राजस्थान	राज्य ने गेहूं, ग्वार, बाजरा, सरसों, तिलहन, सोयाबीन, चना और मोठ आदि में उच्च उत्पादकता स्तर प्राप्त की हैं।
हरियाणा	देश के कुल बासमती चावल का 60%से अधिक केवल हरियाणा से निर्यात किया जाता है। ठेके पर खेती शुरू हो गई है। परंपरागत खेती से बागवानी की ओर बढ़ने के लिए फसल विविधीकरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

3.3.3 वृद्धि

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा
वर्ष 2001 से 2007 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में पंजाब की औसत वृद्धि कम थी (2.2%), जबकि राष्ट्र में यह वृद्धि 3.2% थी। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान पंजाब में उद्योग की औसत वृद्धि घटकर 4.2% रही, जबकि देश की 7% थी। जीडीपी में उद्योग के हिस्से के मामले में भी पंजाब पीछे है और यहां यह उक्त अवधि में 17.7% रही जो देश के प्रति व्यक्ति समान आय वाले राज्यों की तुलना में कम है।	राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के प्रतिशत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा के कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि 3.9% रही जो इस अवधि में प्राप्त किए गए अखिल भारतीय स्तर (3.7%) की तुलना में थोड़ी अधिक है।

3.2.4 प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा
जहां एक ओर पंजाब में गेहूं, धान, कपास और आलू, नींबूवर्गीय फलों, मिर्च आदि जैसी बागवानी फसलों के मामले में न्यूनतम फार्म गेट होने का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, वहीं यह कहा जा सकता है कि यह लाभ द्वितीयक और तृतीयक स्तर की प्रसंस्करण सुविधाओं के न होने, बाजार संबंधी सूचना के अभाव व बाजार संबंधी सहायता में कमी के कारण काफी हद तक समाप्त हो जाता है। कई बिचौलिए इस बर्बादी में शामिल हैं जिससे उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर या निर्यातकों को हानि होती है। इसके परिणामस्वरूप फार्म से निकलकर उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान उपज में 30–35% की बर्बादी होती है और इस प्रकार उपज की लागत बढ़ जाती है। किसानों को उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य का मात्र 25–30 प्रतिशत ही मिल पाता है, जबकि विकसित कृषि बाजारों में यह 60–70% है।	राजस्थान को गेहूं, ग्वार, बाजरा, सरसों, तिलहनों, सोयाबीन, चना, मोठ आदि जैसी फसलों के फार्म पर न्यूनतम मूल्यों का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है और अक्सर यह लाभ भी द्वितीयक/तृतीयक स्तर की प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी बाजार संबंधी सूचना के न होने तथा विपणन के लिए सहायता न मिलने के कारण समाप्त हो जाता है। अनेक बिचौलियों के कारण फार्म से उपज के उपभोक्ताओं, फुटकर विक्रेताओं, प्रसंस्करण कर्ताओं या निर्यातकों तक पहुंचने में उसकी काफी बर्बादी होती है।	वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 181.56 लाख टन था। इसमें से चावल का 45.17 और गेहूं का 125.73 लाख टन उत्पादन था। यह राज्य राष्ट्रीय राजधानी के काफी निकट है। यह रेल सड़कों और हवाई नेटवर्क द्वारा देश से और विशेष रूप से राजधानी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय है।

3.2.5 प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकताएं

क) पंजाब

यहां कृषि उद्योग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर लाभ के लिए उच्च स्तर पर मूल्य वर्धन किया जा सके। कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि स्थानीय उपज के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित हो सकें और निर्यात के लिए गुणवत्ता व सुरक्षा संबंधी मानक पूरे हो सकें। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मानव संसाधन को विकसित करने के लिए ठोस विषय–वस्तु सहित विशिष्ठ पाठ्यक्रम संबंधित संस्थाओं के उपयुक्त स्तरों पर चलाए जाने चाहिए, ताकि उद्योग की आवश्यकता पूरी हो सके। खाद्य/कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए संस्थाओं का प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इन केन्द्रों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क होना चाहिए।

ख) राजस्थान

यहां कृषि उद्योग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर लाभ के लिए उच्च स्तर पर मूल्य वर्धन किया जा सके। अपनी नीति में राज्य ने ग्वार को छोड़कर अन्य किसी भी उत्पाद के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर बल नहीं दिया है जिससे परंपरागत फसलों की ओर राज्य सरकार के उदासीन रवैये का पता चलता है।

ग) हरियाणा

कृषि उद्योग को कृषि प्रसंस्करण इकाइयों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। यद्यपि राज्य को कृषि उत्पादकों के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक में से एक का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व है, लेकिन गेहूं, चना, कपास, सरसों, चावल आदि जैसे परंपरागत कृषि उत्पादों पर आधारित मूल्य वर्धित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर कम ध्यान दिया गया है। यह भी देखा गया है कि परिदृश्य में बदलाव आ रहा है और परंपरागत कृषि का स्थान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां ले रही हैं। यद्यपि यह खेती करने वाले कुछ किसानों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन इससे राज्य के मूल किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ है। इस उद्देश्य से परंपरागत उपज की मांग बढ़ानी होगी। यह तभी संभव है जब उपज को विनिर्माण इकाइयों में मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके।

3.2.6 उद्देश्य

पंजाब (2017)

नीति में पंजाब को वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर निवेशकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को पसंदीदा स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब में कृषि औद्योगिक क्षेत्र की बहुत क्षमता है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अनेक लक्ष्यों जैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण उद्योगीकरण, रोजगार सृजन, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा कृषि उद्योगों में नए निवेश करके प्राप्त किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें निवेश कर सकती हैं। कृषि औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- पश्चगामी और अग्रगामी सम्पर्क स्थापित करने के लिए कृषि और कृषि उद्योगों में निवेश के प्रवाह को बढ़ाना।
- अनुसंधान, विस्तार क्रियाविधियों, उद्योग, किसानों, बाजारों और उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।
- मूल्य वर्धन को बढ़ाना और इस प्रकार किसानों व व्यापारियों की आमदनी में वृद्धि करना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराना।
- कृषि औद्योगिक विकास और कृषि उपज के विपणन के लिए आपूर्ति – श्रृंखला का बुनियादी ढांचा सृजित करना।
- रोजगार के अवसर सृजित करना और इस प्रकार जीवन की गुणवत्ता सुधारना।
- वैश्वीकृत बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए छोटे पैमाने की कृषि आधारित इकाइयों को सहायता पहुंचाना।
- फलों व सब्जियों का निर्यात बढ़ाना और मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात में भी तेजी लाना।

राजस्थान (2019) : *राजस्थान के उद्देश्य भी वही हैं जो पंजाब के हैं।*

हरियाणा (2018)

राज्य की नीति में जो लक्ष्य रखे गए हैं वे कमोवेश वही हैं जो पंजाब व अन्य पड़ौसी राज्यों के हैं। इसके बावजूद यदि हम विस्तृत उद्देश्यों की ओर देखते हैं तो उनमें भी वही एक रास्ता है और कोई नई कार्यशील क्रियाविधि का उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्य बल केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर दिया गया है और किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि 'कृषि' शब्द को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ हर जगह जोड़ा गया है लेकिन कृषि उद्योगों का विकास करके इस (कृषि) क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोई भावी योजना या परिदृश्य तैयार नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता तो राज्य में पिछले कई वर्षों से उत्पन्न किए जा रहे मौलिक कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में तेजी आई होती।

3.2.7 प्रोत्साहन

कृषि उद्योग इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान

क) पंजाब

- यहां कृषि प्रसंस्करण उच्च जोखिम वाला उद्योग है। पंजाब में यह अभी विकास की शैशव अवस्था में है। कृषि औद्योगिक इकाइयों को ऋण पर भारी ब्याज देना पड़ता है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा और टिकाऊपन प्रभावित होते हैं। परिचालन की आरंभिक अवधि के दौरान कृषि औद्योगिक इकाइयों को सहायता पहुंचाने के लिए अनुसूचित/राष्ट्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए आवधि ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाना चाहिए। तथापि, यह भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- पांच वर्षों में अधिक से अधिक लाख रुपये अर्थात् प्रति इकाई प्रति वर्ष 20 लाख रुपये सीमा निर्धारित करते हुए आवधिक ऋण पर पांच वर्षों के लिए 5% ब्याज अनुदान मिलना चाहिए। ऐसा विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाना चाहिए।
- यह ब्याज अनुदान औद्योगिक इकाइयों को 10 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ से कम अचल पूंजी निवेश करने के लिए दिया जाना चाहिए तथा 15 करोड़ तक का आवधिक ऋण दिया जाना चाहिए। अचल पूंजी निवेश की गणना के लिए भूमि की लागत अचल पूंजी निवेश के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) राजस्थान

इस योजना में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं लेकिन कृषि उद्योगों ने इन पर वांछित ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध कराए गए कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

- गुणवत्ता प्रमाणीकरण, अनुसंधान एवं विकास पर प्रोत्साहनों, परियोजना विकास के लिए प्रोत्साहन, परिवहन, अनुदान जैसे प्रोत्साहन।
- सस्योत्तर फसल गतिविधियों में लगे उद्यमियों जिन पर वैट/सीएसटी (मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की देनदारी नहीं है, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
- वैट/सीएसटी की देनदारी तथा कृषि उत्पादों के विनिर्माण व प्रसंस्करण में लगे उद्यम निवेश अनुदान के पात्र हैं और उन्हें रोजगार सृजन अनुदान का भी प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन इस योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रोत्साहन परंपरागत प्रकार के कृषि उद्योगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

ग) हरियाणा

इस योजना में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं लेकिन कृषि उद्योगों पर वांछित ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध कराए गए कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

- नीति के अध्याय–5 में इस क्षेत्र के प्रोत्साहनों के बारे में बताया गया है, लेकिन इन्हें कृषि और बागवानी जैसे राज्य के विभागों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अपनाया जाना चाहिए।
- इस संबंध में आंकड़े प्रकाशित करने की आवश्यकता है कि जब से यह नीति घोषित और लागू हुई है, तब से वास्तविक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जब तक हम नीति की पहुंच और जमीनी स्तर पर इसकी स्वीकार्यता के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक इसे लागू करना असफल प्रयास होगा।

3.2.8 अन्य रियायतें

पंजाब	• गेहूं पर बाजार शुल्क में छूट की रियायत कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या जीएसआर 96/पीए 23/61/एस 43/एएमडी (58)/2001, दिनांक 11.09.2001 के द्वारा दी गई है और यह बनी रहेगी। • सभी कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद की छूट होगी तथा इस उद्देश्य से आवश्यक रियायत पंजाब एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत दी जाएगी।
राजस्थान	• राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यापार उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने की अच्छी योजना है। यह योजना इसकी परिशिष्ट-3 में दी गई है। यह नीति हर प्रकार से राज्य में उद्योगीकरण के लिए अनुकूल है, बशर्ते कि निवेशक राज्य के भीतरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करे जो बाजार, हवाई अड्डों आदि से पर्याप्त दूर हो सकते हैं। • राजस्थान को राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के साथ–साथ राज्य के व्यापक क्षेत्र का भी लाभ प्राप्त है। इससे हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में सरकार को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर जमीन मिल सकती है।
हरियाणा	• राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यापार उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने की अच्छी योजना है। इसके द्वारा निजी निवेशकों को भूमि खरीदने तथा ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए विकसित करने हेतु अनुमति दी गई है,लेकिन इसका मूल उद्देश्य किस हद तक सफल होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। इस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या इन निवेशों से किसी भी रूप में मूल कृषि उत्पादक किसानों को लाभ होगा।

बाहरी विकास शुल्क/ भूमि उपयोग शुल्क

पंजाब

नई कृषि औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए कृषि भूमि को कृषि उद्योग की भूमि में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाने वाला सीएलयू प्रभार समाप्त करना होगा। इसी प्रकार, इस उद्देश्य से लगाए गए ईडीसी प्रभारों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

3.2.9 करों में सुधार, मूल्य वर्धित कर, बाजार विकास शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क और बुनियादी ढांचा विकास उपकर

पंजाब

राज्य सरकार का प्रयास होगा कि मूल्य वर्धित कर तथा बाजार विकास शुल्क, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा विकास उपकर आदि को कृषि उपज के मामले में उचित प्रकार से संशोधित किया जाए, ताकि कृषि उद्योगों को बढ़ावा मिले।

3.2.10 सामान्य शर्तें

- ब्याज संबंधी यह अनुदान उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा जो आटा पीसने, धान की छिलाई, कपास की कताई का कार्य कर रही हैं जिसके साथ ही यह प्रसंस्करण कारखानों, चीनी कारखानों, तेल निकालने तथा अन्य विलायक निकालने की इकाइयों डिस्टलरी, ब्रूअर तथा आलू के शीत भंडार गृहों पर लागू नहीं होगा।
- ब्याज अनुदान ऋण की मूल राशि पर उपलब्ध होगा। दंडात्मक ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज को इसकी गणना में नहीं लिया जाएगा।
- जिन इकाइयों के पास कोई कर या सरकारी भुगतान किया जाना बकाया है, उन इकाइयों/औद्योगिक उद्यमियों को भी इस नीति के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं होगी।
- यदि किसी इकाई ने ब्याज अनुदान का लाभ उठा लिया है अथवा राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है तो उन्हें भी इस नीति के अंतर्गत मिलने वाले लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

- ब्याज संबंधी अनुदान सभी पात्र इकाइयों को 'पहले आओ, पहले सेवा पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।
- इस योजना के लिए आवेदन, आवेदन–पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज पीएआईसी द्वारा तैयार किए जाएंगे।
- नीति से संबंधित व्याख्या के सभी मामले पंजाब सरकार (कृषि विभाग) को भेजे जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

3.3 राष्ट्रीय, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की डेरी और दुग्ध प्रसंस्करण नीति की स्थिति का अध्ययनः तुलनात्मक विश्लेषण

3.3.1 दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्रा./दिन) 2018–19

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
1181	870	**1087**	394

नीतियों का विश्लेषण

वर्ष 2018–19 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता देश में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है और यह राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

3.3.2 वर्ष 2018–19 में दूध का उत्पादन ('000 टन)

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
12599	23668	**10726**	राष्ट्रीय 187700, उत्तर प्रदेश 30519, आंध्र प्रदेश 15044, बिहार 9818, मध्य प्रदेश 15911, गुजरात 14493, महाराष्ट्र 11655

नीतियों का विश्लेषण

वर्ष 2018–19 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में दूध का उत्पादन कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कारण राज्य का कम क्षेत्र व जनसंख्या हैं। वास्तविक चित्र प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है जो देश में दूसरे स्थान पर है।

3.3.3 वर्ष 2019 में दुधारू पशुओं की संख्या ('000 सं. में)

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
3800	13835	**3045**	136332

नीतियों का विश्लेषण

वर्ष 2019 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में दुधारू पशुओं की संख्या थोड़ी कम है लेकिन इसका कारण राज्य का कम क्षेत्र व जनसंख्या हैं। वास्तविक चित्र प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों से स्पष्ट होता है, जिससे पता चलता है कि यह इस मामले में पंजाब से पीछे है तथा दुग्धोत्पादन के मामले में तो पंजाब से काफी पीछे है। इसका तात्पर्य यह है कि हम पशुओं से प्रति व्यक्ति दुग्धोत्पादन के आंकड़ों के बीच में मेल नहीं कर पा रहे हैं जिसके तकनीकी कारण जैसे पशुओं की नस्ल, उनका चारा, पशुपालन के लिए प्रशिक्षण आदि हो सकते हैं।

3.3.4 कृत्रिम गर्भाधान (संख्या '000 में) (2017–18)

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
3937	4231	**3986**	73070

नीतियों का विश्लेषण

यदि हम इस पहलू की राजस्थान से तुलना करें तो पाएंगे कि हरियाणा इसमें काफी आगे है लेकिन पंजाब की तुलना में हरियाणा इस प्रौद्योगिकी में काफी पीछे है। ऐसा कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराए गए पशुओं के प्रतिशत से पता चलता है। इस प्रकार, हरियाणा में दुधारू पशुओं की कुल संख्या में सुधार की आवश्यकता है।

3.3.5 दूध में सहकारी दृष्टिकोण

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
यह नीति राज्य में अपनाई गई है और काफी लोकप्रिय हुई है, लेकिन पंजाब राज्य में यह वितरण तक ही सीमित है। ब्रांड '*वेर्का*' राज्य में काफी लोकप्रिय है।	यह नीति राज्य में अपनाई गई है और काफी लोकप्रिय हुई है, लेकिन राजस्थान राज्य में यह वितरण तक ही सीमित है। ब्रांड '*सरस*' राज्य में काफी लोकप्रिय है।	यह नीति राज्य में अपनाई गई है और काफी लोकप्रिय हुई है, लेकिन हरियाणा राज्य में यह वितरण तक ही सीमित है। ब्रांड '*वीटा*' राज्य में काफी लोकप्रिय है। करनाल में एनडीआरआई ने स्थानीय स्तर पर इन सहकारिताओं के विकास की पहल की है। ऐसा एक उदाहरण '*अनमोल सेल्फ–हेल्प ग्रुप* सहाकारिता है जो करनाल के घरौंड़ा गांव में स्थापित की गई है।	नैफेड एक राष्ट्रीय सहकारी समिति है लेकिन यह उत्पाद राज्य ब्रांडों के रूप में अधिक लोकप्रिय है। तथापि, गुजरात राज्य सहकारिता विकास के मामले में बहुत आगे है। ब्राण्ड 'अमूल' गुजरात के दुग्धोत्पादन के वितरण के लिए राष्ट्रीय ब्राण्ड बन गया है। हरियाणा ने भी इसका अध्ययन करके इसे अपनाया है।

नीतियों का विश्लेषण

गुजरात राज्य सहकारिता विकास के मामले में बहुत आगे है । ब्राण्ड 'अमूल' गुजरात के दुग्धोत्पादन के वितरण के लिए राष्ट्रीय ब्राण्ड बन गया है। हरियाणा ने भी इसका अध्ययन करके इसे अपनाया है। यद्यपि हरियाणा कार्यनीति के स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति में है (राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के कारण), लेकिन यह गुजरात की तर्ज पर अपने उत्पाद का विपणन नहीं कर पा रहा है।

3.3.6 मूल्य वर्धित डेरी उत्पाद

पंजाब	राजस्थान	हरियाणा	राष्ट्रीय स्तर
इस क्षेत्र में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है	इस क्षेत्र में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है	हरियाणा में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग को अभी अपनी पूरी क्षमता में विकसित होना है। हरियाणा में उत्पन्न कुल दूध का केवल लगभग 28 प्रतिशत भाग ही मूल्य वर्धित उत्पादों में प्रसंस्कृत हो पाता है। उच्च तकनीक वाले संयंत्र इस दिशा में प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। नेस्ले द्वारा *समालखा* में स्थापित संयंत्र इसका एक उदाहरण है। वर्तमान में, राज्य में लगभग 130 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनमें डेरी उत्पादों के संयंत्र भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश केवल दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हैं और कोई भी मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार नहीं कर रहे हैं।	एनडीडीबी की 2014 में वृद्धि दर 132 मीट्रिक टन थी और अब यह वर्ष 2022 तक अपनी क्षमता को 200 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए तैयार है।

नीतियों का विश्लेषण

1. तरल दूध से होने वाला लाभ 4–5 प्रतिशत है जबकि प्रसंस्कृत उत्पादों से 12–18 प्रतिशत लाभ होता है।
2. उच्च मूल्य के उत्पाद उत्पन्न करने में अनुसंधान एवं विकास का बहुत महत्व है।
3. देश की अग्रणी डेरी उत्पाद उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग से इस क्षेत्र में अति उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी को लागू करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

3.3.7 मुद्दे और चुनौतियां

- **उपज की गुणवत्ता:** डेरी प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौति राज्य में उत्पन्न होने वाले दूध की निम्न गुणवत्ता है। हाल ही में दूध में उल्लेखनीय उत्पादन हुआ है वह छोटे पैमाने के किसानों ने किया है। किसानों के पक्ष में पैमाने की कमी के कारण मात्रा की प्रभावी माप को अपनाना तथा प्रणालियों की निगरानी करना कठिन व महंगा है।

- **असंगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धाः** संगठित खाद्य प्रसंस्करण कर्ताओं के लिए एक प्रमुख चुनौती असंगठित क्षेत्र से एक प्रतिस्पर्धा है। इस क्षेत्र में दूधियों का प्रभुत्व है जो पूरे उद्योग को चलाते हैं। ये किसानों को आसान शर्तों पर धन देते हैं और उन्हें अपना दूध बेचने के जाल में फंसा लेते हैं।
- **शीत श्रृंखला और बुनियादी ढांचाः** दूध संकलन केन्द्रों का नेटवर्क और दूध को शीतल करने, गांव में बड़ी मात्रा में दूध को शीतल करने वाले कूलरों तथा बड़ी मात्रा में अति शीतलन संयंत्रों की बहुत कमी है। इसके अलावा दुग्धोत्पादों के लिए भी कुल 1343 मीट्रिक टन क्षमता के मात्र छह शीत भंडार गृह संबंधी सुविधाएं हरियाणा में उपलब्ध हैं।
- **सरकार की अनिश्चितन नीतिः** पिछले पांच वर्षों में सरकार ने दुग्ध पाऊड़र तथा कैसीन के निर्यात पर दो बार प्रतिबंध लगाया है और इसके साथ ही बिना किसी शुल्क के एक लाख टन दुग्ध पाऊड़र के आयात की अनुमति दी है। निर्यात संबंधी प्रतिबंध से विशेष रूप से वे निजी डेरियां प्रभावित हुई हैं जिन्होंने तैयार बाजार विकसित करने में कड़ी मेहनत की थी लेकिन अचानक उन्हें अपने सभी रास्ते बंद मिले, जबकि नवम्बर 2012 में सरकार ने दुग्धोत्पादों, विशेष रूप से सम्पूर्ण दुग्ध पाऊड़रऔर डेरी व्हाइटनर के निर्यात पर पांच महीनों के लिए प्रतिबंध हटा लिया। इस प्रकार की अनिश्चित नीति डेरियों के लिए अति चिंता का विषय रही है। देश में 1.12 लाख टन दुग्ध पाऊड़र के स्टॉक के उपलब्ध होने से अब इसके निर्यात की बहुत क्षमता है।
- **किसानों के बीच शिक्षाः** शिक्षा और जागरूकता के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप फसलों में रोग के साथ–साथ स्वच्छता संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। किसानों को इस उद्योग की आधुनिक विधियों का ज्ञान कराने की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च उपज और उत्पादन से लाभ उठा सकें।

3.3.8 उद्योग की आकांक्षा सूची

- **प्रशिक्षण और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वृद्धिः** प्रशिक्षण की नई विधियों से किसान ऐसी आधुनिक विधियों से परिचित होते हैं जिनका उपयोग दूध की उपज बढ़ाने में होना चाहिए।
- **शीत गृहों तथा परिवहन सुविधाओं की स्थापनाः** शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी ढांचा पूरे राज्य में एक नियोजित नेटवर्क के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।
- **चारे की अधिक उपलबधताः** दुर्भाग्य से चारा बीजोत्पादन और इसकी आपूर्ति पशुपालन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए चिंता का विषय हैं। चारा उत्पादन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए प्रजनक और आधारभूत बीजों के उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है।
- **स्थिर सरकारी नीतिः** मलाई रहित दुग्ध चूर्ण (एसएनपी), सम्पूर्ण दुग्ध पाऊड़र (डब्ल्यूएमपी), डेरी व्हाइटनर, शिशु दुग्ध आहार, कैसीन और कैसीन उत्पाद के निर्यात पर दुग्ध उपकर की आवश्यकता है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्यः** डेरी किसानों के लाभ में सुधार के लिए दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करने की जरूरत है। इसके अलावा वसा तथा ठोसहीन वसा (एसएनएफ) के न्यूनतम मानकों में भी संशोधन किया जाना चाहिए और इसे वर्तमान के क्रमशः 4% और 8.6% से 3.2 व 8.2% किया जाना चाहिए क्योंकि ये पदार्थ संकर नस्लों की गायों के दूध में सदैव कम होते हैं।

3.4 निष्कर्ष

यद्यपि राज्य के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और नीतियों में एफपीआई को प्राथमिकता का स्तर देने का दावा किया गया है लेकिन वास्तव में परंपरागत कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चना, कपास, सरसों, चावल आदि पर आधारित मूल्य वर्धित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य की नीति का अवलोकन करने से यह देखा जा सकता है कि संबंधित नीति मुख्यतः फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए ही है। मौलिक कृषि उत्पादों पर नीति के ढांचे में वांछित विचार नहीं किया गया है और इसे नीति में उचित स्थान नहीं मिला है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों तथा राज्यों की नीतियों में उल्लिखित उद्देश्य एक ही प्रकार के हैं तथा इसमें राज्य की तथा राज्य में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परंपरागत और क्षेत्रीय फसलों के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सरकार के अधिदेश के अनुसार नहीं है।

भाग 4

हरियाणा में कृषि उद्योगों की स्थिति, निष्पादन और दशाः विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

इस अध्ययन का उद्देश्य हरियाणा में कृषि उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा के निर्धारकों का मूल्यांकन करना है। प्रतिस्पर्धा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यवसाय–प्रतिष्ठान की क्षमता का मूल्यांकन करने और निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली अधिक जटिल और गहन प्रतिस्पर्धी स्थितियों के लिए तैयार रहने की स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। हरियाणा में कृषि उद्योग छोटे आकार के हैं और उनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसी इकाइयों के लाभ का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है क्योंकि संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और कृषि उद्योग की वर्तमान दशा भी इतनी तेजी से बदल रही है कि व्यवसाय–प्रतिष्ठान अपनी भावी सफलता का निर्धारण नहीं कर सकती है। इसलिए डायमंड फ्रेमवर्क ऐसा सशक्त मॉडल है जो व्यवसाय–प्रतिष्ठानकी वर्तमान और भावी दशाओं की जांच में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमने इस फ्रेम वर्क के उपयोग का निर्णय लिया है।

इस कार्य दल द्वारा विभिन्न कृषि उद्योगों के विश्लेषण के लिए हमने माध्य मानों का आकलन किया और आसानी से तुलना करने के लिए उन्हें 'बार' में फ्रेम किया। इस फ्रेम वर्क में प्रतिस्पर्धा के निर्धारक हैं: ***कारक शर्तें, मांग संबंधि शर्तें, फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिद्वंद्वता तथा संबंधित व सहायी उद्योग।*** इसके अतिरिक्त ***सरकार के प्रभाव*** की भी एक ओवरलैपिंग कारक के रूप में जांच की गई है।

इस उद्देश्य से हमने एक प्रश्नावली तैयार की जिसे हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि फर्मों के मालिकों, प्रबंधकों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ सभी हितधारकों से चर्चा करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया। यह रूचिकर है कि अधिकांश कारखाना मालिकों ने अपनी पहचान/व्यक्तिगत विवरण गुप्त रखने का अनुरोध किया। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि हम उनके व्यक्तिगत विवरण और उनसे संबंधित सूचना का खुलासा नहीं करेंगे। तद्नुसार उनसे केवल उनके व्यापार के कार्यों से संबंधित सूचना एकत्रित की गई। फर्मों की बिक्री और लाभप्रदता पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। कुल मिलाकर हमने 152 इकाइयों से सूचना एकत्र की जिनमें 25 चावल कारखाने, आटा चक्की की 25 इकाइयां, दाल कारखानों की 25 इकाइयां, खाद्य तेल कारखानों की 25 इकाइयां, ग्वार–गोंद कारखानों की 26 इकाइयां और दुग्ध संयंत्रों की 26 इकाइयां शामिल हैं। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई सूचना का चुने हुए विशेषज्ञों और फर्म के स्वामियों/प्रबंधकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार/विस्तृत चर्चाओं की सहायता से और अधिक सत्यापन किया गया।

एकत्रित सूचना को संकलित करके श्रेणीकृत किया गया। संरचनात्मक समीकरण मॉडल विकसित किया गया और आंशिक लघुत्तम वर्ग विधि के उपयोग द्वारा इसका आंकलन किया गया, ताकि सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण किया जा सके। हरियाणा में परिचालनशील चावल कारखानों, आटा चक्कियों, दाल मिलों, खाद्य तेल कारखानों, ग्वार–गोंद कारखानों और दुग्ध संयंत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में व्यक्तिगत फर्मों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया है। मॉडल का उद्योगवार उपयोग प्रस्तुत किया गया है तथा रिपोर्ट के अगले भागों में इन पर चर्चा की गई है।

4.1 हरियाणा में चावल उद्योग

चावल मिलीकरण एक विकसित होती हुई आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसके प्रसंस्करण में निरंतर सुधार हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश में और इसके साथ–साथ हरियाणा में भी चावल मिलीकरण में पुरानी और गैर–कारगर प्रौद्योगिकी के स्थान पर आधुनिक श्रेष्ठ कारखाने राज्य में स्थापित हुए हैं। चावल का मिलीकरण पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं के अधीन है, इसलिए बड़ी फर्मों से और अधिक प्रतिस्पर्धा तथा लाभ की अपेक्षा की जाती है। चावल धान का अंतिम उत्पाद है जो उत्पादन संबंधी विभिन्न कार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। चावल मिलीकरण प्रणाली का मूल उद्देश्य धान के भूसे और चौकर की परतें हटाना और खाने योग्य चावल के सफेद दाने तैयार करना है, इसे इस प्रकार पर्याप्त रूप से मिलीकृत किया जाता है कि सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। धान से अधिक चावल प्राप्त करने वाले आधुनिक कारखाने परंपरागत चावल कारखानों के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है।

हरियाणा में बड़ी मात्रा में विपणन योग्य अतिरिक्त धान का उत्पादन होता है। मिलीकरण प्रक्रिया में धान को चावल में बदलना और धान को चावल में बदलने में 70 प्रतिशत तक का अनुपात बनाए रखना है। इसका अर्थ यह है कि धान का

जो 30 प्रतिशत भाग बच जाता है वह काफी है (कुछ मामलों में तो यह 50% तक होता है)। यह अपेक्षाकृत कम मूल्य की चावल की भूसी, चावल के चोकर तथा अन्य सामग्री के रूप में होता है। परिवर्तन अनुपात की यह आर्थिकी ही यह निर्धारित करती है कि धान का प्रसंस्करण उत्पादन क्षेत्र के निकट किया जाना चाहिए, ताकि चावल के साथ–साथ कम मूल्य के भूसी और चोकर के महंगे परिवहन से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त चावल का मिलीकरण एक ऐसी गतिविधि है जो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलती है इसलिए इससे ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास प्रभावित हो सकता है।

वर्ष 2016 में लगभग 42 लाख टन लेवी योग्य धान मंडियों में पहुंचा तथा हरियाणा खरीद एजेंसियों के खरीद केन्द्रों में लगभग 41 लाख टन हिस्से की खरीद की। शेष 1.0 लाख टन कारखाना मालिकों और डीलरों द्वारा खरीदा गया। इस प्रकार, खरीद एजेंसियों ने केन्द्रीय पूल में लगभग 27.47 लाख मिलियन टन कस्टम मिलीकृत चावल का योगदान दिया।

4.1.1 खरीद एजेंसियां

हरियाणा में पांच खरीद एजेंसियां हैं, नामतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (लगभग 33%), हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) (लगभग 33%), भारतीय खाद्य निगम (लगभग 12%), हरियाणा कृषि उद्योग निगम (लगभग 10%) और हरियाणा भंडारागार निगम (लगभग 12%)। इन एजेंसियों ने प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा।

4.1.2 हरियाणा में चावल मिलीकरण नीति तथा विधियां

एक अनुमान के अनुसार राज्य में कार्यशील चावल कारखानों की संख्या 880 से 1250 के बीच है। यह कारखाने खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए लेवी योग्य धान और धान का कस्टम मिलीकरण खरीदती हैं। इस कस्टम कार्य को करने के लिए प्रत्येक चावल कारखाने को संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में पंजीकृत कराना होता है। चावल कारखानों का पंजीकरण वर्तमान में तीन वर्ष के लिए किया जाता है और वर्ष 2015–16 से इसका पंजीकरण शुल्क एकसमान बना हुआ है।जो चावल कारखाने धान का कस्टम मिलीकरण का कार्य करते हैं उन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न शर्तों, दशाओं और दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।

4.1.3 खरीद एजेंसियों द्वारा चावल कारखानों को धान का आवंटन

धान के कस्टम मिलीकरण के लिए चावल कारखानों को जिला मिलीकरण समिति द्वारा धान आवंटित किया जाता है। आवंटन के समय पिछले वर्ष के दौरान चावल का मिलीकरण करने वालों के निष्पादन का ध्यान रखा जाता है। मिलीकरण कर्ता पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार धान से प्राप्त होने वाले चावल का 67 प्रतिशत अनुपात बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चावल मिलीकरण करने वाला यदि श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अपनाता है और 67 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन अनुपात प्राप्त करता है तो उसे सरकारी नीति से प्राप्त परमिट से तत्काल लाभ मिलता है क्योंकि 67% से अधिक प्राप्त होने वाले चावल और अन्य उपोत्पादों पर उसका हक होता है।

4.1.4 मिलीकरण प्रभारों का भुगतान

हरियाणा में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति के अनुसार मिलीकरण प्रभार कच्चे और हल्का उबला (पारबॉइल्ड) चावल के लिए क्रमशः 10/–रु. और 20/–रु. प्रति क्विंटल धान है। सभी उपोत्पाद जैसे टूटा हुआ चावल, चावल की कन्नी (चावल की भूसी और चावल का चोकर आदि) भी चावल मिलीकरण करने वाले की संपत्ति होती है। चावल मिलीकरणकर्ता का सभी केन्द्रीय और राज्य के करों, शुल्कों, लेवी आदि के भुगतान का दायित्व होता है, जहां कहीं भी यह धान के मिलीकरण से प्राप्त उपोत्पादों पर भी लागू होता है, वहां उसे इसका भी भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त कच्चे चावल के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1% धान की सुखाई के प्रभार के रूप में भुगतान किए जाने की अनुमति है।

4.1.5 चावल, चावल के चोकर और भूसी के व्यापारी

वर्तमान प्रथा के अनुसार चावल कारखानों को मिलीकृत किया गया चावल पूर्व निर्धारित केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों को लौटाना होता है, इसलिए मिलीकरण कर्ताओं को इस संबंध में विपणन संबंधी कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। चावल का चोकर जो चावल मिलीकरण का एक मूल्यवान उत्पाद है, अधिकांशतः निकट के स्थानों में स्थित विलायक तेल निकालने वाली इकाइयों को बेचा जाता है। चावल के चोकर के उत्पादन का कुछ भाग स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से राज्य के बाहर भी भेजा जाता है। वर्तमान में राज्य में बड़ी संख्या में चावल चोकर के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। राज्य

में उत्पन्न अधिकांश चावल की भूसी बिजली बनाने के लिए बायलरों में ईंधन के रूप में जलाई जाती है जिसके लिए गैसीफायर और जेनेसेट का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त आवश्यकता पूरी होने के बाद ही अतिरिक्त मात्रा व्यापारियों को बेची जाती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा के चावल कारखाने, चावल की भूसी और चावल के चोकर सहित उपोत्पादों की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, चावल का चोकर चावल मिलीकरण उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण उपोत्पाद है। इसमें 18–20% वसा, 14–15% प्रोटीन तथा खनिजों व विटामिनों की कुछ मात्रा होती है। चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए सामान्यतः विलायक निष्कर्षण विधि का उपयोग किया जाता है। कच्चे चावल की भूसी के तेल का उपयोग साबुन, इनेमेल पेंट, वार्निशें, डिटर्जेंट, मैटल शोप और स्क्वालीन (त्वचा रोगों के उपचार के लिए) जैसे उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार, खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी का तेल कच्चे तेल को परिशोधित करके तैयार किया जा सकता है। चावल की भूसी से वाणिज्यिक रूप से उपयोग योग्य खाद्य तेल निकालने के लिए तत्काल व सावधानीपूर्वक साज–संभाल एक जरूरी पूर्व आवश्यकता है। तेल निकाली गई भूसी का उपयोग पशु आहार या उर्वरक के रूप में किया जा सकता है।

इसके साथ ही मिलीकरण उद्योग के उपोत्पाद के रूप में देश में चावल की भूसी की उपलब्धता की क्षमता लगभग 24 मिलियन टन/वर्ष है। पुनर्नव्य (बार–बार उपयोग में लाने योग्य) संसाधन के रूप में इसके उचित उपयोग से चावल की फसल का पर्याप्त मूल्य वर्धन हो सकेगा। चावल की भूसी में मौजूद दो प्रमुख घटक जैसे कार्बन और सिलिका से कई मूल्य वर्धित उत्पाद विकसित करना संभव है (क) मिट्टी पलवार, कुक्कुट पक्षियों की बिछावन, पार्टिकल बोर्ड, इंसुलेशन सामग्री, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसी गतिविधियों में भूसी का उपयोग। (ख) इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रोड्यूसर गैस, परफ्यूराल, एक्टिवेटिड चारकोल, लिग्निन, ऑक्ज़ेलिक अम्ल और बियर जैसे पेय सहित कई उत्पादों को शुष्क आसवन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन यौगिकों में बदलने में इसका उपयोग हो सकता है। (ग) चावल से सिलिका भी प्राप्त किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हरियाणा में अधिकांश चावल मिलीकरणकर्ता अपने उपोत्पादों से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करने के बारे में या तो जानते नहीं हैं या इसकी परवाह नहीं करते हैं।

4.1.6 चावल के निर्यातक

हरियाणा में 6.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बासमती चावल की खेती की जाती है। राज्य में बासमती चावल का उत्पादन लगभग 5.9 लाख टन है। इसका अर्थ यह है कि बासमती चावल की प्रति हैक्टेयर उपज बहुत अधिक नहीं है और इस चावल की फसल नाशीजीवों और रोगों के आक्रमण के प्रति भी संवेदनशील होती है। तथापि, इस चावल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है इसलिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी बहुत मांग है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बासमती चावल का अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत संकीर्ण है इसलिए उत्पादन में यदि थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो इसके मूल्य पर बहुत दबाव बढ़ जाता है। हरियाणा राज्य से बासमती चावल का ब्राण्ड निर्धारित करना बहुत आसान नहीं है, जबकि मांग और मूल्य का प्रबंधन करने के लिए ब्राण्ड बनाना अच्छा विकल्प है। इस दृष्टि से इस चावल का अच्छा मूल्य तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई निर्धारित ब्राण्ड हो। बासमती चावल के निर्यात में एक बाधा राज्य में मिलीकरण की पर्याप्त सुविधाओं का न होना है। यह समस्या चावल के मिलीकरण में अधिक क्षमता की उपलब्धता के कारण और भी जटिल हो जाती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की मांग अधिक होने के कारण इसके व्यापार की बहुत संभावना है। तथापि, हरियाणा में बासमती चावल उद्योग के गैर सुलझे हुए मुद्दे इसकी वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने के मार्ग में बाधक बन रहे हैं।

4.1.7 हरियाणा में चावल कारखानेः मुख्य जिले

चावल की खेती और चावल के कारखाने हरियाणा में राज्य के दक्षिणी भाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तथापि, चावल कारखानों के प्रमुख क्लस्टर करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल और अम्बाला में हैं। इस पट्टी में मोटे चावल के कारखाने और महीन लंबे दाने वाले बासमती चावल, दोनों के कारखाने हैं। इसके अलावा इन जिलों का विशेषकर करनाल और कुरूक्षेत्र में अनेक चावल कारखाने अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में चावल कारखाने पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और निर्धारित प्रसंस्करण मूल्य पर केवल सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धान का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार वे दावा करते हैं कि उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है और वे इस स्थिति से संतुष्ट हैं। दूसरे शब्दों में इन कारखानों के मालिक अपनी लाभप्रदता की संभावना को बढ़ाने में रूचि नहीं रखते हैं। जहां तक तेजी से परिवर्तित होती हुई गतिकी का संबंध है, राज्य के लिए

यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अनेक परंपरागत चावल कारखाने प्रतिस्पर्धाहीन हैं और निकट भविष्य में बंद हो सकते हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक बोझ पड़ेगा। इसलिए हमने इस मामले में व्यापक खोज करने का निर्णय लिया।

4.1.8 चावल मिलीकरण कर्ताओं की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमने हरियाणा में चावल कारखानों की प्रतिस्पर्धा के मूल्यांकन के लिए तैयार की गई प्रश्नावली और ढांचे के माध्यम से 26 कारखानों से सूचना एकत्र कीं। हरियाणा में चावल मिलीकरणकर्ताओं का मॉडल चित्र 2 और सारणी 4.1 में दिया गया है।

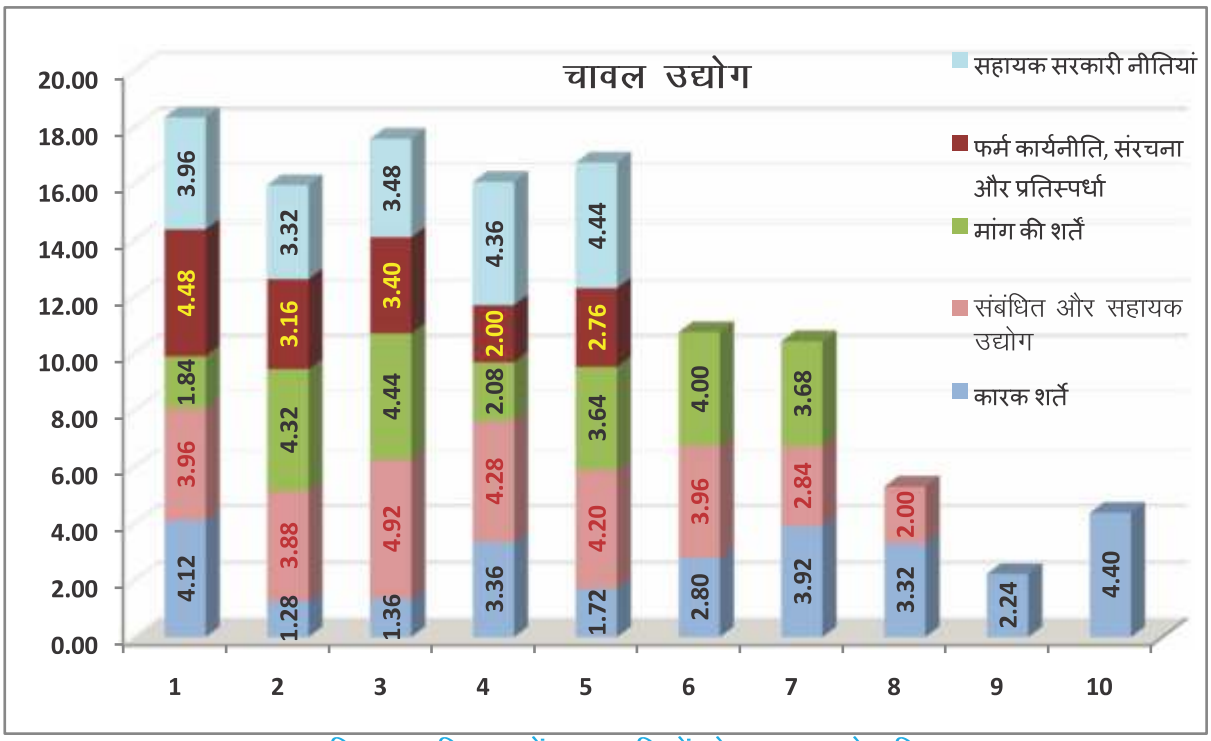

चित्र 2. हरियाणा में चावल मिलों के आकलन के परिणाम

सारणी 4.1. चावल कारखानों की विवरणात्मक सांख्यिकी

कारक शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	4.12	0.71
1.2	भूमि की लागत	1.28	0.45
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	1.36	0.48
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	3.36	1.57
1.5	बिजली की उचित लागत	1.72	0.72
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	2.80	1.62
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	3.92	1.29
1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.32	1.16
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	2.24	1.18
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	4.40	0.57
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	1.84	0.78
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.32	0.84
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.44	0.50

2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	2.08	1.29
2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.64	0.69
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	4.00	0.85
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं।	3.68	0.68
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.48	0.50
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.16	1.71
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.40	1.06
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।	2.00	1.30
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	2.76	1.58
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	3.96	1.08
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं।	3.88	1.11
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	4.92	0.27
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	4.28	1.08
4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपडेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	4.20	0.94
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	3.96	1.11
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक है।	2.84	1.08
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	2.00	1.13
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान हैं।	3.96	1.28
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं।	3.32	1.64
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं।	3.48	1.42
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली हैं।	4.36	0.79
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक हैं।	4.44	0.64

4.1.8क मांग संबंधी शर्तें

चावल मिलीकर्ताओं की मांग की शर्त का अर्थ है कि वे बाजार की मांग को किस प्रकार पूरा करते हैं। जैसी कि चर्चा की जा चुकी है अधिकांश कारखाना मालिक सरकारी एजेंसियों के लिए चावल का कस्टम मिलीकरण करते हैं जहां मिलीकरण करने वाले चावल का मिलीकरण करने के पश्चात् उसे एजेंसियों को लौटा देते हैं। तथापि, सरकारी नियमों के अनुसार मिलीकरण करने वाले 67% चावल लौटाते हैं और जो शेष सामग्री उपोत्पादों के रूप में बचती है उन्हें उसे अपने पास रखने की अनुमति होती है। इसलिए अधिक दक्ष कारखाने कुछ अतिरिक्त चावल प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि धान से चावल की प्राप्ति 67 प्रतिशत से अधिक हो और यदि श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए तो यह कठिन भी नहीं है, लेकिन हमारे अन्वेषण में अधिकांश मिलीकरण करने वालों की अच्छी तस्वीर नहीं पाई गई है। ऐसा लगता है कि

वे बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए उपोत्पादों के उपयोग या धान से चावल की वसूली की दर को सुधारने में रूचि नहीं रखते हैं।

किये गए आंकलन से यह संकेत भी मिलता है कि हरियाणा में मिलीकरण करने वालों द्वारा उपयुक्ततम बिक्री के लिए अपेक्षाकृत कम प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकांश मिलीकरण कर्ता अपनी उत्पादों को बड़ी मात्रा में बेचते हैं तथा ब्राण्ड बनाने या आधुनिक पैकेजिंग का उपयोग करने के प्रयास सीमित ही हैं। मूल्यों पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के परिणामस्वरूप चावल मिलीकरण करने वाले बिक्री के लिए अपनी विधियों के आधुनिकीकरण के बिना विद्यमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूल कर सकते हैं। विपणन तथा ब्राण्ड निर्माण से उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकता है और उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। तथापि, मिलीकरणकर्ता भारत में तथा भारत से बाहर अपने उत्पादों के लिए नए बाजार और ग्राहक खोजने में बहुत सक्रिय रहते हैं। बिक्री के पहले चावल की छंटाई और श्रेणीकरण से अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है और कुछ मिलीकरण करने वाले ऐसा करते भी हैं।

वास्तव में हरियाणा में चावल मिलीकरण कर्ताओं के लिए मांग की शर्तें इस अर्थ में बहुत अधिक अनुकूल नहीं दिखाई देती हैं कि हमारे आकलन संबंधी मॉडलों के विभिन्न चरों के सम्मिलित प्रभाव बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व और लाभ पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे वे निम्न मार्जिन परिलक्षित होते हैं जिस पर विक्रेता बड़ी मात्रा में उत्पादों के रूप में अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परंपरागत बिक्री की विधियों को त्यागे बिना मिलीकरण करने वाले अपना लाभ नहीं बढ़ा सकते हैं। तथापि, आधुनिक विपणन में उत्पाद(दों) की गुणवत्ता की श्रेष्ठता और निरंतरता की आवश्यकता है और यह तब तक संभव नहीं है जब तक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को सामान्य रूप से आधुनिक न बनाया जाए।

4.1.8ख कारक संबंधी शर्तें

डायमंड ढांचे में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक कारक शर्तें हैं। इस के अंतर्गत अपने विश्लेषण में हमने भूमि, श्रम, बिजली शक्ति, जल, सामान्य सुविधाओं, संस्थागत ऋण और कच्चे माल की उपलब्धता को शामिल किया है। चित्र 1 में दिए गए कारक दशाओं कीगणना से यह प्रदर्शित होता है कि कारक संबधीं शर्तें चावल मिलों में बाजार की दशाओं संबंधी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लाभ सुनिश्चित करने चावल मिलें पर्याप्त श्रेष्ठ और सहायक हैं। चावल मिलीकरण करने वाले भूमि, बिजली के कनेक्शन, अकुशल मजदूरों, तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों, सामान्य सुविधाओं, सीमांत कुशल व्यक्तियों और भूमि तथा बिजली की लागत जैसी सुविधाओं की उपलब्धता से संतुष्ट हैं।

तथापि, वे औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि और जल की अनुपलब्धता के साथ–साथ संस्थागत ऋण की अनुलब्धता न होने के कारण में वास्तव में प्रसन्न नहीं है। व्यक्तिगत चर्चा में यह बताया गया कि अधिकांश कारखाने उनकी अपनी जमीन पर हैं। इसलिए भूमि की लागत कोई मुद्दा नहीं है लेकिन विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता और भूमि की कीमत समस्या बन जाते हैं। इसी प्रकार, जल की उपलब्धता कुछ मामलों में महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह रूचिकर है कि हरियाणा में अधिकांश चावल मिलें अकेली व अलग–अलग इकाइयों के रूप में स्थापित हैं इसलिए बिजली और पानी के कनेक्शन कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अनेक कारखाना मालिक और अधिक सामान्य परीक्षण सुविधाएं चाहते थे।

4.1.8ग. फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा

सिद्धांत में यह कहा गया है कि व्यापार की कार्यनीति और संरचना एक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हरियाणा में चावल मिलीकरण के मामले में अधिकांश इकाइयां छोटी हैं और असंगठित क्षेत्र का अंग हैं। ऐसी इकाइयों की कार्यनीति सामान्यतः अल्प समय में अधिक से अधिक लाभ लेना रहती है। आर्थिक पुस्तकें यह बताती हैं कि अल्पावधि लाभ को सर्वाधिक करने से गुणवत्ता और ग्राहक की संतुष्टि की उपेक्षा होती है और अवसरवादिता को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार, नतीजो से यह परिकल्पना की गई है कि अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता से उद्योग में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है।

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि चावल कारखानों के मालिक प्रतिस्पर्धा की कीमत पर निष्पादन में सुधार पर विश्वास नहीं करते हैं। जहां तक प्रबंधन विधियों का संबंध है, यह पाया गया कि चावल का मिलीकरण करने वाले नकद बजट तैयार करने के बारे में गंभीर थे। परामर्श सेवाओं के लिए वे अधिकांशतः सनदी लेखाकारों पर निर्भर थे। वे व्यापार में अपना लाभ बढ़ाने के लिए नकद बजट तैयार कर रहे थे। वे यह भी अनुभव करते हैं कि उनके व्यापार में, विशेष रूप से

जीएसटी (माल एवं सेवा कर) के लागू होने के बाद सनदी लेखाकारों का परामर्श अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तथापि, परिचालन तथा प्रबंधन विधियों को सुधारकर लागत कम करने के बहुत कम प्रयास किए गए हैं।

4.1.8घ. संबंधित एवं सहायी उद्योग

संबंधित सहायी उद्योग किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। क्लस्टर प्रणाली को बढ़ावा देने का कारण और सहायी सेवाओं की कारगर और प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तद्नुसार तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन, भंडारागारों की उपलब्धता, ठोस कचरा उपचार संयंत्र, संयंत्र से जुड़ी सड़कें, चावल मिलीकरण से संबंधित तकनीकी और प्रबंधन पर परामर्शकारी विशेषज्ञता की उपलब्धता, सौर ऊर्जा, वर्षा संग्रहण आदि जैसी सुविधाओं के विश्लेषण में और इसके साथ ही ब्राण्ड निर्माण, प्रौद्योगिकी सोर्सिंग, नए बाजारों की खोज और वस्तु सूची प्रबंधन में सुधार जैसी सुविधाओं के विश्लेषण में इन सभी पहलुओं की जांच की गई।

विश्लेषण के परिणामों से यह सुझाव मिलता है कि संबंधित एवं सहायी उद्योग का सकल परिदृश्य राज्य में अच्छी स्थिति में नहीं है। अधिकांश सहायी सेवाएं उचित रूप में उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार मिलीकरण करने वाले अपने संयंत्रों और मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं की दया पर निर्भर करते हैं। मशीनरी/संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं के दावों और प्रतिदावों का मूल्यांकन करने, ब्राण्ड निर्माण, मानव संसाधन नीति एवं निधियों में सुधार, गैर परंपरागत स्रोतों से धन की प्राप्ति आदि जैसे पहलुओं के मूल्यांकन के लिए मिलीकरण करने वालों के पास बहुत कम व्यावसायिक और विश्वसनीय विशेषज्ञता उपलब्ध है। यह आश्चर्यजनक है कि हरियाणा बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और अधिकांश निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अनुभव है। इसके बावजूद परामर्शदात्री सेवाएं वास्तव में उस स्तर की नहीं हैं जिस स्तर की होनी चाहिए।

4.1.8ड. सहायी सरकारी नीतियां

सरकारी नीति किसी उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चावल का मिलीकरण करने वालों के मामले में यह देखा जा सकता है कि उन्हें अपना व्यापार चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने या उसका नवीकरण कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः चावल मिलीकरण कर्ता अपने उत्पादों और कच्चे माल के बारे में सरकारी नियमों और विनियमों से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। वे यह शिकायत करते हैं कि धान आबंटित करने की नीति तर्कसंगत नहीं है और इसमें भेद–भाव के कारण भ्रष्टाचार हो सकता है। यह आपत्ति भी थी कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में मंडी शुल्क अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ मिल मालिकों ने इस तथ्य के उजागर किया कि उन्हें जिन कुछ विभागों/अधिकारियों से कार्य रहता है वे समस्याएं खड़ी करते हैं इसलिए एकल खिड़की प्रणाली होनी चाहिए।

4.1.9 निष्कर्ष

- कुल मिलाकर हरियाणा में चावल कारखाने एक ऊर्जावान व्यापार है जिसमें भविष्य में बहुत क्षमता है लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश कारखाना मालिक अपने परिचालन का आधुनिकीकरण करने तथा अपने उत्पाद की गुणवत्ता और लाभप्रदता को सुधारने में रूचि नहीं रखते हैं। वे सरकारी एजेंसियों के लिए चावल का कस्टम मिलीकरण बनाए रखते हैं। चूंकि चावल मिलें पैमाने और संभावना के अर्थशास्त्र का विषय है, इसलिए उनका आकार इतना बड़ा हो, उतना ही अधिक लाभ भी प्राप्त होता है।

- इसके अतिरिक्त, चावल का चोकर और चावल की भूसी चावल मिलीकरण का मूल्यवान उपोत्पाद हैं जिनका वास्तविक महत्व हरियाणा के कारखाना मालिकों ने अभी तक नहीं समझा है। जैसी कि चर्चा की जा चुकी है, चावल की भूसी का तेल भारत और विदेश में अधिक से अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और हाल ही में हरियाणा में चावल के चोकर के तेल के स्वतंत्र कारखाने स्थापित हुए हैं। तथापि, चावल का मिलीकरण करने वाले तेल निकालने के उद्देश्य से चावल के चोकर का उपयोग करके अपने लाभ के मार्जिन को सर्वाधिक करने की संभावना पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

- सरकार को राज्य में चावल कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार में सहायता देते हुए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- सरकार भौगोलिक रूप से परस्पर जुड़े हुए स्थानों में चावल मिलीकरण को बढ़ावा देने तथा चावल की भूसी के कच्चे तेल के विनिर्माण के लिए उपोत्पादों के और कारगर उपयोग के लिए क्लस्टरीकरण को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करनी चाहिए। इन उपोत्पादों का साबुन, इनेमल पेंट, वार्निश, डिटर्जेंट,

मेटल शोप और स्क्वालीन (त्वचा रोगों के उपचार के लिए) और साथ ही खाद्य परिशोधित चावल चोकर के विनिर्माण में इनका और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार को चावल की भूसी से कार्बन और सिलिका निकालने के लिए विनिर्माण संयंत्रों को बढ़ावा देने की योजना बनाने चाहिए तथा पार्टिकल बोर्ड, इंसुलेशन सामग्री, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित करने के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

4.2 हरियाणा में आटा चक्कियां

आटा चक्की उद्योग को दो श्रेणियों मे बांटा जा सकता है – संगठित क्षेत्र जिसमें वाणिज्यिक मिलीकरण कार्यों में शामिल रोलर आटा चक्कियां हैं और असंगठित क्षेत्र जिसमें मुख्यतः चक्कियां हैं। वर्ष 1950 में भारत में 54,000 चक्कियां थीं जिनसे लगभग 5 मिलियन टन गेहूं उत्पाद तैयार होते थे। वर्तमान में देश में 2.8 मिलियन से अधिक चक्कियां हैं जिनसे 45 मिलियन टन से अधिक गेहूं उत्पाद, मुख्यतः आटा तैयार होते हैं (रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2015)। बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट किया गया है कि पूरे देश में लगभग 2000 रोलर आटा चक्कियां काम कर रही हैं जिनमें से लगभग 600 के पास पंजीकृत ट्रेडमार्क है। शेष 1400 रोलर आटा चक्कियां ब्रेड या अन्य प्रसंस्कृत खाद्य विनिर्माताओं के लिए फुटकर मात्रा में बिक्री हेतु आटा, मैदा और बेसन के उत्पादन में लगी हैं। इन आटा चक्कियों की स्थापित क्षमता 70 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है। रोलर आटा चक्की क्षेत्र द्वारा देश में खपत होने वाले कुल गेहूं का लगभग 12–15 प्रतिशत प्रसंस्कृत किया जाता है, शेष मात्रा पत्थर वाली चक्कियों से प्रसंस्कृत किया जाता है। आटा मिलीकरण उद्योग का प्रमुख भाग छोटे पैमाने के क्षेत्र में है।

4.2.1 भारत में आटा चक्कियों की संख्या और क्षमता

सारणी 4.2 में विभिन्न वर्षों में आटा चक्कियों की संख्या और क्षमता दर्शायी गई है। यह स्पष्ट है कि चक्कियों की संख्या और क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। रोलर आटा कारखाने गेहूं को मैदा, सूजी, आटा और चोकर में बदलने के लिए गेहूं को प्रसंस्कृत करते हैं। रोलर आटा इकाइयां विभिन्न सरकारी वितरण (लक्ष्य समूह को गेहूं का आटा) कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चोकर–युक्त आटा उत्पन्न करती हैं।

4.2.2 हरियाणा आटा चक्कियां

हरियाणा में कुल उपलब्ध गेहूं का अपेक्षाकृत बहुत कम भाग रोलर आटा कारखानों और वाणिज्यिक चक्कियों द्वारा पीसा जाता है। वास्तव में अनेक लाइनों से युक्त वाणिज्यिक चक्कियां आटा पिसाई खंड का एक भाग हैं और इन्हें शासकीय स्तर पर उद्योग के रूप में पंजीकृत कराना होता है। वर्तमान में अनेक लाइनों से युक्त लगभग 125–130 वाणिज्यिक चक्कियां हैं जिनमें से अनेक आटा से चोकर अलग करने के लिए सिफ्टर/ग्रेडर से युक्त हैं। इनमें से अनेक इकाइयों में पैकेजिंग की अपनी सुविधाएं हैं। अनेक वाणिज्यिक चक्कियां गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में पंजीकृत हैं। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि वाणिज्यिक चक्कियां व्यावसायिक प्रबंधन विधियों का बहुत कम पालन करती हैं जिनमें उपज की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा आदि जैसे पहलू शामिल हैं। स्पष्ट है कि लगभग सभी मामलों में गुणवत्ता मानक की जांच करने की उनकी अपनी सुविधाएं नहीं हैं और इसलिए उनके उत्पादों की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय है।

4.2.3 रोलर आटा चक्कियां

हरियाणा में वर्तमान में लगभग 40–45 रोलर आटा चक्कियां कार्यशील हैं। ध्यान देने योग्य है कि इनमें से अधिकांश अपनी कुल क्षमता की 40–50 प्रतिशत कम क्षमता पर कार्य कर रही हैं। रोलर आटा चक्कियां सामान्यतः 45–50% मैदा (गेहूं का महीन आटा), 2 से 5% सूजी, 20 से 25% आटा और 20 से 25% चोकर या भूसी उत्पन्न करती हैं। हरियाणा में रोलर आटा चक्कियां की गेहूं खरीद के लिए उच्च टैक्स संरचना की शिकायत है। वास्तव में, हरियाणा में कारखाना मालिक किसानों से सीधे गेहूं नहीं खरीद सकते हैं इसलिए उन्हें मंडी टैक्स और आढ़तियों का कमीशन देना पड़ता है जिससे उनकी खरीद लागत 4–5 प्रतिशत बढ़ जाती है और यह राशि प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में लाभ बढ़ाने में बाधक सिद्ध होती है।

सारणी 4.2 भारत में आटा चक्कियों की संख्या और क्षमता

वर्ष	संख्या	वार्षिक क्षमता (मिलियन टन में)
2005	997	21.61
2006	554	33.41
2007	889	32.21
2008	671	33.42
2009	799	43.22
2010	900	39.44
2011	970	46.78
2012	998	66.54
2013	1050	56.88
2014	1411	70.34
2016	लगभग 2000	लागू नहीं

स्रोतः रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2015

गेहूं मिलीकरण 1 कि.ग्रा. गेहूं पीसने की अनुमानित लागत और पैमाने व संभावना का अर्थशास्त्र है तथा नीचे दी गई सारणी 4.3 में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि बड़ी इकाइयों को इस संदर्भ में लाभ प्राप्त है। लागत मुख्यतः क्षमता उपयोग पर निर्भर करती है। सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपभोग के अलावा रोलर आटा चक्कियां द्वारा उत्पन्न मैदा, सूजी ब्रेड, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं मिलीकरण से प्राप्त होने वाला चोकर कुक्कुटों का अच्छा आहार बन सकता है।

सारणी 3. एक कि.ग्रा. गेहूं को आटे में परिवर्तित करने की लागत (रुपयों में)

छोटी आटा चक्की	5.42 से 7.38
वाणिज्यिक आटा चक्की	3.58 से 4.85
रोलर आटा चक्की (चक्की बैंक)	3.38 से 3.79
आधुनिक चक्कियां (130 टन प्रतिदिन)	2.23 से 3.06
आधुनिक चक्कियां (150 टन प्रतिदिन)	2.10 से 2.71

पैकबंद गेहूं के आटे की बिक्री भारत में एक क्रांतिकारी कदम जैसा है क्योंकि अधिकांश ग्रहणियां अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में स्थानीय चक्कियां में पिसा हुआ गेहूं का ताजा आटा पसंद करती हैं। 'शक्ति भोग आटा' एक प्रमुख ब्राण्ड था (1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में)। पिल्सबरी एक अन्य राष्ट्रीय ब्राण्ड है (1998 में)। निकट भविष्य में या आगे चलकर इस प्रवृत्ति में वृद्धि को अनुभव करके अनेक पक्ष पैकबंद आटा के व्यापार से जुड़े। यहां तक कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर निजी ब्राण्ड उभरकर सामने आए। उल्लेखनीय है कि अधिकांश रोलर आटा चक्कियों ने अपनी विद्यमान रोलर आटा चक्कियों के संयंत्र में आटा तैयार करने के लिए अन्य चक्की संयंत्र स्थापित किए हैं, ताकि भारतीय उपभोक्ताओं के विशिष्ट स्वाद और पसंदों को पूरा किया जा सके। आशीर्वाद ब्राण्ड वाला इंपीरियल टोबैको कंपनी (आईटीसी) इस श्रेणी में अग्रणी है जिसकी मासिक बिक्री 1,00,000 टन से अधिक है।

हरियाणा में देश के शेष भागों की तरह उपभोक्ताओं का व्यवहार पैक बंद गेहूं के आटे को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उल्लेखनीय है कि पैकबंद आटे को घटिया गुणवत्ता का माना जाता है। इसका मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है जिससे उपभोक्ता इस ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। अन्य कारण आटे का ताजापन और स्वाद हैं। कुछ हद तक यह धारणा सही भी है। वास्तव में, अब संगठित क्षेत्र ने सम्पूर्ण गेहूं के आटे के लिए स्थानीय पसंद की उपेक्षा करते हुए गेहूं का महीन आटा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अनेक ब्राण्ड रहित स्थानीय गेहूं आटा उत्पादकों ने अनुचित लाभ कमाने के लिए वास्तव में घटिया गुणवत्ता का आटा उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।

4.2.4 गेहूं आटा उद्योग की भावी संभावनाएँ

हरियाणा में तेजी से होते शहरीकरण, लोगों की शिक्षा के स्तर में सुधार, शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण पैक बंद गेहूं के आटे की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रिंट तथा अन्य दृष्टव्य माध्यमों के द्वारा गुणवत्ता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा जैसे कारकों के व्यापक विज्ञापन इस प्रकार के आटे की बिक्री को बढ़ाने में सहायक हैं। राष्ट्रीय खाद्य नीति को तैयार करने में सरकार के अनुकूल दृष्टिकोण के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि तेज हुई है। आधुनिक रिटेल फार्मेट के बढ़ने, आय में वृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आने के कारण इस श्रेणी में निःसंदेह रूप से वृद्धि हो रही है। ब्रेड और बिस्कुट के लिए मांग के 10–15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) तक बढ़ने की अपेक्षा की जा सकती है जिससे गेहूं के आटे की मांग को बढ़ाया जा सकता है।

मार्च 2018 में हरियाणा राज्य सरकार ने लौह, फॉलिक अम्ल और विटामिन बी–12 से भरपूर आटे का एक जिले के दो ब्लॉकों में वितरण आरंभ किया और इस प्रकार, यह आटा 1,77,000 लोगों तक पहुंचा। हरियाणा सरकार की योजना पूरे राज्य में अंततः 12 मिलियन लोगों तक पहुंचने की है। *(http://ffinetwork.org/regional_activity/india.php).* इसका अर्थ यह है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए सरकार की गेहूं के आटे की मांग निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है। इस सबसे गेहूं आटा उद्योग की वृद्धि का संकेत मिलता है लेकिन कुशलता, लागत प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में निरंतरता जैसे पहलू आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

उद्योग की विशेषताएं

- निम्न मूल्य वर्धन, आयतन संचालित व्यापार
- आटा चक्कियों के लिए पहुंच योग्य बाजार स्थानीय होते हैं।
- 200 कि.मी. से अधिक लंबी दूरी होने पर मालभाड़ा मूल्य की दृष्टि से उत्पाद को प्रतिस्पर्धाहीन बना देता है।
- गेहूं के आटे के विशेष प्रकार के उत्पादों की मांग स्थानीय स्वादों के अनुसार अलग–अलग होती है।
- प्रवेश बाधाएं इस क्षेत्र की एक कमी हैं।
- विभिन्न उत्पादों की दिशा में सीमित प्रयासों के कारण उत्पाद के मूल्य कम हो जाते हैं।

वास्तव में, कृषि संबंधी श्रेष्ठ पद्धति, निर्माण संबंधी श्रेष्ठ पद्धति और श्रेष्ठ स्वच्छता संबंधी पद्धति, पर्यावरण की स्थिरता, स्वीकार्य योग्य स्वच्छता, गुणवत्तावार निरंतरता, विनिर्माण की सुरक्षित और नैतिक विधियों पर अधिक ध्यान देना पड़ता है और ये राज्य में परंपरागत आटा चक्कियों के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

4.2.5 उत्पादों के लिए बाजार

रोलर आटा चक्कियों से निकलने वाले कुल उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की भारतीय चपातियां तथा अन्य व्यंजन तैयार करने में परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष उपभुक्त होते हैं। शेष बचा उत्पाद द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है जहां बेकरी और कांफेक्शनरी उत्पादों (ब्रेड, बिस्कुट व अन्य उत्पादों), पास्ता उत्पादों (मैकरोनी, स्पैघेट्टी आदि) स्वल्पाहार व्यंजन तथा अन्य तत्काल उपभोग में आने वाले खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं (रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 2015)। हरियाणा की आटा चक्की के क्षेत्र की तैयारी की जांच के उद्देश्य से हमने राज्य के 25 रोलर आटा चक्कियों से प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्र की तथा विश्लेषण से प्राप्त परिणाम नीचे दिए जा रहे हैं।

4.2.6 आटा चक्कियों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

4.2.6क. मांग संबंधी शर्तें

जैसा कि चावल कारखानों के मामले में है हरियाणा में रोलर आटा चक्कियां परंपरागत और रूढ़िवादी विधियों को अपनाकर मांग की पूर्ति करते हैं और छंटाई, श्रेणीकरण तथा गेहूं के आटे की पैकेजिंग में सुधार करके आटा चक्कियों की बिक्री में सुधार के बहुत सीमित प्रयास किए जाते हैं। वास्तव में, चक्की मालिक अपने विभिन्न उत्पादों में भेद करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी मूल्य निर्धारण शक्ति और उन्हें मिलने वाला लाभ, दोनों कम हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकांश आटा चक्की मालिक व्यापार पृष्ठभूमि के हैं तथा आटा पीसने का कार्य अपने व्यापार के विस्तार के रूप में लेते हैं। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि मूल्यवर्धन तथा लाभ में सुधार का

लगभग कोई प्रयास नहीं किया जाता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश चक्की मालिक घटिया गुणवत्ता (कम मूल्य के) गेहूं को पीसकर आटे की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं और इस प्रकार, अपनी लागत घटाकर लाभ बढ़ा लेते हैं। वर्तमान में, उपज के निर्धारीकरण के साथ गहन प्रतिस्पर्धा, उनके लाभ तथा लंबे समय तक व्यापार में बने रहने पर बहुत दबाव डालती है।

सारणी 4.4: आटा चक्कियों की विवरणात्मक सांख्यिकी

कारक शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	4.12	1.31
1.2	भूमि की लागत	3.92	1.11
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	2.35	1.24
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	4.42	0.57
1.5	बिजली की उचित लागत	1.46	0.50
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	1.62	
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	4.31	0.67
1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.23	1.31
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.73	1.13
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	4.08	0.87
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	3.62	1.11
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.27	0.71
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.50	0.57
2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पादनों के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	3.81	1.14
2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.00	1.07
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	3.65	1.00
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं।	1.88	0.89
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.69	0.46
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.16
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.06
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।	3.96	1.16
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.81	1.00
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	2.00	0.73
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं।	3.96	1.13
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	4.46	0.57
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	3.46	1.12

4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपड़ेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	3.58	1.15
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	3.85	1.17
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक है।	1.69	0.82
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	2.38	1.33
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान है।	4.31	0.61
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं।	1.88	0.85
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं।	1.58	0.57
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली है।	4.35	0.68
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक है।	4.46	0.63

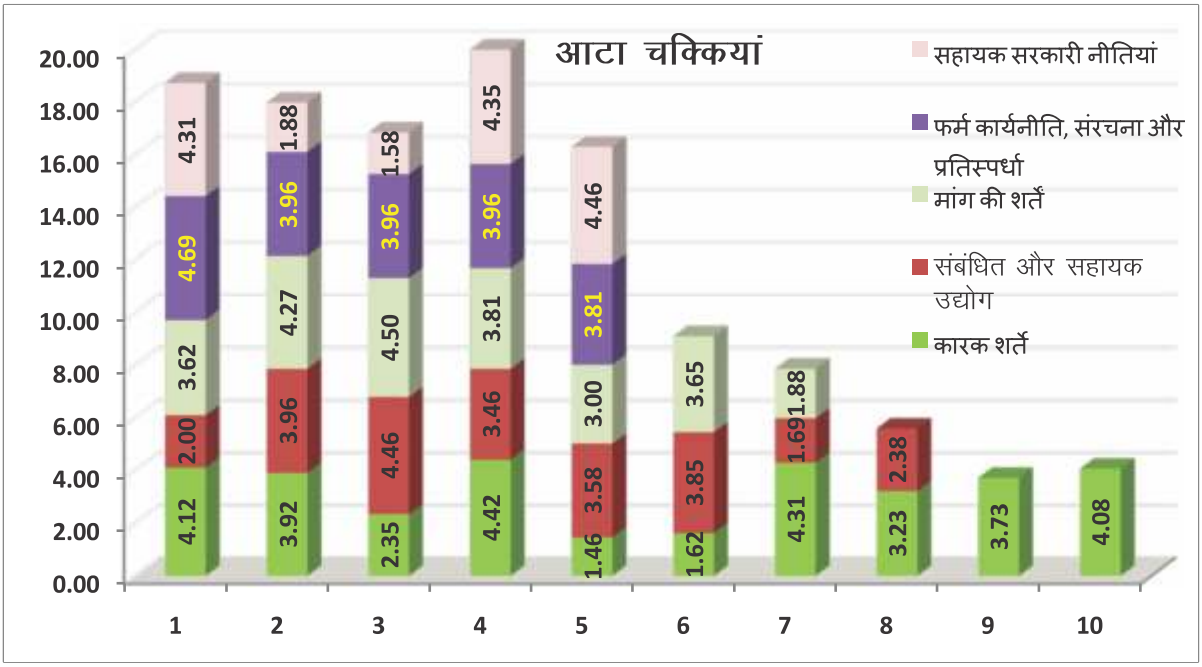

चित्र 3. हरियाणा में आटा मिलों के आकलन के परिणाम

वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक चक्की मालिक छोटे पैक में (5/10 कि.ग्रा. के) स्थानीय बाजारों में अपना उत्पाद बेचने का प्रयास कर रहे हैं और उनके कोई विशेष ब्रांड नहीं है लेकिन वस्तु एवं सेवा टैक्स के लागू होने से इस स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे निपटने के लिए वस्तु एवं सेवा टैक्स परिसर ने खुले और पंजीकृत लेकिन बिना ट्रेड मार्क वाले ब्राण्ड के पैक पर शून्य शुल्क घोषित कर दिया है जिससे अनेक पंजीकृत ट्रेडमार्क ब्राण्डों में अपने लाइसेंस निरस्त करा दिए हैं, ताकि वे टैक्स के जाल से बाहर आ सकें। ये कारखाने न तो स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों में अपने ब्राण्ड पंजीकृत करा रहे हैं और न ही अपने ब्राण्ड को मान्यता देने के लिए कोई ट्रेड मार्क ले रहे हैं। तथापि, वे स्थानीय होने का दावा करते हुए ब्राण्ड के अंतर्गत अपने उत्पाद बेच रहे हैं।

तथापि, आटा चक्कियों की कर के भुगतान से बचने के लिए अपने लाइसेंसकृत ब्राण्ड को त्यागने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जीएसटी परिषद में 10 सितम्बर 2017 को यह स्पष्ट किया कि जो ब्राण्ड 15 मई 2017 तक पंजीकृत हैं, उन्हें

5% वस्तु एवं सेवा टैक्स देना होगा, भले ही उन्होंने अपने ब्राण्ड को बाद में गैर पंजीकृत करा लिया हो। वस्तु एवं सेवा टैक्स परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वत्वाधिकार अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत ब्राण्ड को भी 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा टैक्स देना होगा। इस स्पष्टीकरण से सितम्बर में सभी ब्राण्ड 5% वस्तु एवं सेवा टैक्स कर के अंतर्गत आ गए और यह 1 जुलाई 2017 अर्थात वस्तु एवं सेवा टैक्स के लागू होने की तिथि से कार्यान्वित हो गया। इस प्रकार की जटिलताओं के कारण अनेक आटा चक्की मालिकों ने ब्राण्ड का उपयोग करना बंद कर दिया और कई मामलों में तो आटा चक्कियां ही बंद कर दीं।

चित्र 3 में मांग संबंधी शर्तों के गुणांक के निम्न मूल्य से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों की प्रतिस्पर्धा में मांग संबंधी शर्तों का बहुत कम योगदान और महत्व है। ध्यान देने योग्य है कि रोलर आटा चक्कियां अपने उत्पाद में सुधार के लिए उत्पादों को मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाने की दिशा में बहुत कम योजना बनाते हैं या प्रयास करते हैं। इसी प्रकार, उपोत्पादों के उपयोग के मामले में भी लाभप्रदता को सुधारने की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.2.6ख. कारक शर्तें

यह सामान्य बात है कि कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता, योग्य श्रमिक, आसान शर्तों पर संस्थागत ऋण की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी से इस उद्योग द्वारा बेहतर निष्पादन किए जाने में सहायता मिलती है। इसलिए दूसरे घटक, कारक शर्तों की हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों के संदर्भ में जांच की गई। चित्र 3 में कारक शर्तों का कम स्कोर यह दर्शाता है कि यह बहुत थोड़ा अनुकूल है। यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है क्योंकि हरियाणा को गेहूं के पर्याप्त विपणन योग्य सरप्लस राज्य के रूप में जाना जाता है। पूरे ग्रामीण हरियाणा में श्रम भी काफी मात्रा में उपलब्ध है तथा रोलर आटा चक्कियों की प्रौद्योगिकी भी बाजार में उपलब्ध है। तथापि, विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा के अलावा प्रश्नावली से प्राप्त की गई सूचना से इस विषय की मिश्रित तस्वीर दिखाई देती है जिससे हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों का अपेक्षा से कम कारक शर्तें स्कोर स्पष्ट हुआ है।

ध्यान देने योग्य है कि अनेक रोलर आटा चक्कियों के मालिकों ने यह खुलासा किया कि लगभग सभी गेहूं सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है, इसलिए हरियाणा में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं आया। इसे देखते हुए अधिकांश चक्की मालिकों ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे अपने पड़ोसी राज्यों से अपने कच्चे माल (गेहूं) के कुछ भाग को प्राप्त करने की व्यवस्था की, क्योंकि इन राज्यों में गेहूं का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम था। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हरियाणा में कच्चा माल महंगा है और चक्की मालिक अपनी आपूर्ति अन्य राज्यों से प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार, हरियाणा में अकुशल श्रमिक भी अपेक्षाकृत महंगे हैं। तकनीकी श्रमिकों की व्यवस्था भी बाहर से की गई और इस प्रकार, स्थानीय रोलर आटा चक्कियों के उत्पादों की लागत बढ़ी।

चावल कारखानों के समान विद्यमान भूमि उद्यमियों की अपनी है, इसलिए भूमि की लागत कोई मुद्दा नहीं है लेकिन अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर यह बहुत महंगी मिलती है। बिजली व शक्ति के अन्य स्रोत भी महंगे हैं। परीक्षण की सामान्य सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। कुल मिलाकर रोलर आटा चक्की मालिक भूमि, जल, कुशल और अकुशल मजदूरों की उपलब्धता आदि के बारे में संतुष्ट हैं। चक्की मालिकों की मांग कम मूल्य पर बिजली दिलाने की थी तथा बिजली के कनेक्शन लेने या अतिरिक्त लोड स्वीकृत कराने में आने वाली कठिनाइयों की भी अनेक शिकायतें की गईं। उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने में भी समस्या आती है। चक्की मालिकों ने अनावश्यक रूप से उच्च मंडी शुल्क का मुद्दा उठाया और बताया कि आढतियों के कमीशन के कारण भी चक्की मालिकों की लागत बढ़ती है जिससे उनका लाभ और टिकाऊपन प्रभावित होते हैं।

4.2.6ग. फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा

हरियाणा में अधिकांश रोलर आटा चक्कियां छोटे पैमाने की इकाइयां हैं। इनमें व्यावसायिक प्रबंधन की कमी है और ये पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। वास्तव में, चक्की मालिकों का मुख्य ध्यान कच्चे माल के प्रसंस्करण पर अधिक है तथा वे अपने व्यापार के मामलों का प्रबंधन नेमी (रूटीन) से करते हैं। आश्चर्यजनक है कि जैसे ही उनके सामने प्रतिकूल स्थिति आती है उनकी प्रतिक्रिया बाहरी ताकतों पर आक्षेप लगाने की होती है और समस्या से निपटने के लिए विकल्प खोजने की बजाय बेचैन तो रहते हैं लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसी प्रकार, हमने उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन लाकर, नए बाजार खोजकर, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्राण्ड तैयार करने और दक्षता बढ़ाने

के उपाय अपनाते हुए उन्हें लागत की व्यवस्था करने व मूल्य वर्धन की युक्ति अपनाने के लिए कोई पूर्व सक्रिय प्रबंधन विधि खोजने का प्रयास करते हुए नहीं पाया है। आश्चर्य नहीं कि चित्र 3 इस तथ्य का संकेत देते हैं कि रोलर आटा चक्कियों का फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा घटक वास्तव में हरियाणा में सशक्त नहीं है। यह कह सकते हैं कि सबसे कम सशक्त है।

रोलर आटा चक्कियों के मालिकों की अनुक्रिया यह स्पष्ट दर्शाती है कि उन्होंने नए बाजारों की खोज करने, अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और/अथवा श्रेष्ठ प्रबंधन विधियां अपनाने, आदि की दिशा में योजना बनाने के अधिक प्रयास नहीं किए। जैसा चावल कारखानों के बारे में था। रोलर आटा चक्कियां भी वित्तीय परामर्श के अलावा विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाओं के लिए सनदी लेखाकारों या सीए पर निर्भर हैं। रोलर आटा चक्कियों का वित्त विभाग न तो बहुत सशक्त है और न ही आधुनिकीकृत। इसी प्रकार, लागत को न्यूनतम करने या कुछ अन्य रणनीतिकउद्देश्यों की पूर्ति के लिए वस्तु सूची को उपयुक्ततम बनाने के भी सीमित प्रयास किए जाते हैं। ऋण नीति सहित अधिकांश अपनाई जाने वाली वित्तीय विधियां लीक पर चले आ रहे नियम पर आधारित हैं। तथापि, राज्य में रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य कुछ हद तक शुरू हो गया है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों की स्थिति कार्यनीति प्रबंधन के आयाम की दृष्टि से बहुत सशक्त नहीं है। अतः यह दिखाई देता है कि संगठित क्षेत्र की बड़ी रोलर आटा चक्कियां अपने भावी टिकाऊपन से बहुत असंगठित क्षेत्रों की छोटी आटा चक्कियों को क्षति पहुंचा सकती हैं।

4.2.6घ. संबंधित और सहायी उद्योग

जैसा कि अपेक्षित है, रोलर आटा चक्कियों के मालिक हरियाणा में उनके संयंत्रों के सड़कों से जुड़े होने की दशा से बहुत संतुष्ट हैं। यह रुचिकर है कि उन्हें संस्थाओं और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से तकनीकी परामर्श सहायता लेनी शुरू कर दी है। इस दावे को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि सामान्य रूप से रोलर आटा चक्कियों में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी पर्याप्त अपडेट नहीं है। इसी प्रकार, ठोस कचरा प्रबंधन की उपलब्धता के बारे में भी संतोष व्यक्त किया गया। इसलिए इन मुद्दों पर और अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत रोलर आटा चक्की मालिकों ने यह सूचित किया कि भंडारागार संबंधी सुविधाएं तथा अन्य सामान्य सुविधाएं अच्छी हालत में नहीं। वास्तव में रोलर आटा चक्कियों की यह समस्या चावल कारखानों की समस्या के समान है क्योंकि अधिकांश इकाइयां स्टैंडएलोन व्यापार के रूप में स्थापित की गई हैं जबकि सामान्य सुविधाएं तथा अन्य परामर्शदायी सेवाएं तभी प्राप्त हो सकती हैं यदि वांछित मांग की न्यूनतम क्रांतिक मात्रा प्रस्तुत की जाए। वस्तुतः भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुदानित दरों पर भंडारागार, परीक्षण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं हैं, बशर्ते कि इकाइयों की संख्या पर्याप्त अधिक हो। इसलिए यह परामर्श दिया जाता है कि उन विभिन्न स्थानों पर छोटे–छोटे फूड पार्क विकसित किए जाएं जहां कम से कम कुछ रोलर आटा चक्कियां पहले से चल रही हों।

4.2.6ङ. सहायी सरकारी नीतियां

हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों की सहायता में सरकार की भूमिका के संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि कारखाना मालिक लाइसेंस नवीकरण की क्रिया की काफी सराहना करते हैं। वे नई लागू की गई जीएसटी योजना से भी संतुष्ट हैं, भले ही उन्हें कुछ कठिनाइयों और कर भुगतान से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, वे कच्चे माल की खरीद, उत्पादों और उपोत्पादों की बिक्री आदि से संबंधित सरकारी नीतियों के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि रोलर आटा चक्कियां सरकारी नीति तथा अन्य विनियमों के बारे में चिंतित नहीं हैं। वास्तव में हरियाणा में, रोलर आटा चक्कियों का सर्वाधिक रूचिकर पहलू यह है कि सरकार ने भी इसे बढ़ावा देने और इन्हें संगठित क्षेत्र में लाने के कोई प्रयास नहीं किए हैं। इसके बावजूद भी आटा चक्की मालिक काफी प्रसन्न हैं।

4.2.7 निष्कर्ष

- हरियाणा में रोलर आटा चक्कियां परंपरागत व्यापार के रूप में कार्य कर रही हैं। सामान्यतः उनकी प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रासंगिक है।
- प्रबंधन का क्षेत्र भी पिछड़ा और प्रतिक्रियाशील है।

- उत्पाद की रूपरेखा सरल है। वे अपने उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए न्यूनतम प्रयास करते हैं। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन से लाभ लेने की कोई पूर्व सक्रिय योजना भी नहीं है।
- वित्तीय प्रबंधन तथा लेखाकरण को उचित महत्व दिया जाता है तथा रिकॉर्ड रखने के कार्य को अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
- तथापि, प्रबंधन और खरीद नियोजन लागू नहीं किए जा रहे हैं।
- रोलर आटा चक्कियों के लिए सहायी सेवाएं हरियाणा में वास्तव में सबल नहीं हैं।
- वे बिजली व अन्य शक्ति स्रोतों की आपूर्ति से संतुष्ट थे लेकिन इनकी दरें उच्च थीं।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरियाणा में रोलर आटा चक्कियों की कार्य प्रणाली सुधार की अपार संभावना है और यदि निकट भविष्य में समय रहते प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण नहीं किया गया तो इस क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो सकता है।

4.3 हरियाणा में दाल उद्योग

हरियाणा खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है। आमदनी बढ़ने के साथ–साथ शहरीकरण बढ़ा है और सकल वृद्धि हुई है। देश के खाद्य मिश्रण में अनाज से हटकर दालों की दिशा में बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा डेरी, फलों व सब्जियों, मांस और खाद्य तेलों आदि की दिशा में भी बदलाव हो रहे हैं। वास्तव में, वयस्क पुरुषों और महिलाओं के लिए दालों का दैनिक आहार में क्रमशः प्रतिदिन 60 ग्रा. और 55 ग्रा. सेवन करना निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता 52 ग्रा. प्रतिदिन है। भारत जैसे विशाल शाकाहारी देश में दालें मानव आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी दालों की खेती बहुत लाभदायक है क्योंकि दालों में मिट्टी में वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है।

दालों के मामले में उत्पादन के संदर्भ में विश्व में भारत का हिस्सा 26% है जबकि उपभोग के मामले में यह 30% है। वर्ष 2017–18 में दालों का घरेलू उत्पादन लगभग 25.23 मिलियन टन था जो आंकलित मान, 29–30 मिलियन टन की तुलना में कम था (सारणी 4.5)। अध्ययनों से यह प्रदर्शित होता है कि भारत में केवल 8–10 मिलियन टन दालों का उपयोग खाद्य मद में प्रत्यक्ष दाल के रूप में होता है। शेष 12 मिलियन टन को प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे घरेलू उपभोग के लिए स्वल्पाहारों, फास्टफूड के अलावा निर्यात किया जाता है। लगभग 6 मिलियन टन के इस अंतर को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है। दालों का उत्पादन 10वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरंतर बढ़ा। वर्ष 2017–18 में दालों की उपज का स्तर 841 कि.ग्रा./है. हो गया जबकि विश्व की औसत उत्पादकता 909 कि.ग्रा./है. हैं। (सारणी 4.6)। देश में दालों की उत्पादकता बढ़ाने की और भी संभावना है।

4.3.1 वैश्विक परिदृश्य

भारत में वर्ष 2016–17 के दौरान दालों का विश्व के कुल व्यापार का 40% व्यापार हुआ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और रूस ने भारत को निर्यात के लिए दालों का अपना उत्पादन बढ़ाया है। हाल ही में, पूर्वी अफ्रीकी देश भी भारतीय दालों के बाजारों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2017 के अंत तक भारत में दालों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था जिससे घरेलू आपूर्ति काफी बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप दालों के मूल्य काफी कम हो जाने से भारतीय किसानों को हानि हुई। अगस्त 2017 में सरकार ने आयात संबंधी प्रतिबंध लगाए और दालों के आयात पर शुल्क भी लगाया जो वर्ष 2018 के आरंभ में और भी बढ़ाया गया।

4.3.2 दाल मिलीकरण

दालों को खाने योग्य बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। परंपरागत प्रणाली में किसान और यहां तक कि उपभोक्ता भी दालों का घरेलू प्रसंस्करण करते थे। तथापि, समय के साथ–साथ प्रौद्योगिकी विकसित हुई तथा वर्तमान में अधिकांश दाल कारखानों में प्रसंस्कृत की जाती हैं। भारत में दालों का मिलीकरण चावल, गेहूं और तिलहन के बाद चौथे स्थान पर आता है। इस उद्योग में हमारी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बहुत क्षमता है। क्योंकि भारत तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाल व्यापार के बहुत अवसर हैं। वास्तव में, कच्चे माल के स्रोत के निकट दाल मिलीकरण उद्योग का होना अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दाल मिलीकरण की सुविधा से कच्चे माल के स्रोत के निकट होने से

परिवहन तथा साज–संभाल में होने वाली हानि 3 से 7 प्रतिशत कम हो जाती है और इस प्रकार, लाभप्रदता में सुधार होता है व मिलीकरण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

सारणी 4.5: भारत में दालों का उत्पादन और उपभोग (2017–18) (मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	उपभोग
2011-12	17.09	4.00	22.34
2012-13	18.34	3.84	02.02
2013-14	19.25	3.70	22.00
2014-15	17.20	3.70	22.09
2015-16	18.32	5.00	23.32
2016-17	23.13	6.61	29.60
2017-18	25.23	5.61	30.64

स्रोतः पल्सिस इन इंडियाः रेट्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस. 2017,दलहन विकास निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 4.6: भारत में प्रमुख दालों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज

फसल	2017–18			योगदान (%)	
	क्षेत्र (लाख है.)	उत्पादन (लाख टन)	उपज (कि.गा./है.)	क्षेत्र	उत्पादन
चना	105.61	112.29	1063	35.21	44.50
तूर	44.31	42.54	960	14.77	16.86
उड़द	54.39	35.62	655	18.13	14.12
मूंग	42.57	20.09	472	14.19	7.96
अन्य खरीफ दालें	18.71	8.15	436	6.24	3.23
अन्य रबी दालें	34.34	33.65	980	11.45	13.33
कुल खरीफ दालें	140.83	93.45	664	46.95	37.03
कुल रबी दालें	159.10	158.90	999	53.05	62.97
कुल	299.93	252.35	841		

स्रोतः डीईएस, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग), भारत सरकारः 2017–18
IV Adv. Est.

दाल प्रसंस्करण एक छोटे पैमाने का उद्योग है जिसमें हजारों दाल कारखाने हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये कारखाने अधिकांशतः दाल उत्पादन वाले क्षेत्रों में केन्द्रित हैं जैसे इंदौर (मध्य प्रदेश), जलगांव और अकोला (महाराष्ट्र), हिसार/भिवानी (हरियाणा)। दाल व्यापार के मुख्य केन्द्र हैंः कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली।

4.3.3 विभिन्न आकार के कारखानों द्वारा किए जाने वाले प्रसंस्करण का अर्थशास्त्र

राज्य में कारखानों की प्रसंस्करण क्षमता अलग–अलग हैं। स्पष्ट है कि अटल पूंजीगत परिसम्पत्ति में निवेश तथा विविधतापूर्ण संसाधनों पर व्यय उनकी स्थापित प्रसंस्करण क्षमताओं के अनुसार काफी अलग–अलग रहता है। इन कारखानों से होने वाला लाभ उनके द्वारा प्रसंस्कृत उत्पादों की मात्रा पर निर्भर करता है। इन कारखानों की सापेक्ष परिचालनीय दक्षता प्रबंधन के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः किसी एक कारखाने की लागत और उससे होने वाला लाभ स्थापित क्षमता, प्रबंधन के प्रकार और क्षमता के उपयोग के परिणाम हैं। अध्ययन से यह सुझाव मिलता है कि दालों के प्रसंस्करण की प्रति इकाई लागत बड़ी मिलों के लिए कम है, जबकि छोटी मिलों के मामले में अधिक है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि छोटी फर्मों को कुछ नुकसान रहता है और उन्हें भविष्य में कठोर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में प्रति दिन 10–20 टन क्षमता वाले लगभग 10,000 दाल कारखाने हैं और इनका वार्षिक टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपये है। ये निजी स्वामित्व में हैं। इनमें वर्ष में औसतन 200–250 दिन कार्य होता है। अधिकांश दाल कारखाने परंपरागत प्रौद्योगिकी और स्थानीय रूप से तैयार की गई मशीनरी का उपयोग करते

हैं जिसमें बिजली की अधिक खपत होती है, साथ ही समय और मजदूर भी अधिक लगते हैं। प्रसंस्कृत दालों का प्रमुख भाग जो प्रतिदिन 0.5 टन से 10 टन के बीच है, कम दैनिक क्षमता वाले कारखानों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है। भारत में दालों की प्रसंस्करण दक्षता कच्चे माल के 70 से 88 प्रतिशत के बीच है। दाल मिलीकरण के मुख्य उपोत्पाद टूटी हुई दालें (6–13%), अंकुर और चूर्ण का मिश्रण (7–12%) तथा भूसी (4–14%) हैं। छोटे टूटे हुए दानों और भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसके अलावा टूटे हुए दाने या तो मानव उपभोग में प्रयुक्त होते हैं या पशुओं के आहार के घटक के रूप में। इसके अलावा इनका उपयोग बत्तखों और हाथियों के चारे में भी किया जाता है। मसूर की भूसी का उपयोग कुक्कुट आहार, चने के टूटे हुए दाने, घोड़ों के आहार के अलावा बेसन तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा दालों का आटा बनाने के लिए भी मिलीकरण किया जाता है और प्राप्त उत्पाद से पापड़ तैयार होते हैं। दालों की पैकिंग और भंडारण उनकी मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में सामान्यतः अच्छी गुणवत्ता की पैकिंग सामग्री का यदा–कदा ही उपयोग होता है।

भारत में प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित मुख्य मुद्दे और बाधाएं संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- मशीनरी का दोषपूर्ण खाका (डिज़ाइन विशिष्टताओं या गुणों के सापेक्ष सटीक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होती हैं)।
- भंडारण सुविधाओं की कमी, सस्योत्तर साज–संभाल के दौरान मूषकों तथा कीटों का संक्रमण जो भंडारण और वितरण के दौरान भी होता रहता है जिससे गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बहुत हानि होती है। सुखाने के दौरान पक्षियों और मूषकों से भी बहुत हानि होती है।
- धूप में सुखाने की विधियां लंबी हैं और यह क्रिया पूरी तरह जलवायु संबंधी दशाओं पर निर्भर हैं।
- सुखाने के लिए खुले स्थान की सुविधाओं का सीमित होना कच्चे माल की उपलब्धता तथा उनके मिलीकरण संबंधी गुणों में उतार–चढ़ाव।
- श्रम की उच्च लागत और मजदूरों की अधिक आवश्यकता
- कम प्राप्ति और घटिया गुणवत्ता के दाल कारखाने
- उपकरणों का बहुत कम उपयोग तथा प्रसंस्करण की उच्च लागत
- कारखानों में धूल से प्रदूषण
- महंगी पैकेजिंग सामग्री
- भारत में उपलब्ध आधुनिक दाल मिलीकरण प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता में कमी

4.3.4 दालों के मिलीकरण में उपोत्पादों का उपयोग

दालों के मिलीकरण से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपोत्पादों में शामिल हैं: दालों के विभिन्न अंश जिन्हें पूरी/दली हुई दाल से अलग करने की जरूरत होती है। दाल मिलीकरण के लिए उपोत्पाद भूसी, चूर्ण और छोटे टुकड़े है जिन्हें सामान्यतः पशु आहार के रूप में बेच दिया जाता है। दालों की भूसी को परंपरा से पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उनका विपरीत घनत्व कम होता है और ये कच्चे माल का लगभग 10 प्रतिशत होते हैं जिन्हें पशु आहार के रूप में कम कीमत पर बेच दिया जाता है। दालों का चूर्ण तथा छोटे टुटे हुए टुकड़े पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं और इन्हें अधिक मूल्य पर बेचा जाता है।

4.3.5 दालों में मूल्य वर्धन

अधिकांश उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता की दालों की मांग करते हैं तथा वे ऐसी दालें चाहते हैं जो ताज, स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर हों। उपभोक्ता अपनी पसंद की दालों के लिए अधिक मूल्य अदा करने को तैयार रहते हैं। इस वर्ग की मांग को पूरा करने के लिए ताजी पैकबंद और न्यूनतम प्रसंस्कृत व दालों की आपूर्ति तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार, **तत्काल खाए जाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ भी बाजार के एक नए उत्पाद के रूप में उभर रहे हैं।** आस्ट्रेलिया में दालों का उपयोग स्टॉक (पशुओं) के आहार उद्योग द्वारा किया जाता है तथा मानवीय रोग के लिए पहले से पकाई गई दालों जैसे भूनी हुई फलियों के रूप में उपयोग होता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में दालों से बने स्वल्पाहारी व्यंजन खूब बिकते हैं। दालों का उपभोग प्रातःकालीन आहार के रूप में गिरियों या फलों के साथ किया जाता है। दालों को उनसे अवांछित गंध हटाने या खाने में आसानी के लिए कोमल बनाने हेतु उपारित किया जाता है और यह उपचार शहरी भारत में अधिक लोकप्रिय हो सकता है।

पूर्व तैयार आहार फुटकर बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं। विनिर्माता गंध स्वाद व दिखावट के साथ–साथ मूल बनावट व रंग बनाए रखने पर ध्यान देते हैं। विशेष रूप से जब ऐसे खाद्य पदार्थों को पुनः गर्म या हिमित किया जाता है या ठंडी अवस्था में रखा जाता है तो यह प्रयास होता है कि उनकी गुणवत्ताएँ बनी रहें। अधिकांश दालें इन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तथापि, पहले से तैयार की गई दालों के मामले में क्षेत्रीय, मौसमी और किस्मगत भेदों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भारतीय बाजारों में वे सफलतापूर्वक बेची जा सकें।

4.3.6 दालों के मिलीकरण की प्रक्रिया

दालों के मिलीकरण में तीन अवस्थाएं नामतः सफाई, कंडीशनिंग और मिलीकरण आती हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

सफाई प्रक्रिया

सफाई की प्रक्रिया बोरों से संयंत्र स्थल तक कच्चे माल (साबुत दालों) की लगाई और उतराई से आरंभ होती है। दालों को बाल्टी उत्थापक (बी/ई) की सहायता से निरंतर ऊपर ले जाया जाता है और सफाई छनने पर डाला जाता है। अशुद्धताएं जैसे गर्द, धूल, पौधे के अपशिष्ट टुकड़े, दालों के छिलके आदि या तो इन छन्नों द्वारा छाने जाते हैं या वायु के प्रवाह से यह अशुद्धियां हटाई जाती हैं। वायु प्रवाह के लिए बड़े–बड़े पंखों का उपयोग किया जाता है। कुछ इकाइयों दालों से पत्थर के टुकड़ों को हटाने के लिए *डिस्टोनर* का भी उपयोग करती हैं। इसके पश्चात दानों को रबड़ के रोलर के सैट (जिन्हें रील मशीन कहते हैं) से प्रवाहित किया जाता है, ताकि चिपकी हुई धूल को हटाया जा सके तथा दालों की नोक (जिन्हें नक्कू कहते हैं), को तोड़ा जा सके। इसके पश्चात् दालों को पुनः घूर्णनशील छन्नों के दूसरे और तीसरे सैट से गुजारा जाता है, ताकि अशुद्धियां दूर हो जाएं। इसके बाद साफ दालों को कंडीशनिंग के लिए भेजा जाता है।

कंडीशनिंग प्रक्रिया

कंडीशनिंग प्रक्रिया में स्वच्छ दालों पर पानी या तेल का उपयोग करना है जिसके लिए उन्हें निश्चित समय के लिए जल या तेल में डुबोया जाता है। इसके पश्चात या तो धूप में या तप्त वायु प्रवाहित करके सुखाया जाता है। चना जैसी दालों की कंडीशनिंग के लिए जल का उपयोग होता है जबकि अरहर, मूंग, उड़द, मसूर आदि जैसी दालों के लिए कंडीशनिंग एजेंट के रूप में वनस्पति तेलों का उपयोग होता है। चना दाल को धूप में सुखाया जाता है, जबकि अन्य दालों को सामान्यतः गर्म हवा से सुखाने वाली मशीन का उपयोग करके सुखाया जाता है। पानी या तेल में डुबोकर रखने का समय प्रत्येक दाल के लिए अलग–अलग होता है जो लगभग 6 घंटे या इससे अधिक हो सकता है। यह प्रसंस्करण में नमी की आवश्यकता, कच्चे माल के प्रकार, उसकी गुणवत्ता व आकार आदि पर निर्भर करता है। डुबोने के लिए जल/तेल की मात्रा व सुखाने की अवधि प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग–अलग होती है। उचित कंडीशनिंग के पश्चात् दालों को मिलीकरण के लिए भेजा जाता है।

मिलीकरण प्रक्रिया

मिलीकरण प्रक्रिया में मुख्यतः दालों का बाहरी छिलका हटाने (अलग करने) के लिए विभिन्न प्रकार के रोलरों के माध्यम से घर्षण बल का उपयोग किया जाता है जिसके पश्चात् दाल को चक्कियों में डालकर उनके दो टुकड़े किए जाते हैं। रोलर और ग्रांइडरों का प्रकार व सामग्री दली जाने वाली दालों के विभिन्न प्रकार पर निर्भर करती है और यह प्रसंस्करण संबंधी विभिन्न प्राचलों जैसे दालों में पहले से मौजूद नमी, दालों के आकार तथा अन्य कारकों पर निर्भर है। कुछ दालों जैसे अरहर, उड़द, मूंग और कुलथी का छिलका हटाने में बहुत कठिनाई आती है जबकि चना, मटर, मसूर और खेसरी जैसी दालों का छिलका उतारना अपेक्षाकृत आसान होता है। छिलका उतारने संबंधी व्यवहार में अंतर का कारण यह है कि पहली श्रेणी की दालों में छिलका दाने के साथ सख्ती से चिपका होता है, जबकि दूसरी श्रेणी की दालों में यह कुछ ढीला होता है।

4.3.7 हरियाणा में दाल कारखाने

हरियाणा में दुर्भाग्य से दालों की दाल मिलों (विद्यमान/चल रही) की संख्या के बारे में कोई प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, दाल कारखानों की विश्वसनीय संख्या के आंकलन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए गए तथा एसोसिएशनों की सूची में उल्लिखित अनेक दाल कारखानों का जब भौतिक सत्यापन किया गया तो वे बंद पाए गए। कुछ स्थानों पर कारखानों में कभी उत्पादन ही नहीं हुआ और उनका नाम सूची में इसलिए था क्योंकि वे दाल मिलीकरण के व्यापार में शामिल होना चाहते थे।

राज्य में हिसार में 8, सिवानी (भिवानी जिले) में 4,सिरसा में 2 और रोहतक जिले में 3, इस प्रकार कुल 17 कारखाने हैं। तथापि, अधिकांश कारखानों की क्षमता 10 से 20 टन है। इसके विपरीत राई (सोनीपत) में लगभग 10 दाल कारखाने हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के ब्रॉशर 'वर्ड फूड इंडिया' (नवम्बर 2017) में यह उल्लेख है कि हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत दाल प्रसंस्करण के मुख्य क्लस्टर हैं। पानीपत और फरीदाबाद, दोनों स्थानों पर दाल कारखानों की संख्या प्रत्येक 10–15 है।

राज्य में अधिकांश दाल कारखानों में पुरानी पड़ चुकी तकनीकों का उपयोग हो रहा है जिससे दानों के टूटने और उनका चूरा बन जाने के कारण दालों की बहुत हानि होती है। यह उद्योग कुछ अन्य समस्याओं से भी ग्रस्त हैं जैसे दालों की कम घरेलू उत्पादकता, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, दालों की खरीद में बड़ी संख्या में बिचौलियों का होना और तैयार उत्पादों के विपणन की समस्या आदि। सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए कि इन दाल कारखानों से प्रोत्साहन देने के लिए लागत प्रभावी तथा सस्ता और फायदेमंद वातावरण तैयार हो। इसके अलावा छोटे दाल कारखानों तथा गौण संबंधित युक्तियों के माध्यम से फार्म पर ही मूल्यवर्धन की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

4.3.8 दाल मिलीकरण में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

हमने राज्य के दाज मिलीकरण उद्योग की व्यापक रूपरेखा की जांच की है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, परिचालनशील दाल कारखानों की प्रमाणित संख्या उपलब्ध नहीं थी। तथापि, व्यापार से संबंधित आकलन से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 100 दाल कारखाने परिचालनशील हैं। हमने विभिन्न जिलों में 25 दाल कारखानों से सम्पर्क किया और उनसे प्रश्नावली भरवाई। हमने विभिन्न हितधारकों जैसे व्यापारियों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालय कर्मियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एकत्र की गई सूचना और उसके परिणाम चित्र 4 व सारणी 4.7 में नीचे दिए गए हैं:

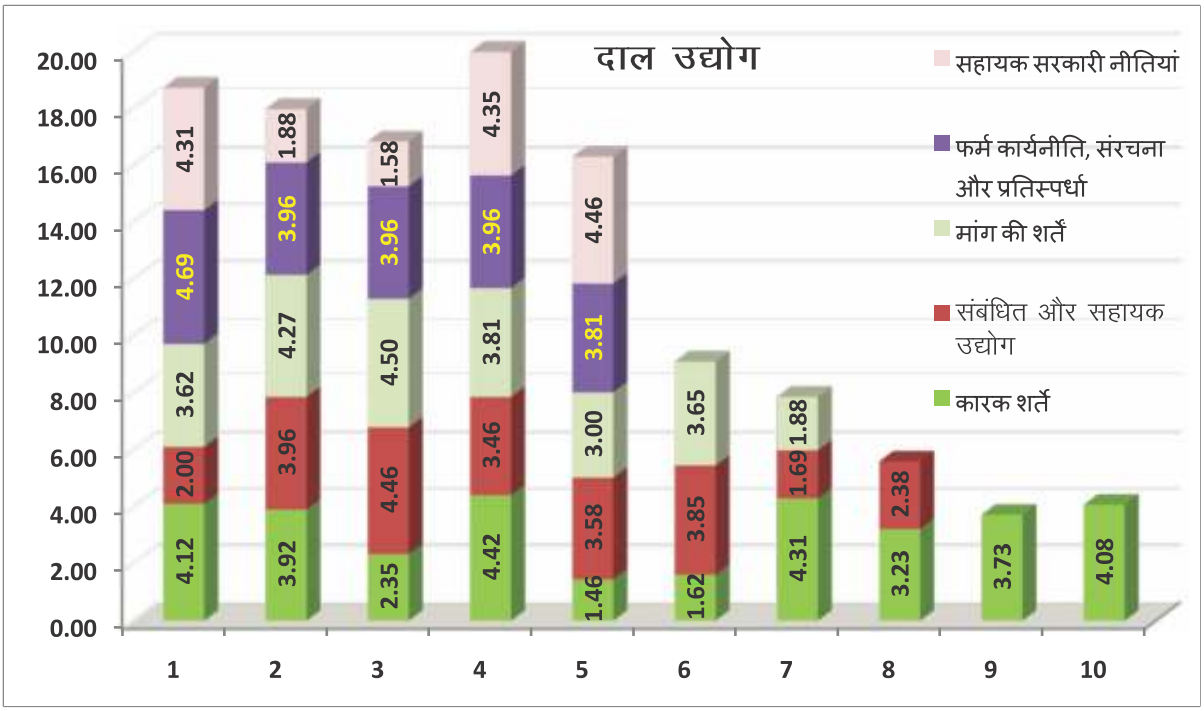

चित्र 4. हरियाणा में दाल मिलों के आकलन के परिणाम

4.3.8क. मांग संबंधी शर्तें

मांग संबंधी शर्तों का गुणांक (चित्र 4) यह दर्शाता है कि दाल का मिलीकरण करने वाले मांग की स्थितियों या शर्तों के प्रति सहज नहीं हैं। ऐसी दशा में जहां घरेलू बाजार को दालों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यह कुछ असामान्य सा प्रतीत होता है। तथापि, यदि हम गहराई से विवेचना करें तो चित्र अधिक स्पष्ट हो जाता है। राज्य में दाल कारखाने छोटे हैं और उनकी प्रौद्योगिकी पुरानी तथा प्रबंधन विधियां निम्न स्तर की हैं। इसलिए उनकी लागत अपेक्षाकृत

अधिक होती है और गुणवत्ता भी वांछित स्तर की नहीं होती हैं। स्पष्ट है कि दाल कारखानों के मालिकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं। दाल कारखानों के मालिक ने यह रिपोर्ट किया है कि श्रेणीकरण और छंटाई संबंधी सुविधाएं पर्याप्त हैं।

सारणी 4.7: दाल कारखानों की विवरणात्मक सांख्यिकी

कारक शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	4.12	1.31
1.2	भूमि की लागत	3.92	1.11
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	2.35	1.24
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	4.42	0.57
1.5	बिजली की उचित लागत	1.46	0.50
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	1.62	0.74
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	4.31	0.67
1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.23	1.31
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.73	1.13
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	4.08	0.87
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	3.62	1.11
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.27	0.71
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.50	0.57
2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पाददों के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	3.81	1.14
2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.00	1.07
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	3.65	1.00
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं।	1.88	0.89
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.69	0.46
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.16
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.06
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.16
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.81	1.00
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	2.00	0.73
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं।	3.96	1.13
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	4.46	0.67
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	3.46	1.12
4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपडेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	3.58	1.15
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	3.85	1.17
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए	1.69	0.82

	अत्यंत लाभदायक है।		
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	2.38	1.33
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान है	4.31	0.61
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं	1.88	0.85
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं	1.58	0.57
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली है	4.35	0.68
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक है	4.46	0.63

इसी प्रकार, कारखाना मालिक अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तथा नए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। वास्तव में, श्रेणी II और III की दालों का हरियाणा में स्वल्पाहार निर्माताओं की उपलब्धता के कारण तैयार बाजार उपलब्ध है। तथा राज्य के दाल कारखाना मालिक उन्हें अपना माल बेचकर खुश हैं। भले ही उन्हें अपेक्षित उच्चतर मूल्य प्राप्त न हो रहा हो। जैसा कि बताया जा चुका है, सरकार ने दाल मिलीकरण को कृषि व्यापार को मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया है तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 के लाभ भी उन्हें नहीं दिए गए हैं। ये कारखाना मालिक सरकार के अनुदान/प्रोत्साहनों से भी बहुत प्रसन्न नहीं हैं। तथापि, वास्तविकसित यह है कि अधिकांश दाल मिलीकरण कर्ता और कृषि मिलीकरण करने वालों को कृषि व्यापार संबंधी नीति तथा व्यापार से होने वाले विभिन्न लाभों के बारे में बहुत सीमित जानकारी है।

दाल कारखानों के मालिक यह शिकायत करते हैं कि बिजली विभाग उनसे सहयोग नहीं करता है तथा उनके व्यापार के सुचारू संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। चरखी दादरी जिले के दाल कारखाना मालिकों ने यह सुझाव दिया कि जिले में दालों और तेलों के मिलीकरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए। ध्यान देने योग्य है कि चरखी दादरी और राई (सोनीपत) में भी अनेक दाल कारखाना मालिकों ने कानून और व्यवस्था की समस्या पर प्रकाश डाला और सुरक्षा संबंधी वातावरण में तत्काल सुधार की मांग की। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य में लगभग आधे दाल कारखाने हाल के वर्षों में बंद हो गए हैं।

4.3.8ख. कारक शर्तें

हरियाणा में दाल कारखानों के कारक शर्तों और बिक्री के बीच का संदर्भ दर्शाने वाले गुणांक से यह प्रदर्शित होता है कि कारक शर्तें संतोषजनक नहीं हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य कृषि उद्योगों के समान दाल कारखाना मालिक भी औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि और जल की उपलब्धता को पर्याप्त रूप से श्रेष्ठ बताते हैं। बिजली के कनेक्शन भी बिना किसी अधिक कठिनाई के स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें अपने व्यापार के लिए सीमांत स्तर पर कुशल जन शक्ति पाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके विपरीत बिजली की लागत को वे बहुत नकारात्मक कारक के रूप में देखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक ऋण और सामान्य परीक्षण सुविधाओं में काफी सुधार की आवश्यकता है, ताकि उनके उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिल सके। इसके साथ ही तकनीकी व अकुशल जनशक्ति की आपूर्ति सहित अन्य कारक भी सामान्य हैं, लेकिन वे इनकी व्यवस्था पड़ोसी राज्यों से करते हैं।

4.3.8ग. फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा

फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिद्वंद्वता के स्कोर से यह प्रदर्शित होता है कि हरियाणा में दाल उद्योग की दशा वास्तव में अच्छी नहीं है। परिणामों से मूलतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जमीनी वास्तविकता यह है कि राज्य में लगभग 50% दाल कारखाने इसलिए बंद हो गए हैं कि लाभ बनाए रखना उनके लिए कठिन हो गया। दाल कारखाना का आकार छोटा है, प्रबंधन भी अव्यावसायिक है। दाल कारखानों के मालिक सामान्यतः वस्तु सूची के उपयुक्ततम स्तर के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। भावी नियोजन भी बहुत सीमित दिखाई देता है। सनदी लेखाकार या सीए व्यापार के संबंध में मुख्य सलाहकार हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में कार्यनीतिपरक प्रबंधन, मानव संसाधन और विपणन संबंधी मुद्दे व्यावसायिक परामर्श के न मिल पाने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। कारखाना मालिक इस तथ्य से सहमत थे कि

उनके व्यापार के लिए व्यावसायिक परामर्श बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। वे खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिजाइन की गई ऋणनीति का भी उपयोग नहीं करते हैं जो उनके व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर उन्हें कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है। मूल्यवर्धन सीमित है और उन्हें लाभ न मिल पाने के दबाव का सदैव सामना करना पड़ता है।

4.3.8घ. संबंधित और सहायी उद्योग

दाल कारखानों के ये मालिक अपनी फर्म के लिए सड़क की उपलब्धता से संतुष्ट थे। उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था कर रखी है। दाल कारखाना मालिक पूरे विश्व में प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकासों के बारे में जानने के लिए तकनीकी संस्थानों व मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं के निरंतर सम्पर्क में रहते हैं ताकि उन्हें प्रासंगिक व संबंधित सूचना प्राप्त होती रहे। तथापि, दाल कारखाना मालिकों के इस दावे को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि उनकी अपनी इकाइयों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ चुकी है और कई मामलों में तो रखरखाव भी काफी पिछड़ा हुआ है। वे अपनी फर्मों में सौर शक्ति के उपयोग के बारे में भी बहुत उत्साही नहीं थे। दाल कारखाना मालिकों ने यह स्वीकार किया कि यदि आवश्यकता होगी तो वे विशेषज्ञों की सलाह लेंगे। विशेष रूप से वे कार्यनीतिपरक प्रबंधन और विपणन प्रबंधन संबंधी मामलों में विशेषज्ञों से सलाह लेने को उत्सुक थे।

यह जानना अत्यंत दुःखद है कि केवल कुछ दाल मिल मालिकों ने ही अपनी परिचालन सुधारने संबंधी प्रबंधन विधियों का आधुनिकीकरण किया है तथा मध्यम अवधि से दीर्घावधि तक के लिए उन्होंने ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। चीजें बदल रही हैं और उनमें से अधिकांश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसके बावजूद भी दाल कारखाना मालिक पहले से कोई योजना बनाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। प्रीमियम दालों के लिए जन–सामान्य की पसंद बढ़ रही है। लोग गुणवत्ता और सुविधा के लिए प्रीमियम मूल्य अदा करने को तैयार हैं लेकिन हरियाणा के दाल मिल मालिकों ने बाजार की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अधिक प्रयास नहीं किए हैं।

4.3.8ङ. सरकार की सहायी नीतियां

सरकार की नीति तथा व्यापार की समृद्धि से संबंधित दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि व्यापार के लिए सरकार का कोई हस्तक्षेप उपयोगी नहीं है क्योंकि इससे किसी उद्यमी की सर्वाधिक सृजनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। एक अन्य विचार में विभिन्न प्रोत्साहनों, रियायतों और अनुदान की वकालत की गई है और इन्हें किसी उद्योग को बढ़ावा देने में अधिक उपयोगी माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार पहले सिद्धांत में विश्वास करती है और इसलिए दाल कारखानों सहित सभी कृषि उद्योगों से दूर रहने की प्रवृत्ति को अपनाती है। आश्चर्यजनक तो यह भी है कि कारखाना मालिक सरकार के इस दृष्टिकोण से प्रसन्न दिखाई देते हैं।

वे लाइसेंस पाने या लाइसेंस का नवीकरण कराने, वस्तु एवं सेवा टैक्स तथा प्रोत्साहन संबंधी अन्य योजनाओं से काफी संतुष्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपने कच्चे माल की खरीद तथा तैयार उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों और विनियमों के बारे में अपनी अस्वीकृति जताई। और भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पीएलएस स्कोर से यह सुझाव मिलता है कि सरकार की नीति हरियाणा में दाल मिलीकरण के मामले में बिक्री और लाभ को सुधारने और इसमें प्रतिस्पर्धा लाने में सहायक है।

यह निष्कर्ष वास्तव में भ्रामक है क्योंकि अधिकांश दाल कारखाने अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने व्यापार के लिए सरकार की नीतियों को अपनी स्वीकृति देते हैं। वास्तव में इससे यह प्रदर्शित होता है कि दाल कारखाना मालिकों ने पूरी तरह यह अनुभव कर लिया है कि उनकी समस्याएं सरकारी सहायता से हल नहीं हो सकती हैं और अंततः उन्हें ही सुधारात्मक उपाय अपनाने होंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यापारी सरकार की उन नीतियों का स्वागत करेंगे जिनसे उनके कारक शर्तें, मांग संबंधि शर्तें, फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिद्वंद्वता तथा संबंधित व सहायी उद्योग में सुधार हो जिससे व्यापार सरकार पर निर्भर न रहे और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन न मिले।

4.3.9 निष्कर्ष

- हरियाणा में दाल मिलीकरण की अवस्था अच्छी नहीं है। अधिकांश इकाइयां छोटी हैं और वे पुरानी प्रौद्योगिकियों का ही उपयोग करती हैं।

- भंडारण सुविधाओं की कमी, सस्योत्तर साज–संभाल के दौरान मूषकों और कीटों का प्रकोप, भंडारण और वितरण से उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बहुत हानि होती है। पक्षी और मूषक आदि उत्पाद के सुखाने और भंडारण के दौरान भी काफी हानि पहुंचाते हैं।

- ब्रांडिंग, उपोत्पादों का मूल्यवर्धन, लागत, जोखिम और विषय–सूची की व्यवस्था तथा परंपरागत वित्तीय विधियों जैसी आधुनिक युक्तियों का सामान्यतः उपयोग नहीं होता है।

- यह भी रिपोर्ट किया गया है कि बिजली की आपूर्ति संतोषजनक है लेकिन कारखाना मालिक प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए बिजली की लागत कम करने की जरूरत महसूस करते हैं। वे यह भी अनुभव करते हैं कि उन्हें और अधिक संस्थागत वित्त आसान शर्तों पर मुहैया कराया जाए।

- इसके अलावा दाल कारखाना मालिकों को अकुशल, तकनीकी रूप से कुशल और सीमांत स्तर पर कुशल व्यक्तियों की व्यवस्था करने में भी कठिनाई होती है।

- दाल कारखाना मालिकों की मांग संबंधी शर्तें भी बहुत अच्छी नहीं हैं क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता और लागत चिंता का विषय है। कारखाना मालिक सहमत थे कि उनके उत्पादों की ब्रैंडिंग के साथ–साथ छंटाई,श्रेणीकरण और आधुनिक/गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों में उनका लाभ बढ़ाने की दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक है।

- उन्हें स्पर्धा में सुधार लाने के लिए नए बाजारों को खोजने तथा अपने उत्पादों के वैकल्पिक उपयोग तलाशने की आवश्यकता है। वे अपने व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाओं/अनुदान/प्रोत्साहनों से अत्यधिक असंतुष्ट थे।

- दाल कारखाना मालिकों के फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिद्वंद्वता के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे परामर्श संबंधी सेवाओं, लेखा–बही तैयार करने और रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण पर सनदी लेखाकार (सीए) पर निर्भर हैं और ये सभी मुद्दे उनकी प्राथमिकता की सूची में हैं। वे भली प्रकार सोचकर तैयार की गई ऋण नीति का अनुसरण करने का दावा करते हैं तथा नकदी के आने–जाने पर कड़ी नजर रखते हैं। तथापि, कार्यनीतिपरक मुद्दों पर वे विशेषज्ञों की सहायता नहीं लेते हैं।

- हरियाणा में दाल कारखाना मालिकों को अधिकांश संबंधित और सहायी उद्योग की सहायता उपलब्ध नहीं थी, तथापि, सड़क मार्ग से जुड़ाव, ठोस कचरे के प्रबंधन तथा तकनीकी परामर्श सहित बुनियादी ढांचे की सुविधा उन्हें संतोषजनक रूप से उपलब्ध है। अन्य सामान्य सुविधाओं और भंडारागार में सुधार की आवश्यकता है।

- ध्यान देने योग्य है कि दाल कारखाना मालिक वस्तु एवं सेवा टैक्स सहित सरकार की नीतियों से प्रसन्न थे।

4.4 खाद्य तेल उद्योग

तिलहनों का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में अनाज के बाद सबसे अधिक महत्व है। देश में पीली क्रांति 1990 के दशक के आरंभ में शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य भारत को खाद्य तेलों में आत्म निर्भर बनाकर आयात पर निर्भरता कम करना था जो 60 प्रतिशत से अधिक है (वर्ष 2016–17 में 14.01 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात हुआ जिसकी लागत 73048 करोड़ रुपये थी)। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। जनसंख्या के बढ़ने और लोगों की आमदनी भी बढ़ने के कारण खाद्य तेलों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप घरेलू तिलहनों के उत्पादन में 3.9% की वृद्धि के बावजूद आयात में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में, खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत ~6% की दर पर बढ़ रही है।

4.4.1 वनस्पति तेलों के स्रोत

नौ तिलहन देश में वनस्पति तेलों का प्राथमिक स्रोत हैं जो अधिकांशतः बारानी दशा में उगाए जाते हैं। देश में इनकी खेती लगभग 260 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में होती है। इन नौ तिलहनों (सारणी 4.8) में से सोयाबीन (34%), मूंगफली (27%) तथा तोरिया व सरसों (27%) का कुल तिलहनों के उत्पादन में 88% से अधिक योगदान है। खाद्य तेलों के मामले में सरसों के तेल का 35%, सोयाबीन के तेल का 23% और मूंगफली के तेल का 25% योगदान है।

सारणी 4.8: भारत में तिलहन उत्पादन करने वाले राज्य

क्र.सं.	तिलहन	प्रमुख उत्पादक राज्य
1.	**मूंगफली**	आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिल नाडु
2.	**सरसों**	हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
3.	**सोयाबीन**	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
4.	**सरसों और सोयाबीन**	राजस्थान

भारत में इन नौ तिलहनों से लगभग 7-8 मिलियन टन खाद्य तेलों का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त 3.0 मिलियन टन खाद्य तेल द्वितीयक स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है जिसमें बिनौला, चावल की भूसी, नारियल, वृक्ष से प्राप्त होने वाले तिलहन और तेलताड़ शामिल हैं। तेलताड़ को भारत में द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है और इसे प्राथमिक स्रोत के रूप में भी श्रेणीकृत किया जा सकता है क्योंकि इससे सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है (4-5 टन/है.)।

4.4.2 भारत में तिलहनी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन और उपज

भारत में 26 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक तिलहन उगाए जाते हैं जिनसे प्रति वर्ष >38 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है (सारणी 4.9)। लगभग 70 प्रतिशत तिलहन उत्पादक क्षेत्र अर्ध शुष्क है, अतः इनकी खेती वर्षा पर निर्भर है। इसके अलावा मक्का, कपास, चना आदि जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों की तुलना में तिलहनी फसलों की खेती से अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता है इसलिए इनकी खेती का क्षेत्र कम हो गया है।

सारणी 4.9: भारत में तिलहनों का उत्पादन (मिलियन टन में)

प्रमुख तिलहन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूंगफली	4.3	6.5	4.9	4.5	6.9	6.6
तोरिया/सरसों	6.9	6.7	5.1	5.9	7.2	7.0
सोयाबीन	10.7	9.5	8.5	7.2	10.6	9.0
अन्य	2.8	2.6	2.6	2.7	2.4	2.5
उप–योग	24.7	25.3	21.1	20.3	27.1	25.1
बिनौला	10.2	12.5	11.9	10.9	10.9	12.4
कोपरा	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
कुल तिलहन उत्पादन	35.5	38.5	33.6	31.8	38.6	38.1

वर्ष 2016–17 में तिलहन क्षेत्र का कुल टर्न ओवर 175,000 करोड़ रुपये (28 बिलियन अमेरिकी डालर) था तथा आयात के संदर्भ में इसका स्थान कच्चे पैट्रोलियम तथा सोने के बाद तीसरा था। भारत सरकार खाद्य तेलों के आयात पर प्रति वर्ष 70,000 करोड़ रुपये (12 बिलियन अमेरिकी डालर) व्यय करती है तथा आयात पर निर्भरता लगभग 70 प्रतिशत है। खाद्य तेल उद्योग को 4 श्रेणियों – छोटे पैमाने के कोल्हू/घानी, विलायक निष्कर्षक, तेल परिशोधन और वनस्पति विनिर्माताओं में श्रेणीकृत किया गया है। भारत में लगभग 1060 वनस्पति तेल परिशोधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिनमें से अधिकांश छोटे प्रकार के हैं जिनकी क्षमता 5 से 100 टन प्रतिदिन है। देश में 13 प्रमुख वनस्पति तेल परिशोधन संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 300 से 1000 टन/दिन है। प्रमुख वनस्पति तेल परिशोधन संयंत्रों की क्षमता का लगभग 35–40 प्रतिशत उपयोग हो रहा है जो बहुत कम है। या तो घरेलू स्तर पर तिलहनों की उपलब्धता बढ़ाकर या और अधिक प्रसंस्करण के लिए कच्चे तेल का आयात करके इन परिशोधन संयंत्रों की क्षमता की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर इनका और अधिक कारगर उपयोग किया जा सकता है।

सारणी 4.10: भारत में खाद्य तेलों की खपत (तेल वार) (मिलियन टन में)

विवरण	2001-02		2007-08		2015-16	
	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
ताड़ तेल	2944	29.08	4437	35.81	9685	45.41
सोया तेल	2258	22.30	2170	17.51	4872	22.84
सरसों का तेल	1721	17.00	1814	14.64	1938	9.09
सूरजमुखी का तेल	309	3.05	539	4.35	1541	7.22
बिनौले का तेल	443	4.38	1070	8.64	1267	5.94
मूंगफली का तेल	1216	12.01	689	5.56	239	1.12
चावल की भूसी तेल	430	4.25	770	6.21	930	4.36
अन्य	804	7.94	901	7.27	858	4.02
कुल	10125	100.0	12390	100.0	21330	100.0

सारणी 4.10क: वर्ष 2017–18 के लिए भारत के खाद्य तेल संबंधी आकलन (मिलियन टन में)

विवरण	2016-17	2017-18
उत्पादन	10.75	10.52
आयात	15.34	14.85
उपलब्धता	26.09	25.37
निर्यात और औद्योगिक उपभोग	0.65	0.63
घरेलू खपत के लिए कुल उपलब्ध मात्रा	25.44	24.74

स्रोत: वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा (डीवीवीओएफ) निदेशालय तथा वाणिज्य विभाग

सारणी 10.4ख.: प्रमुख खाद्य तेलों का वैश्विक और घरेलू उत्पादन, इनके निर्यातक तथा आयातक (2017–18)

(मात्रा मिलियन मी. टन में)

खाद्य तेलों का उत्पादन	वैश्विक उत्पादन	भारतीय उत्पादन	प्रमुख निर्यातक/आयातक
मूंगफली का तेल	5.52	1.86	निर्यातक: अर्जेण्टीना, ब्राजील, सेनेगल आयातक: चीन, इटली, यूएसए
सरसों का तेल	28.35	2.34	निर्यातक: कनाडा, जर्मनी और चैक गणराज्य; आयातक: यूएसए, चीन, नीदरलैंड
सूरजमुखी का तेल	17.75	0.07	निर्यातक: यूक्रेन, रूस, अर्जेण्टीना आयातक: भारत, चीन, नीदरलैंड
सोयाबीन तेल	56.15	1.83	निर्यातक: अर्जेण्टीना,ब्राजील, युएसए आयातक: भारत, बांग्लादेश, अल्जीरिया
ताड़ तेल	69.42	0.22	निर्यातक: इंडोनेशिया, मलेशिया, नीदरलैंड आयातक: भारत, चीन, पाकिस्तान

स्रोत: वैश्विक उत्पादन:यूएसडीए, भारत का उत्पादन : डीवीवीओएफ, निर्यातक और आयातक: कॉमट्रेड

वैश्विक स्तर पर अधिकांश तिलहन और वनस्पति तेल उत्तर और लेटिन अमेरिका में और एशिया में भी उत्पन्न होते हैं। तुलनात्मक रूप से यूरोप, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में इनकी खेती काफी कम है। वर्ष 2016–17 में अमेरिका का कुल वैश्विक तिलहन उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत योगदान था जिसके बाद ब्राजील (16%), चीन (12%), अर्जेण्टीना (10%)

और भारत (8%) का स्थान था। यूएसए और लैटिन अमेरिका विश्व का अधिकांश सोयाबीन उत्पन्न करते हैं जबकि एशिया में बिनौले, मूंगफली और तोरिया का अधिकांश उत्पादन होता है।। अर्जेण्टीना और पूर्व सोवियत संघ (एफएसयू) सूरजमुखी के बीज के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में अधिकांश ताड़ तेल, ताड़ की गिरि और कोपरे के तेल का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकारों के तिलहनों के उत्पादन के मामले में यूएसए, चीन और ब्राजील बहुत आगे हैं क्योंकि वहां खेती की बेहतर तकनीकें, मशीनरी अपनाने के साथ–साथ आनुवंशिक स्तर पर अभियंत्रित फसलों का उपयोग किया जा रहा है। भारत का विश्व के वनस्पति तेल उत्पादन में लगभग 5%, विश्व के वनस्पति तेल स्रोतों (तिलहन, गिरियां, फल और अनाज) के मामले में 14% का योगदान है। भारत विश्व के खाद्य तेल का 10% से अधिक आयात भी करता है।

खाद्य तेलों की मांग के बावजूद भारत में तिलहनों का उत्पादन कुल मिलाकर स्थिर बना हुआ है जिसका कारण कम सिंचाई वाले क्षेत्रों की कम उत्पादकता तथा तिलहन के स्थान पर अन्य फसलों का उगाया जाना है। शुल्क में कमी के कारण आयात को काफी प्रोत्साहन मिला है। इसके परिणामस्वरूप आयातित तेलों के आयतन में तेजी से वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में घरेलू खपत संबंधी लगभग 45–50% आवश्यकता की पूति आयात से होती है। परिशोधित तथा कच्चे ताड़ तेल का भारत में खाद्य तेलों के आयात के संदर्भ में प्रमुख स्थान है जिसका कारण इसका अपेक्षाकृत कम मूल्य और बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। अनुमानित घरेलू आपूर्ति में बाधाओं तथा आयातित तेलों की लागत में प्रतिस्पर्धा के कारण भविष्य में आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता बढ़ने की संभावना है।

4.4.3 वर्तमान विनियमनकारी/नीतिगत परिदृश्य

उदारीकरण की सरकारी नीति के चलते पिछले कुछ वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की आयात नीति में प्रगामी परिवर्तन हुए हैं। किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों को सामूहिक रूप से ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क के ढांचे की नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है। खाद्य तेल के क्षेत्र में लागू वर्तमान विनियमनकारी अधिनियम निम्नानुसार हैं:

- खाद्य तेल उत्पादक (विनियमन) आदेश 1998)
- खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
- विलायक निष्कर्षक तेल, तेल विहीन अवचूर्ण और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
- अधिदेशित खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अपेक्षाएं
- खाद्य अपमिश्रण बचाव अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और नियमावली 1955

4.4.4 खाद्य तेल क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और आय के स्तर में सुधार के कारण निकट भविष्य में खाद्य तेलों की मांग के निरंतर बढ़ते रहने की अपेक्षा है। तथापि, तेलों का उत्पादन भारत में इन महत्वपूर्ण फसलों के प्रति अपेक्षाकृत उपेक्षा के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। तिलहनी फसलें सामान्यतः सीमांत भूमियों पर उगाई जाती हैं जहां सिंचाई की सुविधाएं सीमित होती हैं। जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि तिलहनी फसलों के अंतर्गत लगभग 76% क्षेत्र बारानी दशाओं के अंतर्गत है। इसके साथ ही देश में तिलहनों के मामले में गुणवत्तापूर्ण बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जिससे फसलों की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। तिलहनी फसलों के लिए एक गंभीर मुद्दा विभिन्न पीड़क और रोग है।

खाद्य तेल उद्योग वैश्विक कृषि का सबसे तेजी से उभरने वाला उप क्षेत्र है। पिछले लगभग 40 वर्षों सेयह क्षेत्र प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि कर रहा है। उल्लेखनीय है कि खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय मांग के प्रमुख स्रोत गैर–खाद्य उद्देश्य के अलावा पशु आहार के लिए हैं।

भारतीय खाद्य तेल उद्योग और भारतीय वनस्पति तेल उद्योग में हैं:

- 15,000 तेल कारखाने
- 600 विलायक निष्कर्षण इकाइयां,
- 600 वनस्पति तेल परिशोधन संयंत्र,
- 250 वनस्पति इकाइयां जो पूरे देश में फैली हुई हैं जहां तिलहनों को पेरा/प्रसंस्कृत किया जाता है और खली प्राप्त होती है साथ ही चावल की भूसी से भी वनस्पति तेल प्राप्त होता है।
- वनस्पति तेल उद्योग का घरेलू टर्न ओवर 125,000 करोड़ रूपये से अधिक है।

- भारत में खाद्य तेल क्षेत्र का आयात–निर्यात टर्नओवर प्रति वर्ष लगभग 85,000 करोड़ रुपये है जिसमें से 70,000 करोड़ रुपये वनस्पति तेलों के आयात में व्यय होते हैं तथा 15,000 करोड़ रुपये के तेल अवचूर्ण, तिलहनों, अरण्ड के तेल, मूंगफली के तेल और वृक्ष वाहित तिलहनों के वनस्पति वसा का निर्यात होता है।
- दो वर्ष के अंतराल के पश्चात् भारत में खाद्य तेल का 17 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा है। तेल वर्ष (1 नवम्बर से 30 अक्तूबर) 2016–17 के दौरान निर्गम का स्तर 7.68 मिलियन टन तक पहुंच गया।

4.4.5 परिशोधित तेल के आयात में वृद्धि

कुल खाद्य तेलों के आयात में परिशोधित ताड़ तेल का हिस्सा तेल वर्ष 2016–17 में लगभग 20% बढ़ा था। वास्तव में, ताड़ तेल का देश में कुल आयातित खाद्य तेलों में सबसे बड़ा हिस्सा है। परिशोधित तेलों के आयात के हिस्से में वृद्धि से तेल भारत में घरेलू खाद्य तेल परिशोधन संयंत्र की उपयोग क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। परिशोधित तेलों के हिस्से में वृद्धि का प्रमुख कारण निर्यात करने वाले देशों (मलेशिया और इंडोनेशिया) में शुल्क के ढांचे का भारत की तुलना में विपरीत होना है। इन देशों द्वारा कच्चे ताड़ तेल पर लगाया गया निर्यात शुल्क परिशोधित ताड़ तेल पर लगाए गए शुल्क की तुलना में अधिक है। इसके परिणामस्वरूप कच्चे ताड़ तेल के आयात की तुलना में परिशोधित ताड़ तेल का आयात सस्ता पड़ता है। इसलिए घरेलू खाद्य तेल उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार को ताड़ तेल पर अधिक आयात शुल्क सहित उचित सहायता संबंधी उपाय अपनाने चाहिए।

सारणी 4.11: विश्व और भारत में प्रमुख खाद्य तेलों का उत्पादन

तेलों का प्रकार		2015-16	2016-17	2017-18
सोयाबीन का तेल (मी.टन)	विश्व	51,619	54,285	56,201
	भारत	1,044	1,600	1,690
मूंगफली का तेल (मी.टन)	विश्व	5,407	5,885	6,057
	भारत	875	1,200	1,300
सरसों का तेल (मी.टन)	विश्व	27,837	27,895	28,452
	भारत	1,900	2,166	2,260
ताड़ तेल (मी.टन)	विश्व	65,740	70,300	74,650
	भारत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल (मी. टन)	विश्व	176.83	186.07	194.33

स्रोत: यूएसडीए (मी.टन– मिलियन टन)

इस संबंध में प्रमुख तकनीकी विकास यह है कि परिशोधन, विरंजन और रंगहीनीकरण जैसे प्रौद्योगिकीय उपायों से सभी तेलों को रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन बना दिया गया है। इसलिए रसोईघर में उनकी आसानी से अदला–बदली की जा सकती है। कुछ नए तेल जैसे बिनौले का तेल, सूरजमुखी व ताड़ का तेल अथवा इसके तरल घटक (पामोलिन), सोयाबीन और चावल की भूसी का तेल जिनके बारे में पहले से ज्ञान नहीं था, अब रसोईघर में अपनी जगह बना चुके हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश परंपरागत उपभोक्ताओं की स्वाद संबधी पसंद व्यापक हुई है। कच्चे, परिशोधित तेल और वनस्पति का कुल खाद्य तेलों के बाजार में अनुमानतः क्रमशः 35%, 55% और 10% हिस्सा है।

सारणी 4.12: भारत में वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति (2018)

उद्योग का प्रकार	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
1. वनस्पति, इंटरयीस्टीफाइड वनस्पति वसाएं	100
2. विलायक संयंत्र तथा तेल कारखानों के साथ परिशोधन संयंत्र	220
3. तेल मिल तथा मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल	313
4. विलायक निष्कर्षण इकाइयां	127
कुल	760

स्रोत: वीओपीपीए (आर) आदेश, 2011 के अंतर्गत निदेशालय में 2018 को पंजीकृत वनस्पति तेल उद्योग

खाद्य वनस्पति तेलों तथा वसा आपूर्ति श्रृंखला की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क) पूर्व प्रसंस्करण (बीज भंडारण/पेरना/पेरा हुआ तेल/विलायक निष्कर्षित कच्चा तेल)
ख) खाद्य वनस्पति तेलों तथा वसाओं और वसा का विनिर्माण और पैकिंग
ग) पैक बंद/विपुल खाद्य वनस्पति तेलों और वसा का भंडारण/भंडारागारों भंडारण व परिवहन

उपरोक्त सभी गतिविधियां एक ही सुविधा में चलाई भी जा सकती हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए तिलहन को पेरना और कच्चा तेल निकालना; कच्चे तेल का परिशोधन/प्रसंस्करण तथा गंतव्य तक तेल का परिवहन जैसे कार्य विभिन्न व्यापारों द्वारा किए जा सकते हैं। तद्नुसार इन व्यापारों के लिए कच्चा माल जैसे तिलहन (सीधे फार्म से) या कच्चा तेल (आपूर्तिकर्ता द्वारा पेरने के पश्चात्) या गैर पैक बंद प्रसंस्कृत तेल (विपुल/फुटकर पैकिंग के लिए ही) विभिन्न व्यापारों के कार्य हैं।

खाद्य वनस्पति तेलों और वसाओं के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं:

क) कच्चा/क्रूड खाद्य वनस्पति तेल
ख) परिशोधित खाद्य वनस्पति तेल
ग) मिश्रिम खाद्य वनस्पति तेल
घ) हाइड्रोजनिकृत वनस्पति तेल
ड.) बेकरी वसा और मार्जरीन

4.4.6 हरियाणा में खाद्य तेल उद्योग

जैसी की पहली चर्चा की जा चुकी है हरियाणा देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में से एक है। वास्तव में, हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, अतः वे क्षेत्र सरसों और दलहनों जैसी कुल फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है जिन्हें अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है। हरियाणा के सरसों उत्पादक जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम और रेवाड़ी शामिल हैं। सरसों के तेल की आर्थिकी की यह मांग है कि खाद्य तेलों को पेरने के संयंत्र फसलोत्पादन क्षेत्र के निकट होने चाहिए, ताकि परिवहन की लागत कम की जा सके। यहां यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि सरसों के बीज से 30–40 प्रतिशत के बीच तेल प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा में खाद्य तेल कारखाने उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही हैं। इनमें हिसार (हिसार और आदमपुर) में 15, फतेहाबाद (अधिकांशतः भत्तू) में 8, सिरसा में 5 तथा भिवानी और चरखी दादरी, प्रत्येक में 10–12 इकाइयां हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में तेल पेरने वाली इकाइयों की संख्या 100से 120 के बीच है लेकिन इनमें से मुश्किल से 50–60 प्रतिशत ही कार्यरत हैं। इसके अलावा इकाइयों को चलाने के लिए लगभग 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है। हरियाणा में खाद्य तेल उद्योग की अपेक्षा से कम स्थिति होने का प्रमुख कारण यह है कि अन्य देशों से आने वाले खाद्य तेल अपेक्षाकृत सस्ते हैं तथा सरसों के तेल की देश के अन्य तेलों जैसे चावल की भूसी के तेल और ताड़ तेल आदि से भी प्रतिस्पर्धा है।

वास्तव में, जैसे कि पिछले भाग में चर्चा की गई थी, तेल के निर्गंधीकरण तथा रंगहीनीकरण जैसी प्रौद्योगिकी प्रगतियों के कारण विभिन्न खाद्य तेलों के बीच एक प्रकार का भेद–भाव आ गया है जो हरियाणा में उच्च गुणवत्ता वाला सरसों के तेल के बाजार को हानि पहुंचा रहा है। वस्तुतः सरसों का तेल अपनी विशिष्ट गंध और स्वाद के कारण एक विशेष प्रकार की विशिष्ट पसंद हैं। वास्तव में, खाद्य तेल बाजार की मांग संबंधी प्रौद्योगिकी तथा बाजार विकसित करने में सरसों के तेल की खाद्य तेलों में वही श्रेष्ठता है जो चावल के मामले में बासमती चावल की है। इसके लिए प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन विधियों में सुधार की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत सामूहिक स्तर पर और यदि संभव हो तो पूरे भारत के स्तर पर सरसों के तेल की ब्रांडिंग का दृष्टिकोण अपनाना होगा और इसके लिए हरियाणा सरकार को सुनिश्चित प्रयास करने होंगे।

आश्चर्यजनक है कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 में राज्य में कृषि व्यापार तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को जो लाभ दिए जा रहे हैं उनमें से खाद्य तेल मिलीकरण को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं है। शासकीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि तेल निकालने का अधिकांश कार्य ग्रामीण स्तर के उद्योगों में किया जा रहा है और इसके लिए प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी पुरानी और रूढ़ है, मूल्यवर्धन न्यूनतम है और इस प्रकार, सरसों के तेल का उद्योग खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

तथापि, दाल मिलीकरण के साथ–साथ सरसों के तेल उद्योग को भी क्षेत्रीय विकास कार्यनीति में शामिल किया जा सकता है, ताकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम और रेवाड़ी सहित हरियाणा का हृदय क्षेत्र जो वास्तव में राज्य का अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसे सहायता पहुंचाई जा सके।

4.4.7 खाद्य तेल उद्योग की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

प्रश्नावली द्वारा एकत्र की गई तथा हितधारकों के साथ हुई व्यक्तिगत चर्चा से पुष्ट हुई सूचना का विश्लेषण किया गया है। चित्र 5 और सारणी 4.13 में हरियाणा में तेल कारखाना मालिकों से संबंधित परिणाम प्रदर्शित किए गए हैं।

4.4.7क. मांग संबंधी शर्तें

चित्र 5 में उल्लिखित मांगशर्तों से संबंधित गुणांक उप मान से राज्य में खाद्य तेल कारखाना मालिकों के समक्ष आ रही मांग संबंधी कठिन दशा प्रदर्शित हुई है। दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य तेलों के पक्ष में मांग को परिवर्तित करने की चुनौती से निपटने के कोई गंभीर प्रयास, ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं किए जा रहे हैं। मांग में यह परिवर्तन संरचनात्मक है और सरसों का तेल जो एक समय निर्धन लोगों का खाद्य तेल माना जाता था, अब उसे नए और सस्ते तेलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तेल कारखाना मालिक इस तथ्य से सहमत थे कि आधुनिक पैकेजिंग उनकी बिक्री के राजस्व और लाभ को बढाने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

यह भी स्पष्ट किया गया कि बिक्री के लिए छटाई और श्रेणीकरण भी सहायक सिद्ध हो सकता है और ये सुविधाएं तेल कारखाना मालिकों को आसानी से उपलब्ध हैं। तेल कारखाना मालिक ब्रांडिंग के महत्व से सहमत थे लेकिन उनका मानना है कि 5 प्रतिशत जीएसटी उद्योग के विकास में एक बड़ा नकारात्मक कारण है। तेल कारखाना मालिकों का कहना है कि उनके व्यापार में लाभ बनाने के लिए नए बाजार खोले जाने चाहिए। हरियाणा में तेल मिलीकरण की सहायता के लिए सरकार की भूमिका में हमने यह पाया कि सरकार का इस ओर उदासीन भाव है जिसका तात्पर्य यह है कि तेल कारखाना मालिकों को सरकार से अधिक अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार वे विद्यमान स्थिति से संतुष्ट थे।

सारणी 4.13 तेल कारखानों की विवरणात्मक सांख्यिकी

कारक शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	3.36	1.05
1.2	भूमि की लागत	2.08	1.16
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	2.56	1.27
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	3.20	1.02
1.5	बिजली की उचित लागत	2.04	1.08
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	2.84	1.29
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	4.12	0.77
1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.32	1.43
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	2.92	1.44
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	2.80	1.41
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	4.20	0.85
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	3.68	1.32
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.24	0.76
2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पाददों के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	4.32	0.88
2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.32	1.29
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	2.76	1.24
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए	2.24	1.14

	अत्यधिक लाभकारी हैं।		
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.80	1.23
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.12	1.03
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	2.98	1.46
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।	3.92	1.32
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है	3.48	1.30
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	3.16	1.41
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं	3.36	1.05
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	4.44	0.50
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	1.56	0.80
4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपडेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	2.64	1.29
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	2.08	1.29
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक है।	2.44	1.20
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	2.80	1.62
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान है।	4.32	0.08
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं।	2.68	1.41
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं।	3.44	1.63
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली है।	2.72	1.48
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक है।	3.56	1.10

यह आश्चर्यजनक और विरोधाभसी स्थिति है लेकिन हमारी अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान ऐसा तथ्य बना रहा। राज्य के कारखाना मालिक सरकारी सहायता लेने में उत्सुक नहीं थे और उनका यह मानना था कि यदि वे सरकारी सहायता लेते हैं तो सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। उनकी शिकायत थी कि उन्हें हरियाणा में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मंडी शुल्क अदा करना पड़ रहा है।

4.4.7ख. कारक शर्तें

कारक शर्तों में भूमि, श्रम, पूंजी और बिजली शक्ति की उपलब्धता तथा मिलीकरण कर्ताओं के लिए उनकी लागत जैसे पहलू शामिल हैं। राज्य के तेल कारखाना मालिक बुनियादी ढांचा संबंधी विभिन्न सुविधाओं जैसे भूमि, संस्थागत वित्त और तकनीकी श्रम आदि की उपलब्धता से संतुष्ट थे जैसा कि चित्र 5 में देखा जा सकता है। मांग शर्तों और बिक्री के बीच का संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भूमि, राज्य में तेल कारखाना मालिकों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं

है। वास्तव में अधिकांश कारखाना मालिकों ने, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में अपना व्यापार अपनी स्वयं की जमीन पर शुरू किया था और इसलिए उन्हें उसके मूल्य की चिंता नहीं थी। तेल कारखाना मालिक बिजली की आपूर्ति व उपलब्धता से भी संतुष्ट थे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रियाओं में देखा जा सकता है। तथापि, वे बिजली का मूल्य अधिक और अप्रतिस्पर्धात्मक मानते हैं। तेल कारखाना मालिकों ने गुणवत्तापूर्ण स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं, ठोस एवं तरल कचरा उपचार के संयंत्रों आदि सहित सामान्य सुविधाओं को अपर्याप्त बताया। रूचिकर है कि तेल कारखाना मालिकों ने यह रिपोर्ट किया कि तकनीकी कुशल एवं प्रबंधात्मक व्यक्तियों की तुलना में अकुशल कर्मियों की व्यवस्था करना आसान है। तथापि, वे अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था पड़ोसी राज्यों से करते हैं।

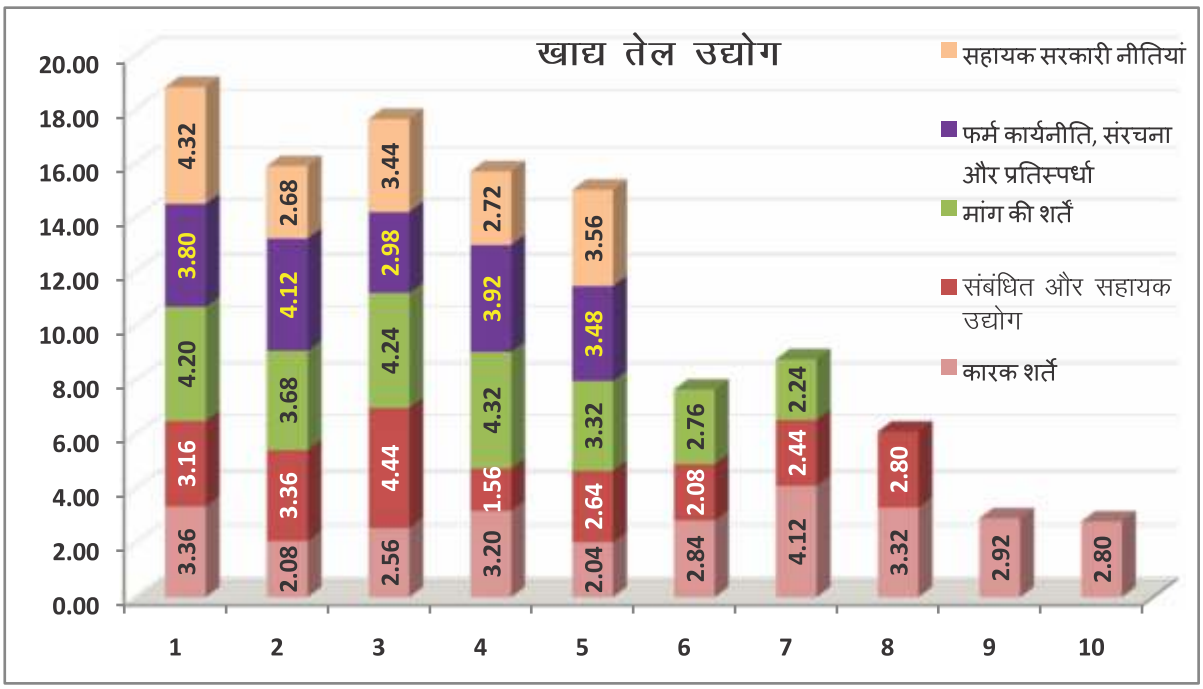

चित्र 5. हरियाणा में खाद्य तेल मिलों के आकलन के परिणाम

4.4.7ग. फर्म संरचना, कार्यनीति तथा प्रतिस्पर्धा

हरियाणा में अधिकांश तेल कारखाने अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनके व्यावसायिक कौशल में प्रबंध की कमी है। कार्यनीतिपरक प्रबंधन और भावी परिस्थितियों के लिए नियोजन यदा–कदा ही भावी जोखिम के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। वास्तव में, अधिकांश इकाइयों ने सच्चे अर्थों में अगले मौसम के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई है। तेल कारखानों का आकार छोटा होने के कारण एक इकाई के कार्य से एक सीमा तक दूसरी इकाई का कार्य प्रभावित नहीं होता है इसलिए उनके कार्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं दिखाई देती है। वस्तुतः अधिकांश कारखानों मालिक व्यापार की उभरती हुई स्थिति से प्रसन्न नहीं थे लेकिन समस्याओं पर विचार करने के अलावा उनके पास कोई स्पष्ट हल नहीं है। वे खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए उचित प्रकार से डिज़ाइन की गई ऋण नीति का भी उपयोग नहीं करते हैं जो इस व्यापार में बहुत आवश्यक है। तथापि, उनकी लेखाकरण तथा वित्तीय रिकॉर्ड रखने की विधि अच्छी है और कम्प्यूटरीकरण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

4.4.7घ. सबंधित और सहायी उद्योग

सामान्यतः तेल कारखाना मालिक उनकी फर्म तक सड़क की सुविधा की स्थिति से संतुष्ट थे। इसके अलावा वे अपनी फर्म के ठोस कचरे के निपटान की व्यवस्था से भी व्यापक रूप से संतुष्ट थे। यह भी विरोधाभास है कि वे अपनी ठोस कचरा प्रबंधन की विधि से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जबकि इस संबंध में उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था की ही नहीं है। तेल कारखाना मालिक अपने क्षेत्र में तकनीकी विकास से स्वयं को अद्यतन बनाए रखने के लिए तकनीकी संस्थाओं तथा प्रौद्योगिकी आपूर्ति करने वाली कंपनियों के निरंतर सम्पर्क में बने रहते हैं। तथापि, उनमें से अधिकांश ने हाल के वर्षों में अपनी प्रौद्योगिकी का कोई नवीनीकरण नहीं किया था। सौर शक्ति के उपयोग के बारे में भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी। तेल कारखाना मालिक अपने वित्तीय मामलों तथा कार्यनीतिपरक मुद्दों के लिए भी परामर्श

सेवाओं के मामले में काफी हद तक सनदी लेखाकारों (सीए) पर निर्भर थे। उनसे व्यक्तिगत चर्चा के लिए यह खुलासा हुआ कि पूंजी निवेश के उद्देश्य से तेल कारखाना मालिक अपने सीए, अन्य मित्रों तथा मशीनरी व संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं की सलाह लेते हैं।

4.4.7ड. सहायी सरकारी नीतियां

जैसा कि आरंभ में उल्लेख किया गया है तेल मिलीकरण को कर में रियायत और पूंजी अनुदान/निवेश के उद्देश्य से हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 में नहीं शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार तेल मिलीकरण को राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी मानती है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। तथापि, कारखाना स्वामी अपने व्यापार के बारे में सरकार की विद्यमान नीतियों से संतुष्ट थे, उन्होंने अपना व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने/समय–समय पर लाइसेंस के नवीकरण में किसी प्रमुख कठिनाई के बारे में नहीं बताया और वे इस स्थिति से प्रसन्न थे। कारखाना मालिकों में कच्चे माल की खरीद के बारे में नियमों और विनियमों के प्रति अपेक्षाकृत कम संतोष व्यक्त किया। यह बताया गया कि 5% वस्तु एवं सेवा टैक्स लागू किए जाने का छोटे स्थानीय ब्रांडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें हानि हो रही है क्योंकि इस मामले में मूल्यवर्धन न्यूनतम है। इस पहलू के अतिरिक्त वे संतुष्ट थे और यह अनुभव करते थे कि नियमों और विनियमों का पालन करना अपेक्षाकृत आसान और सरल है। अनेक कारखाना मालिक आयात पर अधिक प्रतिबंध चाहते थे लेकिन भारत में बाहर ने आने वाले सस्ते तेल से कैसे प्रतिस्पर्धा की जाए, इसके बारे में उनके पास कोई उपाय नहीं था।

4.4.8 निष्कर्ष

- कुल मिलाकर सरसों के तेल के कारखाने हरियाणा के ग्रामीण उद्योग परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरसों अपेक्षाकृत राज्य के कम विकसित और वर्षा की कमी वाले भागों में उगाई जाती है इसलिए खाद्य तेल उद्योग का कल्याण हरियाणा के इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है।
- दुर्भाग्य से राज्य के अधिकांश तेल कारखानों की हालत अच्छी नहीं है और राज्य सरकार भी इस उद्योग की उपेक्षा करती दिखाई पड़ रही है क्योंकि इस क्षेत्र को हरियाणा की कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2018 के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया है।
- यह सुविख्यात है कि समान उद्योगों के एक साथ आने से सामान्य सुविधाओं को अधिक कारगर ढंग से उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन इस राज्य में तेल कारखाने लगभग सभी भागों में फैले हुए हैं तथा कचरा उपचार संयंत्र, परीक्षण की सुविधाएं, रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी सुविधाएं और यहां तक कि सीमांत तथा तकनीकी रूप से योग्य कार्मिकों की कमी की समस्या बनी हुई है। बिजली उपलब्ध है लेकिन स्थानीय इकाइयों की लागत बहुत अधिक है।
- तेल कारखाना मालिक अपने परिचालन में छंटाई, श्रेणीकरण और पैकेजिंग का महत्व समझते हैं लेकिन इसका आर्थिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनमें अपने कार्यों को व्यावसायिक बनाने तथा अपनी गतिविधियों को परिस्थितियों के अनुकूल सुधारने का साहस भी नहीं दिखाई देता है।
- अन्य ग्रामीण कारखानों की तरह तेल कारखाना मालिक भी विभिन्न प्रकार के परामर्शों तथा अपने सकल वित्तीय प्रबंध, विशेष रूप से बहीखाता रखना आदि जैसे कार्यों के लिए सनदी लेखाकारों पर निर्भर है। तथापि, भविष्य की योजना बनाना, लागत प्रबंधन, विपणन प्रबंधन और कार्यनीति प्रबंधन जैसे मुद्दे इस क्षेत्र का कमजोर पक्ष हैं।

4.5 हरियाणा में ग्वार गोंद उद्योग

ग्वार भारतीय उपमहाद्वीप के मूल फसल की है। इसे भारत, पाकिस्तान तथा अमेरिका और अफ्रीका व आस्ट्रेलिया के कुछ भागों में उगाया जाता है। अन्य फलीदार फसल की तरह ग्वार भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की दृष्टि से एक उत्कृष्ट फसल है। इसकी जड़ की गांठों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं और फसल के अवशेषों को जब खेत जोतकर जमीन में मिला दिया जाता है तो अगली फसल की उपज में सुधार होता है। ग्वार प्रसंस्करण के उपोत्पाद चूरी और कोरमा हैं जिनका उपयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। कुल प्रसंस्कृत ग्वार के बीज से सामान्यतः 30 प्रतिशत के आस–पास ग्वार गोंद प्राप्त होता है, जबकि चूरी और कोरमा की मात्रा क्रमशः 20 और 35 प्रतिशत होती है। ग्वार गोंद ग्वार की फली से निकाला जाता है। ग्वार के बीजों का छिलका उतारा जाता है, मिलीकरण किया जाता है तथा ग्वार गोंद प्राप्त करने के लिए उसकी छंटाई की जाती है। यह मुख्य रूप से बहने वाला हल्के–पीले से हल्के

सफेद रंग का मोटे से महीन पिसा हुआ चूर्ण होता है। हरियाणा में ग्वार बीज के उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हरियाणा में ग्वार बीज का उत्पादन वर्ष 2002–03 में एक लाख टन से कम था जो वर्ष 2015–16 में अपने सर्वोच्च स्तर 3 लाख टन से अधिक हो गया, लेकिन इसके बाद इसके उत्पादन में कमी आई। वर्ष 2018–19 में ग्वार का अपेक्षाकृत 2 लाख टन से थोड़ा कम उत्पादन हुआ (चित्र 6)। राज्य के प्रमुख ग्वार व्यापार केन्द्र, आदमपुर, हिसार, फतेहाबाद, एलानाबाद, सिरसा और भिवानी हैं।

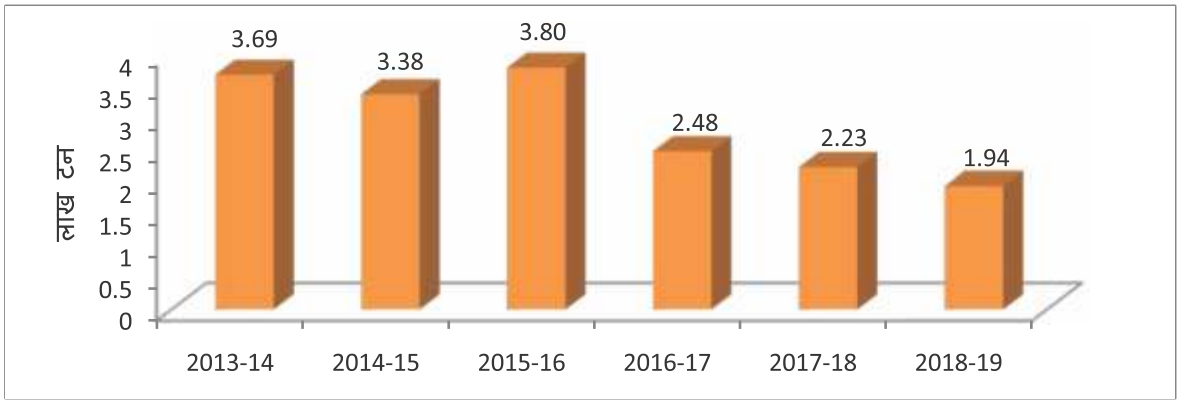

चित्र 6. हरियाणा में ग्वार उत्पादन (लाख टन में)
स्रोतः स्टेटिस्कल एब्सट्रेक्ट ऑफ हरियाणा (विभिन्न अंक)

4.5.1 भारत में ग्वार का उत्पादन

ग्वार बारानी खरीफ फसल है जो जून–जुलाई में बोई जाती है और अक्तूबर–नवम्बर में काटी जाती है। भारत में प्रति वर्ष 6.0 लाख टन ग्वार का उत्पादन होता है जो विश्व में सबसे अधिक है। विश्व के कुल ग्वार उत्पादन में यह लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के ग्वार गोंद उत्पादक राज्यों में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं।

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य है और यहां लगभग 4.2 लाख टन (भारत के कुल ग्वार उत्पादन का 70%) ग्वार का उत्पादन होता है। हरियाणा और गुजरात ग्वार उत्पादन के मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा देश के कुल ग्वार उत्पादन में इनका हिस्सा क्रमशः 12% और 11% है। हरियाणा के ग्वार उत्पादक जिले भिवानी, हिसार, गुरूग्राम, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी हैं। ग्वार बीज के प्रमुख व्यापार केन्द्र गंगा नगर, हिसार, अलवर, सिरसा, जोधपुर और बीकानेर हैं।

4.5.2 बाजार का अवलोकन

भारत में ग्वार गोंद की 300 से अधिक इकाइयां हैं जो मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में स्थित हैं और जिनकी प्रति माह उत्पादन क्षमता लगभग 90 हजार टन है। वर्ष 2017 में राजस्थान सरकार ने इस पर 5% कर लगा दिया जिससे बाध्य होकर राज्य में कई इकाइयां बंद हो गईं या पड़ोसी राज्यों में चली गईं। लगभग 40 इकाइयां हरियाणा में आ गईं। हरियाणा में हिसार, आदमपुर और भिवानी द्वार गोंद इकाइयों के मुख्य केन्द्र हैं।

ग्वार गोंद एक प्रमुख वाणिज्यिक फीड स्टॉक है जिसका उपयोग तेल और गैस उद्योग में विभिन्न रूपों में किया जाता है जैसे तेल के कुंओं, तेल की खुदाई करने वाले रिग, तेल कुंएं के अनुरूपण, शेल गैस उत्पादन तथा अन्य खोज विधियों में होता है। शेल गैस तथा तेल निकालने की युक्तियों की विश्व में तेजी से वृद्धि होने के कारण ग्वार गोंद के बाजार में बढ़ोतरी होगी। ग्वार गोंद का उपयोग खाद्य तथा पेयों में भी किया जाता है जिनमें बेक किए गए या ढूंढे गए खाद्य उत्पाद,फलों के रस, विभिन्न ड्रेसिंग, हिमित खाद्य उत्पाद शामिल हैं। बाजार अनुसंधान विश्लेषण से यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि ग्वार गोंद के बाजार में वर्ष 2022 तक 8% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होगा।

ग्वार गोंद का वैश्विक बाजार अनेक पक्षों की उपस्थिति के कारण छुटपुट स्थानों पर केन्द्रित है। बाजार में विक्रेता ऐसी कार्यनीतिपरक पहलें करते हैं जिनमें प्रौद्योगिकी सुधार तथा अधिक से अधिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्वार गोंद कंपनियां ग्वार गोंद के वैश्विक बाजार में अपना हिस्सा बढ़ा रही हैं तथा इस क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को उन्हें अपना साथी मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वे भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

4.5.3 ग्वार उत्पादन तथा मूल्यों में उतार–चढ़ाव

ग्वार के बीजों के मूल्य में उतार–चढ़ाव बाजार की वृद्धि के समक्ष एक संकट है। भारत में ग्वार उत्पादन में वर्ष–दर–वर्ष उतार–चढ़ाव होता रहता है क्योंकि मानसून वर्षा की गहनता और इसके पैटर्न में हर साल भिन्नता रहती है। भारत ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वैश्विक ग्वार उत्पादन में इसका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है। ग्वार का गोंद एक निर्यात–अभिमुख उत्पाद है और कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत भाग निर्यात होता है।

इस सीमांतकृत फसल के कृषि व औद्योगिक महत्व को देखते हुए ग्वार उत्पादन, विपणन व प्रसंस्करण उद्योग की मूल्यवर्धन के अन्य सभी हितधारकों के साथ योजना बनाते हुए इसके सकल विकास के लिए एक भावी कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, अलवर और जयपुर (राजस्थान राज्य में) तथा भिवानी, हिसार और सिरसा (हरियाणा राज्य में) और दीसा व अहमदाबाद (गुजरात राज्य में) में ग्वार प्रसंस्करण के अनेक उद्योग हैं। इन उद्योगों को ग्वार की दाल तैयार करने तथा ग्वार गोंद प्रसंस्कणकर्ताओं, दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत में 300 से अधिक दाल दलने की इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 6 लाख टन से अधिक है। ग्वार बीज प्रसंस्करण उद्योग दो प्रकार के हैं, नामतः **ग्वार बीज का ग्वार के गोंद में प्रसंस्करण और ग्वार के गोंद का चूर्ण के रूप में प्रसंस्करण।** इन सभी दाल दलने की इकाइयों के देसी संयंत्र और मशीनरी हैं और ये मुख्यतः राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगा नगर और बीकानेर जिलों में स्थित हैं। ग्वार की दाल विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध है और ये ग्रेड शुद्धता के आधार पर (90%, 92%, 95% और 97%) निर्धारित किए जाते हैं। पिसा हुआ गोंद उत्पाद के रूप में बाजार में बेचा जाता है और लगभग 40% आयात अब भी परिशोधित दालों के रूप में होता है।

4.5.4 ग्वार की दाल, ग्वार गोंद और ग्वार अवचूर्ण की आपूर्ति

ग्वार दाल के विनिर्माता या तो गांव के व्यापारियों से या किसानों से अथवा कमीशन एजेंटों के माध्यम से मंडियों में ग्वार खरीदते हैं। एक अन्य विद्यमान श्रृंखला के अंतर्गत किसान सीधे या कमीशन एजेंटों के माध्यम से व्यापारियों/स्टॉक रखने वालों को अपना उत्पाद बेचते हैं तथा व्यापारी दाल बनाने वालों या ग्वार गोंद प्रसंस्करणकर्ताओं को वह माल बेचते हैं। कमीशन एजेंट अधिनियम के अनुसार खरीदारों से 2.5% दलाली लेते हैं। प्रसंस्करणकर्ता ग्वार बीज के प्रसंस्करण के पश्चात् या तो सीधे या निर्यातकों के माध्यम से ग्वार की दाल को बेचते हैं। प्रसंस्करणकर्ता स्थानीय गोंद प्रसंस्करणकर्ताओं को भी ग्वार की दाल बेचते हैं। इसी प्रकार, गोंद प्रसंस्करणकर्ता ग्वार का बीज या तो गांव के व्यापारियों या कमीशन एजेंटों, स्टॉक रखने वालों/व्यापारियों के माध्यम से किसानों से प्राप्त करते हैं या वे ग्वार दाल विनिर्माताओं से दाल खरीदते हैं। ग्वार बीज/दाल को प्रसंस्कृत करने के पश्चात् विभिन्न उद्योग विशिष्ट ग्वार गोंद उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है तथा इसे या तो निर्यात किया जाता है और/अथवा भावी उपयोग के लिए घरेलू उद्योगों को बेचा जाता है।

उत्पादन का प्रतिशतः उद्योग मानदंडों व प्रसंस्करण मानकों के अनुसार ग्वार बीज के प्रसंस्करण से 28% परिशोधित दाल, 70% प्रोटीन और 2% अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं।

4.5.5 ग्वार उद्योग व व्यापार से संबंधित मुद्दे

अधिक चिपचिपापन वाले गोंद से युक्त उच्च उपजशील किस्मों की उपलब्धता की कमी के कारण

- उत्पादन प्रौद्योगिकी और गुणवत्तापूर्ण बीजों तक किसानों की कम पहुंच
- निम्न बीज प्रतिस्थापन दर,
- ग्वार बीज के मामले में प्रत्यक्ष विपणन और ठेके पर खेती की प्रथाओं का न होना
- प्रसंस्करण केन्द्रों में प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की कमी
- मध्यवर्ती उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों का न होना
- गोंद आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण में देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा
- ग्वार बीज तथा उत्पादों की खंडित आपूर्ति श्रृंखला
- कुशल जनशक्ति की कमी। आदि

दाल तथा चूर्ण उत्पादन के लिए ग्वार का प्रसंस्करण

ग्वार बीज

“

गीला प्रसंस्करण (क्षारीय घोल में)

“

पांच मिनट के लिए 100^0 से. तापमान पर तेजी से उबालना (मोटी छननी और pH 7.0 पर जल से धुलाई)

→ लेकेट

“

गीला छिलका उतारा गया बीज

“

हल्का अम्लीकरण (गुलाबी रंग के निष्कर्ष को हटा देना)

“

छिलकाहीन बीज का कैबिनेट/में सुखाने तथा निम्न गति की मोटी छननी के साथ पिसाई

“ “

भ्रूणपोष/गोंद दाल अंकुर कोशिकाएं

“

पीसना (200 मेश आकार के कण)

“

कच्चा गोंद (जल में निथारते हुए गोंद का निलंबन तथा आइसोप्रोपेनॉल/इथेनॉल मिलाना; 15 मिनट के लिए 5000 x जी पर अपकेन्द्रण द्वारा अवक्षेपित गोंद प्राप्त किया जाता है)

“

शुद्ध किया गया गोंद 95%

“

(200 मैश पर सुखाने तथा पीसने से प्राप्त होने वाला मुख्य अंश)

“

आंशिक शुद्ध किया गया गैलेक्टोमेनान

4.5.6 विनिर्माण प्रक्रिया

गोंद को उद्योगों द्वारा उपभोग तथा विशिष्ट श्रेणी देने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता संबंधी विशिष्टताओं के अनुसार हल्का पीला सफेद चूर्ण बनाने के लिए परिशोधित किया जाता है। आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी बनाने वाली इकाइयां अत्यधिक महीन, बारिक कण निर्माण तथा उच्चतर जल अवशोषण और निरंतरता के लिए चूर्ण तैयार करने हेतु नवीनतम तकनीकों और अन्य उपकरणों का उपयोग करती हैं। इस प्रकार का चूर्ण मुख्यतः औषधि उपयोगों, सौंदर्य प्रसाधन व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए तैयार किया जाता है। वर्तमान प्रथा के अनुसार ग्वार गोंद का चूर्ण 25 कि.ग्रा. के कागज के थैलो में पैक बंद किया जाता है तथा इन थैलों को पात्रों में भरा जाता है जिसमें 800 पैकेट आ सकते हैं।

यद्यपि 'एग्मार्क' ग्रेड परिभाषित हैं लेकिन बाजार व्यापारियों द्वारा मिश्रित किए गए उद्योग ग्रेड द्वारा संचालित होता है। इस तथ्य के कारण कि उत्पाद का भंडारण काल काफी लंबा होता है, अधिकांश उत्पाद व्यापारियों द्वारा मंडी से खरीदा जाता है तथा आने वाले वर्षों में मांग के अनुसार अलग–अलग रखा जाता है। बाजार में इसका मूल्य (व्यापारियों से मिलीकरणकर्ताओं तक) विभिन्न स्टॉक की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अधिकांश व्यापारी ग्वार का बीज प्रत्यायित भंडारागारों में भंडारित करने के बजाय अपने गोदामों में भंडारित करते हैं। ग्वार बीज के भंडारण के लिए भंडारागार की सुवधाएं अपर्याप्त हैं इसलिए और अधिक भंडारित संरचनाओं के निर्मित किए जाने की आवश्यकता है। इस उत्पाद की गुणवत्ता भंडारागारों में उचित रूप से नहीं बनाए रखी जाती है, इसलिए गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पर भंडारागारों के लिए कठोर नियम/विनियम निर्धारित किए जाने की जरूरत है। बाजार में पारदर्शिता तथा बाजार संबंधी सूचना का

अभाव है। इस तथ्य के बावजूद भी कि ग्वार को व्यापक स्तर पर महत्व प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित बाजार सूचना के प्रतिभागियों तक प्रचार–प्रसार करने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत हमें ग्वार की अधिसूचित किस्मों के श्रेष्ठ गुणवत्ता के बीज उत्पन्न करने चाहिए। वैज्ञानिक इसकी अति अगेती पकने वाली किस्में भी विकसित कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन के लिए किसानों के प्रशिक्षण से युक्त अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों से प्रौद्योगिकी को समेकित प्रयोगशालाओं से भूमि तक हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सारणी 4.14: ग्वार व्युत्पन्नों की उपयोगवार वैश्विक खपत

उपयोग का प्रकार	लक्ष्य उद्योग	वैश्विक खपत
खाद्य श्रेणी	बेकरी (ब्रेड), डेरी (आईसक्रीम, शर्बत,चीज़ आदि), ड्रेसिंग (सॉस, कैचअप), बेवरेज (चाकलेट पेय), पालतू पशु आहार (थिकनर)	20%
त्वरित निर्जलित गोंद	तेल ड्रिलिंग (कूप उद्दीपक तथा अंश कम करने वाले कारक के रूप में), खनन (अधिक प्राप्ति, फिल्टर सहायता), विस्फोटक (गेलिंग एजेंट), कोयला खनन (अंश कम करने तथा बंधन के लिए)	70%
औद्योगिक श्रेणी	कपड़ा छपाई (रंजकों के लिए थिकनिंग एजेंट), कागज़ (शक्ति बढ़ाना और रंध्रता घटाना), तंबाकू (बंधन एवं सशक्तिकरण), फोटोग्राफी (गैलिंग और हार्डनिंग), सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि (बाइंडर और थिकनर के रूप में), स्लाइमिंग (भार कम करने तथा विरेचक के रूप मे)	10%

स्रोत: ग्वार इंडस्ट्री आउटलुक (2015), एनआईएएम, 2013

भावी ग्वार उद्योग के लिए विशिष्ट युक्तियों और उपायों की आवश्यकता होगी। कहा जा सकता है कि यह उद्योग विशिष्ट स्थानिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद विभेदनशील की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए खाद्य उद्योग में जैव अपघटनशील, प्रदूषण रहित और जैविक उत्पादों के प्रति लोगों की पसंद बढ़ रही है। इससे इस उद्योग में निवेश, ज्ञान प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भागेदारी व हस्तांतरण के लिए साझेदारियों की काफी संभावना है।

ग्वार प्रसंस्करण के उपोत्पाद ग्वार अवचूर्ण (भूसी और अंकुर का मिश्रण) हैं जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत हैं। इसे पशुओं के चारे और कुक्कुट आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार अवचूर्ण को थोड़ा भून लेने पर उसका पोषण मान बढ़ जाता है। इसकी 10 प्रतिशत तक मात्रा कुक्कुट आहार में इस्तेमाल हो सकती है तथा रोमंथियों के आहार में मूंगफली की खली जैसे सम्पूरकों को ग्वार के अवचूर्ण से 100 प्रतिशत प्रोटीन के लिए प्रतिस्थपित किया जा सकता है। ग्वार चूर्ण को गाढ़ा करने में स्टार्च की तुलना में छह गुना अधिक प्रभावी है और इसे स्टार्च के उन्नयन में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्वार के गोंद के विभिन्न व्युत्पन्न उपलब्ध हैं और इससे कठोर जैल बनाने के लिए इसमें 99% तक पानी मिलाया जा सकता है।

4.5.7 बाजार की प्रकृति

ग्वार के बीज के बाजार में बहुत उतार–चढ़ाव देखा गया है। सर्वोच्च मूल्य और आपूर्ति की कमी और उससे पहले स्थायी मांग और आपूर्ति की अवधि में काफी परिवर्तन हुआ है और हाल के वर्षों में ग्वार का बाजार बहुत अनिश्चित हुआ है। ग्वार के बीज के व्यापार के लिए उपलब्ध भौतिक बाजार राज्यों की कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) के अंतर्गत बना हुआ है। राजस्थान में ग्वार के लिए मंडी शुल्क 1.60 प्रतिशत की दर से लिया जाता है, जबकि हरियाणा में यह 1.0 प्रतिशत, गुजरात में 0.5 प्रतिशत है जबकि पंजाब में ग्वार पर कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है। ग्वार के बीज की बिक्री का मुख्य साधन कमीशन एजेंट हैं जो एपीएमसी अधिनियम के अनुसार निर्धारित 2.5 प्रतिशत दलाली वसूल करते हैं।

4.5.8 भारत में ग्वार गोंद उद्योग के समक्ष मुद्दे

- सीमित मूल्य वर्धन और उत्पाद विविधीकरण
- पर्याप्त अनुमोदित भंडारण गोदामों और भंडारागारों की कमी
- गुणवत्तापूर्ण प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की कमी
- अकुशल तथा अप्रभावी आपूर्ति श्रृंखला

- निर्यात के लिए प्रमाण–पत्र संबंधी मुद्दे: खतरे का विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण मान (एचएसीसीपी), आईएसओ 9000, आईएसओ 22000 सहित प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली और कठिन है।
- ग्वार के गोंद के विशिष्ट उत्पादों के उभरते हुए बाजारों का उचित उपयोग न हो पाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

4.5.9 व्यापार संबंधी बाधाएं

प्रमुख औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने आयात के लिए उत्पाद को शुल्क मुक्त कर दिया है लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में ग्वार उत्पादकों पर सामान्यतः शुल्क लगाया जाता है। चीन, भारत से ग्वार गोंद का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और ग्वार गोंद के चूर्ण पर 15% तथा ग्वार की दाल पर 7% शुल्क लगाता है। ग्वार के उत्पाद अधिकांशतः समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किए जाते हैं। बंदरगाहों से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा यह है कि माल की लदाई बंदरगाह पर करनी होती है तथा कंटेनर कारखाना स्थल पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

4.5.10 ग्वार गोंद के विकल्पों का विकास

ग्वार गोंद के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर तेल और गैस के क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सस्ते विकल्पों से भी चुनौती मिल रही है। उदाहरण के लिए इमली के बीज का उपयोग कपड़ा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रंजकों के उपयोग के लिए ग्वार के गोंद के स्थान पर किया जा रहा है। साथ ही इसका विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और कपड़े की छपाई में होता था, जिसके स्थान पर अब इमली के बीज की गिरी का उपयोग होने लगा है। इसी प्रकार, केफिया–टोरा का अब खाद्य उद्योग में गहन उपयोग हो रहा है और विभिन्न खाद्य पदार्थों में यह ग्वार गोंद का स्थान ले रहा है।

4.5.11 अन्य समस्याएं

जैसे–जैसे उद्योग का पिछले वर्षों में विकास हुआ है, वैसे–वैसे विशेषज्ञ श्रम, व्यावसायिक परामर्श सेवाओं और तकनीकी सहायता की मांग भी बढ़ी है। उद्योग के अनेक प्रसंस्करणकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी महसूस की जा रही है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी के ज्ञान तथा उत्पाद के जैव रसायन से संबंधित जानकारी की भी कमी है। बहुत कम भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा के आधार पर विशिष्ट ग्वार व्युत्पन्न तैयार करती हैं। उद्योग को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करते हुए वांछित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि भारत में व्युत्पन्न विनिर्माण करने की सुविधाएं स्थापित हो सके। भारत ग्वार उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है,जबकि इससे संबंधित सभी पेटेंट पश्चिमी देशों की कंपनियों के पास हैं। केवल उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से ही अन्वेष्णकर्ता अपने अन्वेषणों को पेटेंट करा सकते हैं।

4.5.12 हरियाणा में ग्वार–गोंद उद्योग

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हरियाणा भारत में ग्वार बीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा में ग्वार गोंद उद्योग मुख्यतः हिसार (मुख्यतः आदमपुर जो हिसार से 30 कि.मी. दूर है और हिसार में भी), भिवानी (भिवानी से 30 कि.मी. के आस–पास शिवानी कस्बा), सिरसा और फतेहाबाद में केन्द्रित है। कुछ इकाइयां झज्जर और रेवाड़ी में भी बताई गई हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में लगभग 20–25 इकाइयां ग्वार चूर्ण और 100–120 इकाइयां ग्वार फलियों का उत्पादन कर रही हैं। तथापि, व्यापार संबंधी आकलन से यह सुझाव मिलता है कि कार्यों को अव्यावहारिक पाने के कारण इनमें से लगभग आधी इकाइयां बंद हो गई हैं। ग्वार दाल पर 5% और ग्वार चूर्ण पर 18% वस्तु एवं सेवा टैक्स लिया जाता है। तथापि, निर्यात के मामले में वस्तु एवं सेवा टैक्स निर्यातकों को वापस कर दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार का किसानों से ग्वार बीज सीधे खरीदने की अनुमति देने का निर्णय हरियाणा के ग्वार गोंद उद्योग को प्रभावित करने वाला है। हरियाणा की अधिकांश ग्वार प्रसंस्करण इकाइयां हरियाणा–राजस्थान सीमा के निकट हैं और यदि हरियाणा सरकार सीधे किसानों से ग्वार बीज खरीदने की अनुमति नहीं देती है तो यह संभावना है कि निकट भविष्य में अधिकांश इकाइयां हरियाणा से राजस्थान चली जाएंगी। किसानों से सीधी खरीद ग्वार बीज की ठेके पर खेती को प्रोत्साहित करेगी। उद्योग भी सही कीमत पर गुणवत्तापूर्ण बीज खरीद सकेंगे और स्थानिक उत्पादों को ठेके पर खेती के माध्यम से अधिक प्रभावी और कारगर बनाया जा सकेगा।

4.5.13 ग्वार मिलीकरण में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

राज्य में ग्वार–गोंद की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करने के लिए हमने पहले से तैयार की गई प्रश्नावली` माध्यम से सूचना एकत्र की। हमें 26 ग्वार गोंद इकाइयों से उत्तर प्राप्त हुए। एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण किया गया तथा निष्कर्षों की हितधारकों से व्यक्तिगत चर्चा करके पुष्टि की गई। संबंधित परिणाम चित्र 7 और सारणी 4.15 में दिए गए हैं।

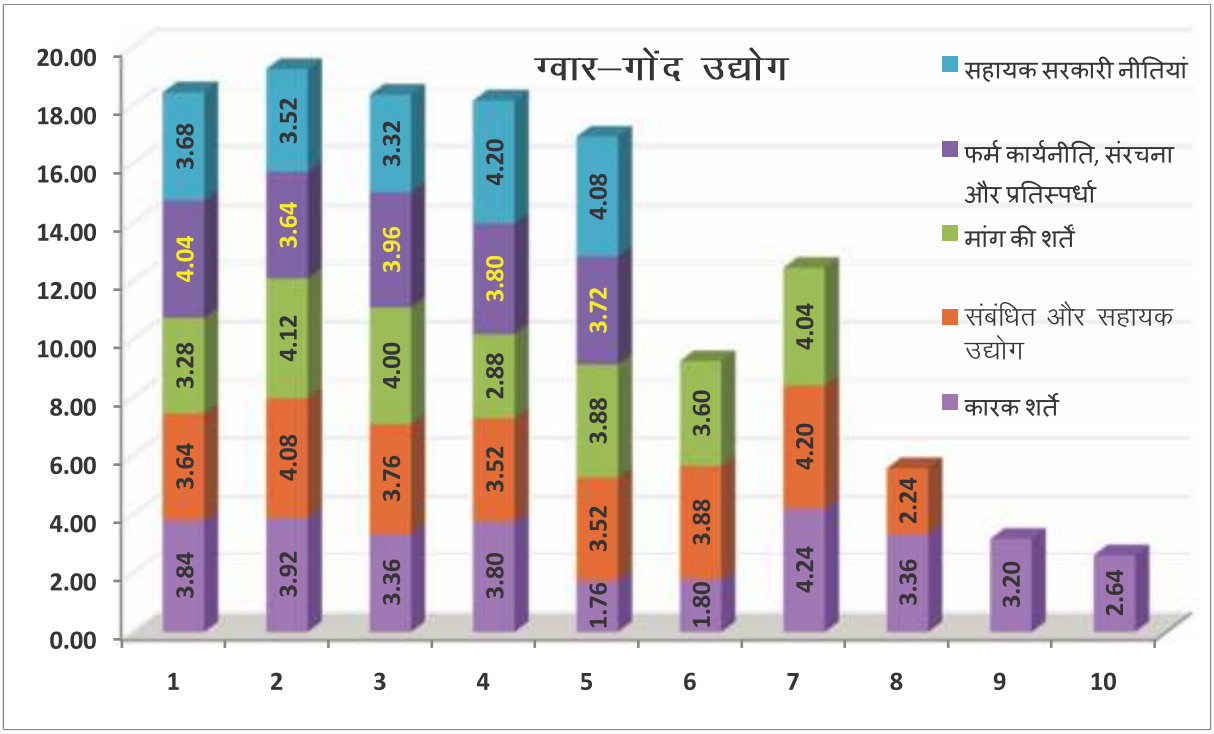

चित्र 7. हरियाणा में ग्वार मिलों के आकलन के परिणाम

सारणी 4.15: ग्वार गोंद कारखानों की विवरणात्मकता सांख्यिकी

कारक शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	3.84	1.05
1.2	भूमि की लागत	3.92	1.06
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	3.36	1.26
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	3.80	1.10
1.5	बिजली की उचित लागत	1.76	0.71
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	1.80	0.69
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	4.24	0.65
1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.36	1.32
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.20	1.26
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	2.64	1.26
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	3.28	1.37
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.12	0.77
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.00	1.02
2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पाददों के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	2.88	1.11

2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.88	0.82
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	3.60	1.17
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं।	4.04	1.04
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.04	1.11
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.64	1.13
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.96	1.11
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।	3.80	1.02
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.72	1.04
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	3.64	1.23
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं।	4.08	089
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	3.76	1.11
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	3.52	1.17
4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपडेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	3.52	1.33
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	3.88	0.99
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक है।	4.20	1.06
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	2.24	1.14
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान है।	3.68	1.12
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं।	3.52	1.27
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं।	3.32	1.62
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली है।	4.20	0.80
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक है।	4.08	0.80

4.5.13क. मांग संबंधी शर्तें

ग्वार गोंद उद्योग एक वैश्विक उद्योग है, अतः स्थानीय उद्योग द्वारा मांग संबंधी शर्तों का सामना करना पड़ता है, उन पर वैश्विक प्रभाव भी होता है। कच्चे माल की कीमत वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च होने और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सेल गैस का भी उत्पादन तेजी से बढ़ने के साथ–साथ ग्वार गोंद की मांग वर्ष 2010–11 में शिखर पर पहुंच गई। तथापि उसके पश्चात् अन्य उद्देश्यों के लिए तो ग्वार गोंद की मांग बढ़ रही है लेकिन यह उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी वर्ष 2010–11 में थी। स्थानीय उद्योगपति इस कथन से सहमत थे कि आधुनिक पैकेजिंग का उनकी बिक्री और

लाभ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तथापि, यह भी बताया गया कि औद्योगिक उत्पाद होने के कारण ब्रांडिंग व्यावहारिक विकल्प नहीं है। तथापि, कुछ स्थानिक उपयोगों में ब्रांडिंग का लाभ उठाना संभव है। ग्वार गोंद के कारखाना मालिक अपनी बिक्री और लाभ को बढ़ाने के लिए नए बाजार और नए ग्राहकों को निरंतर खोज रहे है। वे सामान्यतः ग्वार गोंद उद्योग के लिए सरकारी नीतियों तथा प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं से संतुष्ट थे। तथापि, उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि निर्यात उत्पाद होने के कारण ग्वार दाल पर 5% और ग्वार चूर्ण पर 18% वस्तु एवं सेवा टैक्स लगाना अनावश्यक है तथा व्यापार में आसानी के लिए इसे हटा दिया जाना चाहिए।

4.5.13ख. कारक शर्तें

हरियाणा में ग्वार गोंद उद्योग राजस्थान राज्य की सीमा के निकट इसके पश्चिमी भाग में फल–फूल रहा है। हरियाणा का यह क्षेत्र क ृषि और इसके साथ–साथ उद्योग के मामले में अपेक्षाकृत कम विकसित है। ग्वार गोंद की अधिकांश इकाइयां छोटे कस्बों जैसे आदमपुर (हिसार), भुन्ना (फतेहाबाद), शिवानी (भिवानी) आदि में स्थित हैं। इन छोटे कस्बों में जमीन की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जल, संस्थागत वित्त, अकुशल श्रमिक, सीमांत कुशल श्रमिक और तकनीकी श्रमिक आदि भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तथापि, ग्वार गोंद के कारखाना मालिक महंगी और अनिश्चित बिजली की आपूर्ति से प्रसन्न नहीं हैं। मंडी कर और आढ़तियों की कमीशन के कारण कच्चा माल भी अपेक्षाकृत महँगा पड़ता है। यह बताया गया कि ग्वार गोंद की अनेक इकाइयां राजस्थान चली गई हैं क्योंकि वहां व्यापार संबंधी स्थितियाँ और सरकार की नीति अधिक अनुकूल हैं। चिंता का मुख्य मुद्दा यह है कि अधिक से अधिक इकाइयाँ राजस्थान में जा रही हैं।

4.15.13ग. फर्म की कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा

ग्वार गोंद उद्योग में असंगठित क्षेत्र के अपेक्षाकृत छोटे–छोटे पक्ष भी प्रवेश कर गए हैं। इन फर्मों का प्रबंधन बाजार मांग की जटिल दशाओं का विश्लेषण किए बिना माल की खरीद और प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान देता है। दुर्भाग्य से मांग की दशाओं, गुणवत्ता संबंधी मुद्दों तथा ग्वार गोंद के नए–नए उपयोगों और इसके साथ ही सार्थक तरीके से इसके प्रतिस्थापन के खतरे की गतिकी का मूल्यांकन करने का कोई क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यापार की दशाओं में परिवर्तन के प्रति व्यापारी और कारखाना मालिक तैयार नहीं रहते हैं। इसी प्रकार, संभावना की आर्थिकी का लाभ उठाने के लिए वे अपने संयंत्र का आकार बढ़ाने का भी कोई प्रयास करते नजर नहीं आते हैं। उनका मुख्य ध्यान वित्तीय प्रबंधन पर रहता है और इस मामले में सनदी लेखाकार या सीए उनके मुख्य व्यापार सलाहकार हैं। तथापि, उनकी ऋण संबंधी नीति भी भली प्रकार डिज़ाइन नहीं है और अधिकांश मामलों में उनके कार्यपरक उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं।

4.5.13घ. संबंधित और सहायी उद्योग

ग्वार गोंद के उद्योगपति तकनीकी मार्कदर्शन, सड़कों के उपलब्ध होने और उनकी इकाइयों के ठोस कचरा प्रबंधन के उपायों की उपलब्धता से संतुष्ट थे। उनका मानना था कि सौर ऊर्जा संयंत्र समय की मांग हैं और इसका इस्तेमाल करने से उनकी प्रसंस्करण लागत कम हो सकती है और लाभ बढ़ सकता है। उनका दावा था कि वे आपूर्तिकर्ता कंपनियों से प्रौद्योगिकी के बारे में नवीनतम सूचना प्राप्त करते रहते हैं। वे नवीनतम विकासों के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में भी बने रहते हैं। ग्वार गोंद के अनेक उद्योगपतियों ने बताया कि वे बाजार की तलाश में दूसरे देशों का दौरा भी कर चुके हैं।

4.5.13ङ. सहायी सरकारी नीतियां

ग्वार गोंद के कारखाना मालिक लाइसेंस प्राप्त करने/उनका नवीकरण कराने के मामले में सरकार से संतुष्ट थे। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि उन्हें वस्तु एवं सेवा टैक्स के लागू होने से लाभ हुआ है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके उद्योग को वस्तु एवं सेवा टैक्स से छूट दी जाए क्योंकि अनेक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद अधिकांश वस्तु एवं सेवा टैक्स वापिस कर दिया जाता है। इसलिए वस्तु एवं सेवा टैक्स में छूट देने से सरकार को अधिक हानि नहीं होगी लेकिन उन्हें बाधा मुक्त व्यापार करने में सहायता मिलेगी। तथापि, वे अपने कच्चे माल, राष्ट्रीय उत्पाद एवं व्युत्पन्न विनिमय लिमिटेड, मंडी शुल्क आदि के संबंध में सरकारी नीतियों के बारे में चिंतित थे। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि ग्वार उत्पादों को राष्ट्रीय उत्पाद एवं व्युत्पन्न विनिमय लिमिटेड से बाहर रखा जाए क्योंकि इससे ग्वार गोंद के पहले से चले आ रहे अनिश्चित मूल्य में और अधिक उतार–चढ़ावों को बढ़ावा मिलता है।

4.5.14 निष्कर्ष

- हरियाणा राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य है। हरियाणा में हिसार, आदमपुर और भिवानी ग्वार गोंद इकाइयों के प्रमुख केन्द्र हैं।
- इस उद्योग को पर्याप्त अनुमोदित भंडार गोदामों और भंडारागारों की कमी तथा गुणवत्तापूर्ण प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की कम संख्या में उपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- निर्यात के लिए प्रमाणीकरण संबंधी मुद्देः खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु खतरे का विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण मान (एचएसीसीपी), आईएसओ 9000, आईएसओ 22,000 सहित प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली या कठिन है।
- विशेषीकृत ग्वार गोंद उत्पादों के लिए उभरते हुए बाजारों का उपयोग न हो पाना
- जल, संस्थागत वित्त, अकुशल श्रम, सीमांत स्तर पर कुशल श्रम तथा तकनीकी श्रम आदि की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है। इस उद्योग के मालिक यह चाहते थे कि निर्यात अभिमुख जिंस होने के कारण ग्वार दाल पर 5% और ग्वार चूर्ण पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाना उचित नहीं है, अतः व्यापार में आसानी के लिए इसे हटाया जाना चाहिए। ग्वार गोंद के कारखाना मालिक महंगी और अनिश्चित बिजली की आपूर्ति से खुश नहीं हैं। मंडी कर तथा आढ़तियों के कमीशन के कारण कच्चा माल भी अपेक्षाकृत महंगा है।
- वे अपने उत्पादों का ब्रांडीकरण नहीं कर रहे हैं तथा पैमाने पर संभावना की आर्थिकी का लाभ उठाने के लिए संयंत्र का आकार बढ़ाने के भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
- उनका मुख्य ध्यान वित्तीय प्रबंधन पर है तथा सनदी लेखाकार उनके मुख्य व्यापार परामर्शक हैं। तथापि, उनकी ऋण नीति भली प्रकार डिज़ाइन नहीं है और उनके कार्यनीतिपरक उद्देश्यों के अनुसार नहीं है।

4.6 हरियाणा में डेरी क्षेत्र

भारत में लोकप्रिय धारणा के अनुसार दूध और दूध उत्पादों की उपलब्धता समृद्धि से संबंधित है। तथापि, देश की स्वतंत्रता के पश्चात् हम दुग्ध चूर्ण के एक बड़े निर्यातक थे। इसलिए दूध उत्पादन में सुधार के लिए देश में 1970 के दशक में आप्रेशन फ्लड शुरू किया गया। आप्रेशन फ्लड की विभिन्न प्रावस्थाओं के परिणामस्वरूप दुग्धोत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा जो 1970 में 22 मिलियन टन था वह वर्ष 2018–19 में 107.26 लाख मिलियन टन हो गया। हरियाणा इस प्रक्रिया में दूध का उत्पादन बढ़ाने के मामले में अपेक्षाकृत एक सफल राज्य रहा है।

4.6.1 नवीनतम विकास

दूध की मांग के बढ़ने के तीन प्रमुख कारक हैंः (i) जनसंख्या में वृद्धि, (ii) शहरीकरण और (iii) आय में वृद्धि। कुछ कारक जैसे आहार में उच्च प्रोटीन के मामले में उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई रूचि और अधिक जागरूकता व विभिन्न चैनलों के माध्यम से डेरी उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि भी इस विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से हैं। डेरी पालन कृषि का ही एक गौण व्यवसाय है तथा यह छोटे और सीमांत किसानों व भूमिहीन मजदूरों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है । जिन किसानों के पास बहुत कम जोत है वे दुधारू पशुओं की सहायता से अपनी आय का स्तर सुधारने की दिशा में अधिक प्रयास करते हैं। वास्तव में, छोटे और सीमांत किसानों की कुल पारिवारिक आय के लगभग 40 प्रतिशत भाग में दुग्धोत्पादन का योगदान है। शुष्क भूमि के किसानों को डेरी व्यवसाय अपनाने से पर्याप्त लाभ होता है।

वर्तमान में, कुल उत्पन्न दुग्धोत्पाद का 48% भाग या तो उत्पादों के स्तर पर उपभोग में लाया जाता है या ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धोत्पादन न करने वालों को बेचा जाता है। शेष 52 प्रतिशत दूध (विपणन योग्य सरप्लस) शहरी केंद्रों में उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। इस 52% में से वर्तमान में लगभग 40%दूध संगठित क्षेत्र (डेरी सहकारिताओं और उत्पादक कंपनियों द्वारा 20% और निजी डेयरियों द्वारा 19%) तथा शेष 60% असंगठित क्षेत्र द्वारा बेचा जाता है।

सारणी 4.16. वर्ष 2017 के दौरान दुग्ध उपयोग का पैटर्न (कुल प्रतिशत)

वस्तु का नाम	औसत खपत (कुल खपत का %)
दुग्ध पेय	45
घी	28
मक्खन	7
दही	7
खोया	6
अन्य	7

स्रोतः (एलएएनएसए वर्किंग पेपर सीरीज़ खण्ड 2017, अंक 20, नवम्बर 2017)

4.6.2 हरियाणा में डेरी उद्योग

हरियाणा कृषि विकास और दुग्धोत्पादन में सफलता के लिए विख्यात है। सारणी 4.17 में यह दर्शाया गया है कि कृषि क्षेत्र में कुल मूल्य वर्धन में पशुधन का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2017–18 में पशुधन का राज्य में कृषि क्षेत्र के मूल्यवर्धन में कृषि का लगभग 40% योगदान था। यह देखा जा सकता है कि हरियाणा में पशुधन का 70 प्रतिशत से अधिक भाग डेरी उद्योग में है। इसके अलावा हरियाणा में पशुधन (और डेरी) के विकास की दर भी फसलों की तुलना में काफी अधिक है। वास्तव में पशुधन (और डेरी भी) क्षेत्र हरियाणा में कृषि क्षेत्र को बचाने वाला सिद्ध हुआ है और यदि इसकी सहायता न मिली होती तो राज्य में कृषि की वृद्धि लगभग ठहर गई होती।

सारणी 4.17: हरियाणा– कृषि तथा पशुधन में सकल मूल्य वर्धन (000 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य पर)

वर्ष	कृषि, वानिकी और मछली पालन	फसलें	पशुधन	कृषि मूल्य वर्धन के % रूप में पशुधन
2011-12	64.5	40.9	18.9	29.3
2012-13	71.5	44.6	21.6	30.2
2013-14	79.3	49.5	24.8	31.2
2014-15	80.2	46.1	29.2	36.4
2015-16	84.6	46.8	32.9	38.5
2016-17	94.3	54.3	35.9	37.6
2017-18	107.0	59.1	42.2	39.8
2018-19(P)	117.6	63.1	48.7	41.4
2019-20(Q)	127.9	66.0	55.9	43.7
2020-21(A)	138.3	67.9	64.7	46.7
औसत आंशिक वृद्धि %	8.89	5.97	14.6	

स्रोतः हरियाणा सांख्यिकी सारांश से प्राप्त आकलन (विभिन्न वर्षों के)

हरियाणा मुख्यतः भैंस का दूध उत्पन्न करने वाला राज्य है जहां लगभग 61 लाख भैंसें और 18.08 लाख गो–पशु हैं। हरियाणा में वर्ष 2017–18 में कुल वार्षिक दुग्धोत्पादन 98.09 लाख टन तक पहुंच गया था और इस प्रकार, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1005 ग्राम थी, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 375 ग्राम है।

इसके अतिरिक्त सिरसा, भिवानी, सोनीपत, रोहतक और पंचकुला में पांच विशेषज्ञतापूर्ण पशुचिकित्सा पॉलीक्लीनिक सहित 2,879 पशुचिकित्सा संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त 15 नए सरकारी पशुचिकित्सा अस्पताल और 27 सरकारी पशु औषधालय भी खोले गए हैं और 20 पशु चिकित्सा औषधालयों का सरकारी पशुचिकित्सा औषधालय के रूप में उन्नयन किया जा चुका है।

सारणियों में प्रस्तुत की गई सूचना से प्रदर्शित होता है कि हरियाणा में दुग्ध, दूध के मूल्य वर्धित उत्पादों, दूध के बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दूध के मूल्य वर्धित निष्पादों की वृद्धि राज्य में दूध की मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक है।

सारणी 4.18: हरियाणा में दूध उत्पादन

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	दुग्धोत्पादन (मिलियन टन में)	प्रति व्यक्ति दूध (ग्रा. में)	दुग्धोत्पादन (मिलियन टन में)	प्रति व्यक्ति दूध (ग्रा. में)
2010-11	6.27	680	121.8	
2011-12	6.66	708	127.9	290
2012-13	7.04	747	132.4	299
2013-14	NA	NA	137.7	307
2014-15	7.90	805	146.3	322
2015-16	8.38	835	155.5	337
2016-17	8.98	878	165.4	355
2017-18	9.89	1005	176.3	375
2018-19	10.72	1087	187.7	394
2019-20(P)	11.73	1142	.	.

स्रोतः हरियाणा सांख्यिकी सारांश (2019–20)

सारणी 4.19. हरियाणा में दूध की खरीद और दुग्ध संयंत्र

वर्ष	दूध की खरीद (लाख लीटर में)	दुग्ध संयंत्र		दुग्ध शीतलन संयंत्र	
		संख्या	क्षमता (लाख लीटर/दिन)	संख्या	क्षमता (लाख लीटर/दिन)
1980-81	211.8	5	2.35	10	1.45
1990-91	918.3	5	3.65	12	2.3
2000-01	1009.3	5	4.7	19	3.05
2010-11	1875.5	5	4.7	27	3.33
2015-16	1648.0	6	6.45	17	3.2
2016-17	1648.0	6	6.45	17	3.4
2017-18	2050.4	6	9.45	17	3.2
2018-19	1632.8	6	9.45	16	3.2
2019-20	1688.3	6	9.45	16	7.16
इसके अतिरिक्त हरियाणा में 165 बड़ी मात्रा में दुग्ध शीतल करने की युक्तियां (बीएमसी) हैं जिनकी क्षमता 2.3 लाख लीटर/दिन (लाख लीटर प्रतिदिन) है					

स्रोतः हरियाणा डेरी विकास निगम। दूध केवल सासायटियों के माध्यम से खरीदा गया।

सारणी 4.20: डेरी संयंत्रों की संख्या (क्षमता)

	सहकारिता (संख्या)		निजी (संख्या)		अन्य (संख्या)		कुल (संख्या)		कुल क्षमता (लाख लीटर/दिन)	
वर्ष	1996	2016	1996	2016	1996	2016	1996	2016	1996	2016
हरियाणा	5	6	34	31	2	2	41	39	6.6	24.2

सारणी 4.21: हरियाणा में दूध के मूल्य वर्धित उत्पाद (2016–17)

वस्तु का नाम	क्षमता (मिलियन टन)
पनीर	537.1
मक्खन	312.8
सुवासित दूध	377.9
लस्सी	3936.9

स्रोत: एनएपीडीडी विज़न 2022

4.6.3 हरियाणा में डेयरियों के समक्ष मुद्दे

एक मुद्दा राज्य में अपंजीकृत और अविनियमित डेयरियों का बड़ी संख्या में होना है। यह ध्यान देने योग्य है कि गो–पशु परिसर पंजीकरण नियमावली, 1978 के अंतर्गत उन शहरों या कस्बों में डेयरियों को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। दुर्भाग्य से इन नियमों का यदा–कदा ही पालन किया जाता है।

4.6.4 जटिल वैधानिक तथा नीतिगत ढांचा

डेयरी मलिकों को विनियमित करने के लिए अनेक नियम और दिशानिर्देश विद्यमान हैं, जैसे:

- पशुओं के प्रति क्रूरता बचाव अधिनियम, 1960
- पशुओं के प्रति क्रूरता बचाव (गोपशु परिसरों का पंजीकरण) नियमावली, 1978
- पशुओं के प्रति क्रूरता से बचाव (पशुओं का परिवहन) नियमावली, 1978
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
- भारत सरकार के कृषि एवं पशु पालन विभाग ने 2 दिसम्बर 2014 को खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाले पशुओं पर एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर एक परामर्श जारी किया था।
- आयुक्त डेयरी विभाग, संबंधित राज्य या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी के अधीन दूध एवं दुग्धोत्पाद आदेश (एमएमपीओ) 1992 पंजीकरण
- अग्नि सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणीकरण
- ग्राम पंचायत/नगरपालिका से स्वीकृति
- प्रदूषण नियंत्रण मंडल से स्वीकृति एवं अनापत्ति
- जिला उद्योग केन्द्र या लघु उद्योग विभाग में पंजीकरण
- बॉयलर लगाने के लिए कारखाना निरीक्षक से लाइसेंस

4.6.5 हरियाणा में प्रसंस्करण का बुनियादी ढांचा

अति शीतलित दूध तापरोधी टैंकरों में प्रसंस्करण संयंत्रों को भेजा जाता है, जहां इसे पास्चुरीकृत करके पैकबंद किया जाता है, ताकि पैकबंद तरल दूध और विभिन्न दुग्धोत्पादों में प्रसंस्कृत करने के लिए बेचा जा सके। वर्तमान में सहकारिताओं के अधिकांश दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र तथा अनेक पुराने संयंत्रों का न तो न विस्तार हुआ है और न ही कभी आधुनिकीकरण। ये संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकी से चल रहे हैं जिसमें ऊर्जा का दक्ष उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए सहकारिताओं के पास जो दुग्ध प्रसंस्करण का बुनियादी ढांचा है उसमें नवीनता लाने/उन्नयन करने/आधुनिकीकरण करने की तत्काल आवश्यकता है।

हरियाणा में संगठित क्षेत्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि यहां दुग्ध प्रसंस्करण के प्रमुख नामों में वीटा (हरियाणा सरकार का उद्यम), अमुल (मनेसर, रोहतक और सोनीपत संयंत्र), स्मृति (शाह), स्टर्लिंग (राई) और लक्ष्य उत्पाद हैं। प्रमुख दुग्ध प्रसंस्करणकर्ताओं ने बताया कि वीटा को 5/–रु. प्रति लीटर का अनुदान दिया जाना सरकार से मिलने वाला ऐसा लाभ है जो नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिद्वंद्वियों पर अपने दूध का मूल्य कम करने का दबाव पड़ता है। दूध का उच्च खरीद मूल्य लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। मुख्य संयंत्र दूध के साथ–साथ अन्य मूल्य वर्धित पदार्थ भी तैयार करते हैं। यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अति आधुनिक विनिर्माण, भंडारण व अन्य संबंधित सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे उद्यमी घाटे में रहते हैं। पैकेजिंग प्रतिस्पर्धा के मामले में महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन आधुनिक पैकेजिंग महंगी भी है और इसका कम ही उपयोग हो पाता है।

4.6.6 डेयरी उद्योग की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

हरियाणा में डेरी उद्योग में छोटे पशु वाली डेयरियों (1 से 3) की संख्या बहुत अधिक है। इसके साथ ही भौगोलिक दृष्टि से दूध संकलन का बुनियादी ढांचा विभिन्न गांवों में दूर–दूर तक फैला हुआ है। बड़े पशुओं के डेयरी (3 से 10) गांवों में और इसके साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी दूध की आपूर्ति करती हैं। राज्य में सहकारिता की व्यवस्था के अंतर्गत दूध संयंत्र और दूध की खरीद का स्तर वर्षों से स्थिर है तथा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तथापि इसकी पूर्ति निजी व्यापारियों द्वारा होती है। जिन सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध संयंत्रों की क्षमता थोड़ी बढ़ी है, वहां निजी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। यह बढ़कर लगभग 18 लाख लीटर प्रति दिन हो गया है। दूध एक शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है, अतः इसे अति शीतलित दशा में तत्काल भंडारित करना होता है। तद्नुसार हरियाणा में वर्तमान में 17 दुग्ध शीतलन संयंत्र विद्यमान हैं जिनकी क्षमता 3.4 लाख लीटर प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त, यहां 2.3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 165 विपुल मात्रा में दूध को शीतल करने वाले कूलर (बीएमसी) भी हैं। इस प्रकार, राज्य की कुल दुग्ध शीतलन क्षमता 5.7 लाख लीटर प्रतिदिन है जिसे बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

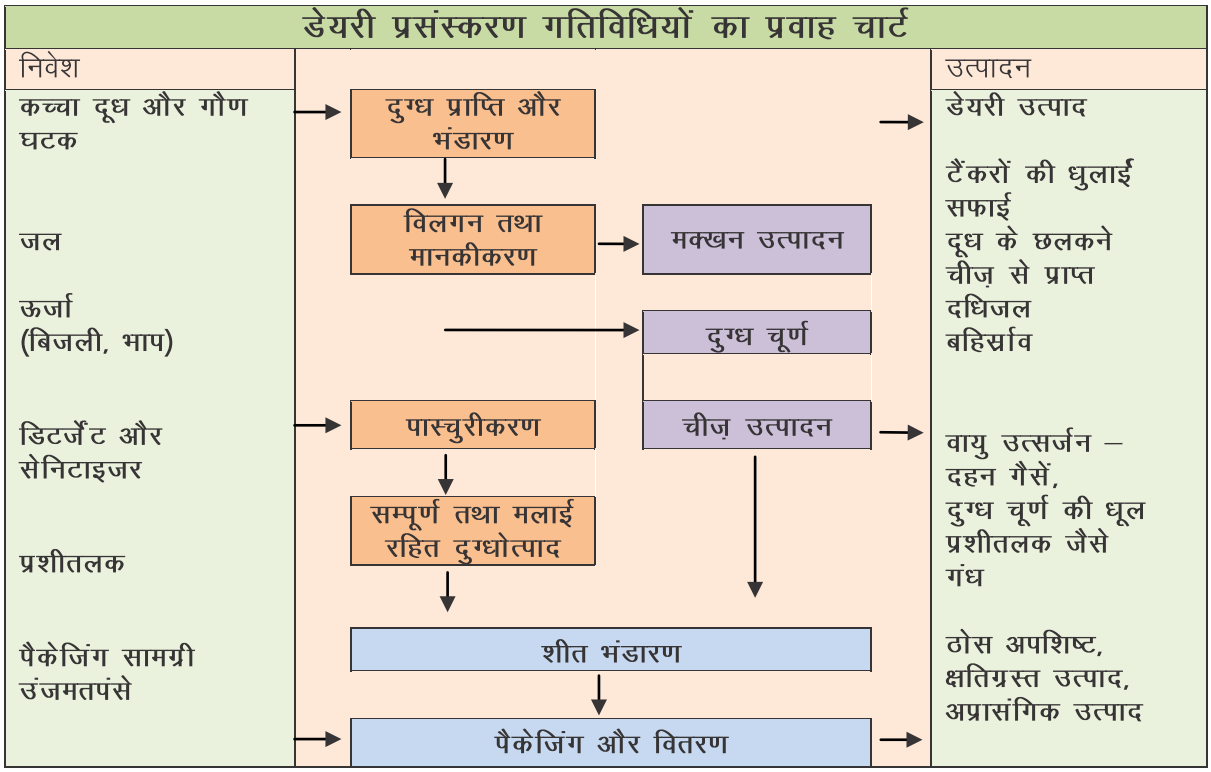

दुग्ध संयंत्रों के लाभ और प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण के लिए 26 दुग्ध संयत्रों से पहले से पदार्थ तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्र की गई। एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण किया गया तथा पारस्परिक चर्चा के बाद प्राप्त परिणाम सारणी 4.22 और चित्र 8 में दिए गए हैं।

सारणी 4.22: दुग्ध उद्योग की विवरणात्मक सांख्यिकी

मांग संबंधी शर्तें		माध्य	मानक विचलन
1.1	ऋण की आसानी से उपलब्धता	2.64	1.16
1.2	भूमि की लागत	2.40	1.06
1.3	सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता	3.76	1.07
1.4	आसानी से उपलब्ध बिजली कनेक्शन	2.80	1.44
1.5	बिजली की उचित लागत	1.84	0.78
1.6	आसानी से उपलब्ध औद्योगिक वित्त	3.00	1.33
1.7	औद्योगिक उद्देश्य से जल की आसानी से उपलब्धता	4.20	0.90

1.8	अकुशल मजदूरों की आपूर्ति	3.33	1.41
1.9	तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की आपूर्ति	2.36	1.13
1.10	सीमांत कुशल मजदूरों की आपूर्ति	1.13	3.00
मांग संबंधी शर्तें			
2.1	व्यापार से लाभ लेने के लिए आधुनिक और हरित पैकेजिंग सुविधाओं में सुधार	4.24	0.76
2.2	उत्पादों के लिए आसानी से उपलब्ध छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.28	0.87
2.3	व्यापार के लाभ के लिए छंटाई और श्रेणीकरण की सुविधाएं	4.12	0.82
2.4	ब्रांडिंग व्यापार में उत्पाद (दों) के मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है।	4.44	0.57
2.5	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की तलाश	3.28	1.00
2.6	व्यापार में लाभ के लिए उत्पाद के नए बाजार	4.12	0.77
2.7	व्यापार से संबंधित सरकारी योजनाएं/अनुदान/प्रोत्साहन व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं।	3.48	1.33
फर्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा			
3.1	सनदी लेखाकार/एमबीए वित्त/आईसीडब्ल्यूए का परामर्श व्यापार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.24	0.65
3.2	नकद बजट नियमित रूप से तैयार करना व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है	3.69	1.15
3.3	खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	4.12	0.82
3.4	उचित वस्तु सूची का नियोजन और प्रबंधन बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।	4.24	0.86
3.5	पूंजी निवेश के मामले में लाभ तथा टिकाऊपन में असफलता का मूल्यांकन और आकलन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।	3.88	1.14
संबंधित और सहायी उद्योग			
4.1	भंडारागार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं।	3.88	1.24
4.2	ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं।	2.76	1.42
4.3	संयंत्र तक सड़क की दशा अच्छी है।	4.20	0.80
4.4	तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता संतोषजनक हैं।	2.20	1.26
4.5	फर्म क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना को अपडेट करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के सम्पर्क में रहती है।	3.80	1.30
4.6	हम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं।	3.52	0.98
4.7	मेरे व्यापार से संबंधित सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक है।	4.16	0.73
4.8	सौर ऊर्जा, वर्षा जल के संग्रहण व उपयोग से लाभ को सुधारने में सहायता मिलती है।	4.00	0.94
सहायी सरकारी नीतियां			
5.1	लाइसेंस प्राप्त करना या उसका नवीकरण करना संभव व आसान है।	2.96	1.40
5.2	आपके व्यापार के लिए कच्चे माल की खरीद के संबंध में सरकारी नियम और विनियम संतोषजनक हैं।	3.48	1.33
5.3	उपोत्पाद/उत्पाद की बिक्री के संबंध में सरकारी नियम व विनियम संतोषजनक हैं।	3.08	1.49
5.4	जीएसटी से सम्पूर्ण टैक्स से संबंधित भार कम हुआ है तथा यह कर निर्धारण की एक संतोषजनक प्रणाली है।	3.16	1.57
5.5	मेरे व्यापार के लिए उपलब्ध कर में रियायत अत्यंत लाभदायक है।	3.48	1.30

4.6.6क. मांग संबंधी शर्तें

मांग संबंधी और बिक्री के बीच का पीएलएस गुणांक यह दर्शाता है कि स्थिति संतोषजनक है। परिणाम जमीनी हकीकत के अनुकूल हैं क्योंकि मांग की शर्तें सामान्यतः अच्छी हैं। अच्छी बात यह है कि डेयरी मालिक अपना लाभ बढ़ाने के लिए आधुनिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं के बारे में सहमत हैं। इसी प्रकार, वे छंटाई श्रेणीकरण और मूल्य वर्धित उत्पादों जैसी सुविधाओं को अपने व्यापार की सफलता में आवश्यक मांगते हैं। ध्यान देने योग्य है कि दुग्ध उत्पादक अपने व्यापार से संबंधित सरकारी नीतियों से भी सहमत हैं, लेकिन अन्य संबंधित घटकों के बारे में इतने अधिक सहमत नहीं।

4.6.6ख. कारक शर्तें

दुग्ध संयंत्र मालिक भूमि, जल, बुनियादी ढांचे और तकनीकी श्रम आदि की उपलब्धता से न तो संतुष्ट हैं और न ही अप्रसन्न। उनका कहना था कि बिजली के मूल्य बहुत अधिक हैं और उन्हें कम किया जाना चाहिए। उनकी शिकायत थी कि दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति अनिश्चित है जिससे दुग्ध संयंत्रों के लिए उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुग्धोत्पादक अपने संयंत्रों के लिए सामान्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता से प्रसन्न थे। दुग्ध संयंत्र के मालिक तकनीकी और विशेष रूप से प्रबंधात्मक कुशल कर्मियों की अनुपलब्धता की समस्या का सामना कर रहे थे। कुल मिलाकर दुग्ध संयंत्र स्वामियों से संबंधित कारक दशाओं में सुधार की आवश्यकता है, ताकि वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

चित्र 8. हरियाणा में दुग्ध संयंत्रों के आकलन के परिणाम

4.6.6ग. फार्म कार्यनीति, संरचना और प्रतिस्पर्धा

जैसा कि हरियाणा में अन्य कृषि उद्योगों के मामले में है, दुग्ध संयंत्रों के मामले में भी फर्में वर्तमान स्थिति में बाजार में प्रभाव बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा करने में बहुत रूचि लेते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकांश उद्यमी स्थानीय बाजार में व्यापार कर रहे हैं और अपने कार्यों व क्षमता को और अधिक सुधारने की महत्वाकांक्षा उनमें नजर नहीं आती है। नए–नए उपाय करने और प्रयोग करने के भी कोई खास प्रमाण नहीं हैं। रुचिकर है कि व्यक्तिगत चर्चाओं से यह सुझाव मिला कि बढ़ते हुए और सक्षम बाजार के बावजूद वे अपने व्यापार में बहुत अधिक आशावादी नहीं हैं। बहुत कम उद्यमियों ने संगठित उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा करने का कोई गंभीर प्रयास किया है।

विशेष रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश दुग्धोत्पादक खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भली प्रकार डिज़ाइन की गई ऋण नीति का उपयोग नहीं कर रहे थे जो उनके व्यापार में अति वांछित है। तथापि, वे लेखे और रिकॉर्ड रखने के बारे में सचेत और जागृत नजर आए। उनके मुख्य व्यापार सलाहकार सनदी लेखाकार ही थे। उन्होंने अधिकांश मामलों में अपने निवेशों और निर्गम के लिए वस्तु सूची को उपयुक्ततम बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। पूंजी

निवेश में भावी लाभ के आकलन की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्होंने इस उद्देश्य से जिन युक्तियों का उपयोग किया है वे बहुत आधुनिक नहीं है।

4.6.6घ. संबंधित एवं सहायी उद्योग

दुग्ध संयंत्र मालिक सड़क उपलब्धता तथा दुग्ध भंडारण सुविधाओं से संतुष्ट थे। उन्होंने अपने व्यापार के लिए सामान्य सुविधाओं पर भी संतोष व्यक्त किया। वे अपनी फर्मों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली से भी संतुष्ट थे। यह भी बताया गया कि दुग्ध संयंत्र मालिक स्वयं को अपने व्यापार से संबंधित नए विकासों के बारे में अपडेट बनाए रखने के लिए तकनीकी संस्थाओं (विशेष रूप से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल) के निरंतर सम्पर्क में रहते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि उन्हें प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता कंपनियों से भी नवीनता सूचना प्राप्त होती रहती है। तथापि, उन्हें अपनी फर्म में सौर शक्ति संयंत्र के उपयोग की आवश्यकता अनुभव होती है। कुल मिलाकर सहायी सेवाओं, विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषों के उपयुक्ततम उपयोग से संबंधित दशा भी उनके लिए संतोषजनक थी।

4.6.6ड. सहायी सरकारी नीतियां

दुग्ध संयंत्र मालिक सरकारी नीतियों/प्रोत्साहनों से संतुष्ट थे। उन्हें लाइसेंस पाने और उसका नवीकरण कराने में कोई समस्या नहीं थी। वे अपने व्यापार में कर के स्तर से भी संतुष्ट थे। ध्यान देने योग्य है कि जीएसटी भी दुग्ध उत्पादों के मामले में अच्छा पाया गया। इसी प्रकार, हाल में शुरू की गई मिनी डेयरी स्कीम भी निवेशकों के लिए आकर्षक पाई गई। वे वीटा (सरकार के एक उपक्रम) को 5 रु. का अनुदान दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि यह अन्य दुग्ध व्यापारियों के हित के विरुद्ध है। राज्य में यह धारणा भी है कि दूध का खरीद मूल्य अधिक है और इससे दुग्ध संयंत्र स्वामियों का लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभवित हुआ है।

4.6.7 निष्कर्ष

- डेयरी उद्योग हरियाणा में समाज के निर्धन और सीमांत वर्ग की आय का प्रमुख स्रोत है।
- राज्य में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता निरंतर सुधर रही है।
- राज्य में अनेक दुग्ध शीतलन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हैं। इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में हैं जहां तकनीक को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और प्रतिस्पर्धा के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कमी है।
- राज्य में मांग की स्थिति पर्याप्त अच्छी है लेकिन कारक शर्तें, विशेष रूप से तकनीकी मार्गदर्शन और प्रबंधात्मक प्रतिभा में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- स्थानीय दुग्ध प्रसंस्करण फर्मो को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी दक्षता में सुधार करने, प्रौद्योगिकियों को आधुनिक बनाने और लागत को कम करने की आवश्यकता है।

भाग 5

भावी दिशा :
उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक न रुको

5.1 प्रमुख निष्कर्ष

- आर्थिक इतिहासकार मानते हैं कि उद्योगीकरण की प्रथम अवस्था के रूप में गेहूं, धान, दलहन, खाद्य तेलों सहित कृषि उपज का प्रसंस्करण मुख्यतः ग्राम उद्योगों के विकास की एक कड़ी है।
- तथापि, समय के साथ छोटी ग्रामीण इकाइयों की आत्म निर्भरता के लिए तथा बड़े कृषि उद्योगों के विकास के लिए विशेषज्ञता का होना जरूरी है।
- ये उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट होने चाहिए जैसे गन्ना कारखाने, आटा चक्कियां, दाल कारखाने, खाद्य तेल कारखाने और दुग्ध संयंत्र ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां इनके कच्चे माल का उत्पादन होता हो। इससे ग्रामीण उद्योगीकरण और क्षेत्रीय संतुलित आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।
- बाजार अर्थव्यवस्था में यह अपेक्षित है कि ग्रामीण उद्योगों को उच्चतर स्तर के उद्योगों में प्रगति करनी चाहिए अन्यथा वे प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाएंगे और समाप्त हो जाएंगे।
- अपनी प्रौद्योगिकी को अपडेट बनाने, प्रबंधात्मक क्षमताओं, बाजार संबंधी शक्तियों का उन्नयन करने तथा बाजार की जटिल दशाओं से निपटने की प्रवृत्ति को अपनाकर ग्रामीण उद्योग श्रेष्ठ भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं और पारिस्थितिक प्रणाली को सुधारने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- इसी प्रकार, ऋण सुविधाओं, सक्षम नीतियों व बुनियादी ढांचे तथा प्रतिस्पर्धीकरण निर्धारण संबंधी नीति की उपलब्धता स्थानीय उद्योगों की वृद्धि को सुधारने में अत्यधिक सहायक है।
- हरियाणा में 1970 के दशक के आरंभ से अनेक चावल कारखाने, आटा चक्कियां, दाल कारखाने, खाद्य तेल कारखाने, दुग्ध संयंत्र तथा अन्य कृषि उद्योग राज्य के विभिन्न भागों में विशेष रूप से कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र के निकट स्थापित हुए हैं।
- दुर्भाग्य से राज्य के कृषि उद्योग में अपने परिचालनों को आधुनिक बनाने के बहुत कम प्रयास किए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनमें ठहराव आ गया है। सरकार की उदासीनता तथा कृषि उद्योगों के प्रबंधन में कुशलता का निम्न स्तर भी उनकी प्रतिस्पर्धाहीनता का कारण बन रहे हैं।
- इसके अलावा विद्यमान सामाजिक मूल्य तथा राजनीतिक प्राथमिकताएं भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहायक नहीं रही हैं क्योंकि फार्मिंग समुदायों के शिक्षित व्यक्ति भी कृषि उद्योगों में रूचि नहीं दर्शा रहे हैं।
- अतः हरियाणा में मुख्यतः व्यापारी वर्ग भी कृषि उद्योग में प्रविष्ट हुआ है। इस व्यापारी वर्ग में कमी की अर्थव्यवस्था में लाभ उठाने में महारथ हासिल कर ली है (*उनके लाभ का मुख्य स्रोत सीमांत था और वे प्रसंस्करण के मामले में खरीद और बिक्री के बीच के अंतर से लाभ कमा रहे थे और यहां तक कि वे प्रसंस्करण न करके भी लाभान्वित हो रहे थे*)। उन्हें जटिल प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने का भी विशेष अनुभव नहीं था।
- दुर्भाग्य से नीति निर्माताओं की भी यह धारणा थी कि कृषि उद्योग सहित अन्य सभी उद्योग राज्य के राजस्व का एक साधन हैं और उन्होंने कच्चे माल (किसानों को सुरक्षा देने के लिए) और निर्गम (ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए) की खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए तथा उद्योगों की वृद्धि व विकास तथा उनमें विशिष्टता लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए।
- वर्ष 1991 के पश्चात् अन्य सभी क्षेत्रों के समान कृषि उद्योग को भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों सहित संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सरकार ने लाइसेंस परमिट राज में कृषि उद्योगों को विनियमित करने के लिए नियमों में कोई छूट नहीं दी। उदाहरण के लिए आज की तारीख तक कृषि उद्योगों को अपना कच्चा माल सीधे किसानों से खरीदने की अनुमति नहीं है। आश्चर्य नहीं कि हरियाणा में अधिकांश कृषि उद्योगों की दशा अच्छी नहीं है।

- इसके अतिरिक्त सरकारों (केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों) ने कृषि उद्योगों को लगभग भुला दिया है और उनका ध्यान खाद्य प्रसंस्करण पर ही रहा है। दुर्भाग्य से मूल सुविधाओं जैसे सफाई,छंटाई, श्रेणीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और गोदामों/भंडारागारों में भंडारण (गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण हेतु) जैसी मूल सुविधाओं की हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा पहल किए जाने तक उपेक्षा की जाती रही। इस संगठन ने राज्य में कृषि तथा ग्रामीण आय में सुधार की सहायता की दृष्टि से राज्य की कृषि इकाइयों की स्थिति, निष्पादन तथा भावी संभावनाओं की ओर ध्यान दिया।
- कृषि इकाइयों की वर्तमान स्थिति की जांच करने और भावी उपाय सुझाने के लिए कार्य दल का गठन मामले में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5.2 सिफारिशें

सुझाई गई सिफारिशों तथा नीति संबंधी उपायों को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता हैः राज्य नीति, नियम एवं विनियम, भौतिक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं का विकास, प्रशासनिक उपाय तथा अन्य उपाय। इनका विवरण निम्नानुसार हैः

5.2.1 नीति, नियम और विनियम

- वर्तमान एपीएमसी अधिनियम (कृषि उपज विपणन समितियों) में मंडियों (और आढ़तियों) के माध्यम से कृषि उपज का बेचा जाना जरूरी है लेकिन अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और इसे तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है।
- किसानों को सीधे व्यापारियों/कारखाना मालिकों को अपना उत्पाद बेचने की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि वे सबसे अच्छा मूल्य देने को तैयार रहते हैं। मंडी कमीशन एजेंटों/आढ़तियों के माध्यम से बिक्री की वर्तमान प्रणाली से कृषि कारखाना मालिकों के अग्रगामी और पश्चगामी एकीकरण सहित हितधारकों को अनेक सक्षम लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। साथ ही कृषक उत्पादक कंपनियों के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से किसान कृषि उत्पादक इकाइयों के स्थापित होने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बारे में, आगे विस्तार से बताया गया है।
- हरियाणा सरकार ने अपने कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) अधिनियम में संशेधन करके संविदा मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जोड़ दिया है, जो अनावश्यक है क्योंकि संविदा खेती का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच परस्पर मूल्य तय करना है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा हरियाणा संविदा खेती नियमावली, 2007 में नियमों को लागू करने में मंडी समिति की भूमिका को प्रमुख बनाया गया है। ये नियम प्रतिबंधकारी दिखाई देते हैं, अतः इनमें उदारीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में संविदा खेती के प्रतिबंधकारी नियमों से संविदा खेती को नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को संचालित करने में प्रोत्साहन की बजाय निरोत्साहन मिला है।
- इसी प्रकार, कृषि उद्योगों को खेती के लिए सीधे किसानों से पट्टे पर भूमि लेने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार फसलें उगा सकें इससे कृषि उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उत्पन्न करने और प्रतिस्पर्धी होने में सहायता मिलेगी। किसानों को भी इस प्रक्रिया में किराए से धन प्राप्त होगा और वे भी लाभान्वित होंगे।

5.2.2 प्रशासनिक उपाय

- गुणवत्तापूर्ण विपणन के लिए उपज के निर्यात हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र देने सहित प्रयोगशालाओं को पर्याप्त और उचित उपकरणों की आवश्यकता है और ऐसी प्रयोगशालाएं प्रमुख व्यापार केन्द्रों में स्थापित की जानी चाहिए।
- शिकायत समाधान प्रणाली का विकास, अर्थात् दिए गए ग्रेड के मामले में विचार/धारणा/निर्णय में भेद के बारे में किसानों की शिकायतों और ग्राहकों की शिकायतों के लिए ऐसी प्रणाली विकसित होनी चाहिए जिसमें नीलामी के दौरान घोषित किए गए श्रेणियों के बारे में खरीददारों की शिकायतें भी सुनी जा सके।

नए व्यापार मॉडलों को प्रोत्साहन

- पश्चगामी और अधोगामी एकीकरणः मूल्य वर्धन श्रृंखला में परस्पर लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों में एकीकरण और सहयोग को प्रोत्साहन देना।

इससे किसानों और अन्य पक्षों व वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों को वांछित गुणवत्ता का कच्चा माल तथा उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

सुनिश्चित बाजार (उच्चतर मूल्य बिचौलियों के न होने से) और गुणवत्तापूर्ण बीज तक पहुंच तथा सस्योत्तर और सस्यपूर्व ज्ञान (मिलीकरणकर्ताओं द्वारा चीनी उद्योग के पैटर्न पर उपलब्ध कराया गया) प्राप्त होने से किसानों को लाभ होगा।

- वैकल्पिक रूप से किसानों/शिक्षित युवाओं को नए कृषि उद्योग स्थापित करने या विद्यमान कृषि उद्योगों को प्रबंधन/चलाने के लिए उनका प्रग्रहण करने (पट्टे पर, सीधे खरीदकर या किसी अन्य सुविधा के द्वारा) के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सरकार को इसमें सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अंतस्थ बाजार परिसर (http://agricoop.gov.in/sites/default/files/OpGdTM.pdf)

अंतस्थ बाजार परिसर, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जुलाई 2009 में शुरू की गई योजना है)।

इस योजना का उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करके और किसानों की आय बढ़ाकर उनकी दक्षता में वृद्धि लाते हुए किसानों को बाजारों से जोड़ना है।

- इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी उपज उपभोक्ताओं को या प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे बेच सकते हैं, निर्यात के लिए पैक बंद कर सकते हैं या भावी निपटान के लिए भंडारित भी कर सकते हैं।
- अंतस्थ बाजारों के लिए हब और स्पोक मॉडल का विकास (टीएम): छोटे कस्बे वाले टीएम तिली या स्पोक के रूप में और बड़े कस्बों के टीएम कृषक किसानों की उपज के निपटान के लिए पहिये के केन्द्रीय भाग या हब के रूप में कार्य करेंगे।
- वास्तव में, आढ़तियों से मुक्ति इस योजना का अधिक महत्वपूर्ण भाग है जिससे उन्हें दिय जाने वाला कमीशन बचेगा (2–3%) और मंडी शुल्क भी (4% तक) अदा नहीं करना पड़ेगा।
- निजी प्रयासों से निजी पक्षों को आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस बुनियादी ढांचे में सफाई, छंटाई और श्रेणीकरण आदि सहित भंडारागारों, गोदामों, शीत श्रृंखलाओं और पूर्व प्रसंस्करण संबंधी व्यवस्थाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास का शामिल है।

  यह सुझाव दिया जाता है कि हरियाणा सरकार को राज्य में अन्य कृषि उपजों विशेष रूप से चावल कारखानों, गेहूं आटा चक्कियां, ग्वार के गोंद, तेल कारखानों, दाल कारखानों और दुग्ध संयंत्रों पर टीएम मॉडल के विस्तार की संभावना तलाशनी चाहिए।

पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तथा नैतिक रूप से श्रेष्ठ विधियां

- श्रेष्ठ विनिर्माण विधियों (जीएनपी) और श्रेष्ठ स्वच्छता संबंधी उपायों (जीएचपी) द्वारा श्रेष्ठ कृषि विधियों (जीएपी) तथा मिलीकरण को अपनाकर खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- ग्राहकों की पसंद से संबंधित अध्ययनों तथा फसलें उगाने/किस्मों तथा गुणवत्ता संबंधी प्राचलों पर अनुसंधान एवं विकास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शैक्षिणिक तथा अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- स्टॉक की सीमा निश्चित करके आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में अस्थिरता आती है तथा असंगठित व्यापार में गलत विधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए किसानों और उपभोक्ताओं के दीर्घावधि हित में इससे बचा जाना चाहिए।

5.2.3 भौतिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं

- सूचना की असमानता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए (*किसानों के पास उनके उत्पाद की गुणवत्ता, श्रेणी और शुद्धता का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें काफी हानि होती है*) उत्पाद की सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण और गुणवत्ता संबंधी विशेष चिह्न सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुधारा जाना चाहिए। गेहूं,

चावल/बासमती चावल, दलहनों, तिलहनों और ग्वार गोंद के बारे में ऐसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास की अधिक आवश्यकता है।

- उपज की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा निधानी आयु को सुधारने के लिए वैज्ञानिक, भंडारागार की अवसंरचना के विकास को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- वांछित प्रोत्साहन संबंधी उपायों से युक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) में सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।
- इसकी शुरूआत के लिए सरकार को चावल के लिए करनाल में, गेहूं के लिए सिरसा में, सरसों के लिए भिवानी में, ग्वार गोंद के लिए हिसार में, चने के लिए फतेहाबाद में और दूध के लिए जींद में आवश्यक सामान्य सुविधाएं विकसित की करनी चाहिए।
- सामान्य सुविधाएं विकसित करने के दो संभावित मॉडल हैं, पहला विद्यमान मंडियों में सामान्य सुविधाएं विकसित करके किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायता दी जा सकती है।
- विकल्प के तौर पर हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी आईएमटी) के पैटर्न पर औद्योगिक प्लाटों, बिजली शक्ति, औद्योगिक जल, कचरा निपटान प्रणाली और सामान्य सुविधाओं सहित कृषि उद्योगों के लिए कृषि–उद्योग क्लस्टर विकसित किए जाने चाहिए।
- कृषि उद्योग क्लस्टरों का लाभ यह है कि किसान अपनी फसलों की सफाई, छंटाई और श्रेणीकरण व गुणवत्ता संबंधी चिह्न प्राप्त करने का कार्य आसानी से कम सकेंगे और अपनी उपज आस–पास के क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिक को बेच सकेंगे।
- उच्च उद्योग क्लस्टरों को प्रमुख उपज के उपोत्पादों के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए अन्य उद्योगों के उभरने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- चावल के उपोत्पादों जैसे चावल के चोकर और चावल की भूसी का उपयोग करके चावल के कारखानों के निकट क्लस्टर विकसित करके चावल की भूसी के तेल की इकाइयों तथा पेपर बोर्ड बनाने वाली इकाइयों का भी विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार, चावल के तत्काल खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के विनिर्माण के लिए चावल कारखानो के निकट औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इसलिए चावल औद्योगिक क्लस्टर को संकल्पना तैयार करके और विकसित करते समय इन सभी संभावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।
- गेहूं आटा चक्कियों के मामले में भी ऐसा होना चाहिए (ब्रेड, बन, रस, नूडुल, पास्ता, बिस्कुट जैसे गेहूं के आटे पर आधारित उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयां)
- खाद्य तेलों को और अधिक परिशोधित किया जा सकता है तथा इनसे फोर्टिफाइड तेल की खली आदि तैयार किए जा सकते हैं।
- दुग्ध संयंत्र क्रीम, सुवासित दूध, मिठाइयों सहित दुग्धोत्पाद आदि विनिर्मित करने में उद्योगों की सहायता कर सकते हैं।
- दालों के उपोत्पाद से पालतू पशुओं के आहार और जल–जंतु पालन आदि सहित दालों के चूर्ण के आहार उत्पाद बनाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- वास्तव में, मूल्यवर्धित उत्पादों और उपोत्पादों के ईष्टतम उपयोग से कृषि उद्योगों के लाभ को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए तरल दूध से होने वाला लाभ 4–5% है, जबकि प्रसंस्कृत उत्पदों से होने वाला लाभ 12–18% है। इसलिए किसानों को विनिर्माणकर्ता (उदाहरण के लिए अमुल) से जोड़ा जा सकता है जिससे पूरा परिदृश्य ही पूरी तरह बदल सकत है।
- मुख्य उत्पादों, उपोत्पादों और यहां तक कि व्यर्थ सामग्री से उपयुक्ततम मूल्य प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प किसी विशेष कृषि उपज के लिए निर्धारित कृषि–औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना है।

5.2.4 सहायी सुविधाओं का विकास

- वर्तमान में हरियाणा में बैंक और वित्तीय संस्थाएं कृषि उद्योगों के लिए बहुत अधिक सहायी नहीं हैं। एचएफसी ने कार्य करना लगभग बंद कर दिया है। राज्य की सहकारी वित्तीय संस्थाओं की हालत बहुत खराब है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि 500 करोड़ रुपये की निजी इक्विटी धनराशि उपलब्ध कराई जाए (हरियाणा सरकार इसमें 100 करोड़ रुपये का योगदान कर सकती है और शेष की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं व निजी इक्विटी पक्ष कर सकते हैं)। इस धनराशि की व्यवस्था स्वतंत्र व्यावसायिक निधि प्रबंधकों द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कृषि उद्योगों को वित्त संबंधी सहायता प्रदान की जा सके और कृषि इकाइयों में प्रगत प्रौद्योगिकी और व्यावसायिकता का संचार हो सके।

  वास्तव में, राज्य की कुछ अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने वाली कृषि इकाइयों पर निजी इक्विटी की नजर है। स्थानीय डेयरी क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी का एक निवेश हो भी चुका है और यह आशा है कि सही प्रकार की नीतिगत सहायता और स्थानीय पहलों से अन्य क्षेत्रों में यह प्रक्रिया तेजी से लागू होगी।

5.2.5 कृषि उद्योगों के लिए परामर्श सेवाओं का विकास

- हरियाणा में स्थानीय स्तर पर सहायी पारिस्थितिक प्रणाली जैसे कार्यनीतिपरक परामर्श सेवाओं, विपणन तथा ब्राण्ड प्रबंधन परामर्श, जोखिम प्रबंधन, अधिक कारगर खरीद और वस्तु–सूची प्रबंधन आदि विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से यह सिफारिश की जाती है कि सनदी लेखाकारों, अन्य लेखाकरों, सेवानिवृत्त बैंक के व्यवसायविदों और व्यावसायिक स्तर पर अन्य योग्य/अनुभवी व्यवसायविदों को प्रमुख कृषि उद्योग स्थानों जैसे पानीपत, करनाल, कैथल, हिसार, रेवाड़ी और भिवानी आदि में अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- व्यवसायविदों को मांग विश्लेषण, विषय सूची प्रबंधन, खरीद प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण/वेयरहाउसिंग, नवोन्मेषी निधि संबंधी विकल्पों जिनमें स्थानीय स्तर पर निजी इक्विटी की व्यवस्था, गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसे पहलू शामिल हैं, इन सब क्षेत्रों में विशेषज्ञतापूर्ण निपुणता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यह रूचिकर हैं कि उद्यमियों को उनकी गुणवत्ता सुधारने, श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी की लागत कम करने और उनके व्यापार में प्रबंधन प्रणालियों को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु विपणन आर्थिकी के दर्शन को अपनाना चाहिए। दुर्भाग्य से नीति–निर्माताओं की सोच, विशेषकर स्थानीय उद्यमियों के मामले में एक प्रकार से निरुत्साहित करने का कार्य करती है तथा यदि गहन प्रतिस्पर्धा का दबाव आ जाए तो उद्यमी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
- इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि नीति–निर्माताओं और उद्यमियों को क्रियाशील और व्यावसायिक ढंग से प्रतिस्पर्धा का सामना करने और उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की संभावना तलाश करने के लिए विधियों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय तथा व्यापार के शिक्षा देने वाले विद्यालयों को सौंपा जा सकता है। हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से नीति–निर्माताओं तथा उद्यमियों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि–व्यापार केन्द्र की शुरूआत करने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार के केन्द्र हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग की उदार वित्तीय सहायता से एम.एच.यू., जीजेयू, केयूके और एमडीयू में भी खोले जा सकते हैं।
- सरकार इस संबंध में वांछित जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित प्रबंधन/प्रौद्योगिकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रबंधन विकास कार्यक्रम की शुरूआत कर सकती है।

5.2.6 दालों, ग्वार बीज, सरसों और दूध के लिए क्षेत्रीय विकास योजना

- दूध, तिलहन, दलहन और ग्वार बीज, शुष्क/अर्ध शुष्क क्षेत्रों में छोटे/सीमांत किसानों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं।
- हरियाणा में इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा (सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी) अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं और यहां बड़ी मात्रा में तिलहनों, दालों, ग्वार बीज और दूध का उत्पादन होता है।

- राज्य के इस भाग में इन फसलों के प्रसंस्करण की अनेक इकाइयां कार्य कर रही हैं। तथापि, इन इकाइयों ने अपने कार्यों का उन्नयन या आधुनिकीकरण नहीं किया है और इसलिए पूरे दक्षिण–पश्चिम हरियाणा में उद्योगीकरण काफी पिछड़ा हुआ है।

इसलिए सिफारिश की जाती है कि हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग/हरियाणा सरकार, तिलहनों, दलहनों, ग्वार बीज की खेती और दूध के उत्पादन के क्षेत्रीय विकास के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करे जिसके अंतर्गत वांछित भौतिक बुनियादी ढांचा, कृषि औद्योगिक क्लस्टर, परीक्षण प्रयोगशालाओं, बिजली की प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्धता, औद्योगिक उपयोगों के लिए जल, स्थानीय कृषि इकाइयों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता सहित सहायी पारिस्थितिक प्रणाली विकसित करने पर बल देते हुए दीर्घावधि क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करनी चाहिए। कार्यनीतिपरक परामर्श सेवाओं, विपणन तथा ब्राण्ड प्रबंधन परामर्शों, जोखिम प्रबंधन और अधिक कारगर खरीद एवं वस्तु सूची प्रबंधन को दक्षिण–पश्चिमी हरियाणा में समन्वित विधि से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में उद्योगीकरण किया जा सके। कल्पनाशील नियोजन से हरियाणा का सम्पूर्ण दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र सरसों, ग्वार के गोंद, दलहनों और दूध की प्रसंस्करण इकाइयों का एक बड़ा केन्द्र बन सकता है और सम्पूर्ण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला का विकास हो सकता है।

5.2.7 सरसों के तेल पर विशेष ध्यान देना

जैसी की चर्चा की जा चुकी है, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा सरसों के तेल के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल क्षेत्र है। तथापि, हाल के वर्षों में सरसों के तेल का मिलीकरण करनी वाली इकाइयों को मांग में कमी और लाभप्रदता में गिरावट का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। सरसों के तेल की मांग में परिवर्तन संरचनात्मक है और अब निर्धन व्यक्ति के खाद्य तेल के रूप में सरसों का स्थान नए और सस्ते तेलों ने ले लिया है।

- इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि बासमती चावल की तरह हरियाणा में सरसों के तेल को भी गुणवत्तापूर्ण स्थानिक उत्पाद का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसका तद्नुसार विपणन किया जाना चाहिए।
- इस उद्देश्य से सरकार तथा उद्योग के अन्य हितधारकों को मिल–जुलकर प्रयास करना चाहिए।
- सरकार को राज्य में प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा कृषि उद्योगों से जुड़ी अन्य सेवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के सहयोग से उदार घटक के रूप में अनुदान सहित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था करे ।
- उचित स्तर पर दिया गया अनुदान स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कुछ उद्योगों के प्रभाव को अधिक मूल्यवान और लाभदायक बना सकता है।

एकत्र की गई सूचना की विस्तृत जांच और हितधारकों से हुई गहन चर्चा के आधार पर कार्य दल का यह ठोस विश्वास है कि राज्य में कृषि उद्योग ग्रामीण उद्योगीकरण और विकास का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्तमान में, कृषि उद्योगों की दशा के लिए कुछ नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, ताकि इस स्थिति में सुधार हो सके और इस क्षमता का अभी तक जो उपयोग नहीं हो पाया है, उसका उपयोग किया जा सके। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से राज्य में कृषि उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चहुमुखी समृद्धि लाने में सहायता मिलने की अपेक्षा की जा सकती है।

5.2.8 प्रमुख सिफारिशें

- ✓ हरियाणा सरकार ने कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य को निविदा मूल्य के साथ जोड़ दिया है। यह निविदा खेती के उद्देश्य से अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि दोनों संबंधित पक्षों के बीच किसी जिंस का मूल्य मिलकर तय करने से यह हो सकता है कि उत्पादक या किसानों को प्राप्त होने वाला मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो।
- ✓ इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा हरियाणा संविदा खेती नियमावली, 2007 में नियमों को लागू करने के लिए बाजार समिति की भूमिका को केन्द्रीय बना दिया है । ये नियम प्रतिबंधकारी प्रतीत होते हैं इसलिए इन्हें उदार किया जाना चाहिए। वर्तमान में संविदा खेती के प्रतिबंधकारी नियमों से संविदा खेती हतोत्साहित हुई है और विद्यमान नियमों की आवश्यकता के अनुसार अपनी गतिविधियां नहीं चला पा रही है।

- ✓ इसी प्रकार, कृषि उद्योगों को भी अपनी आवश्यकता की फसलें उत्पन्न करने के लिए किसानों से सीधे पट्टे पर जमीन लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे कृषि उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उत्पन्न करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलेगी। साथ ही किसान भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका अधिक किराया लेकर लाभ उठा सकते हैं।
- ✓ हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के लाभ वर्तमान में चावल मिलीकरण, गेहूं आटा मिलीकरण, दाल मिलीकरण, खाद्य तिलहन मिलीकरण और ग्वार गोंद मिलीकरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें इन उद्योगों को भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ✓ यह सुझाव दिया जाता है कि हरियाणा सरकार को विशेष रूप से चावल कारखानों, गेहूं आटा, ग्वार गोंद, तेल कारखानों, दाल कारखानों तथा दुग्ध संयंत्रों को टीएम मॉडल उपलब्ध कराने की संभावना तलाशनी चाहिए।
- ✓ सरकार को करनाल में चावल के लिए, सिरसों में गेहूं के लिए, भिवानी में सरसों के लिए, हिसार में ग्वार गोंद के लिए, फतेहाबाद में (बंगाल) चने के लिए और जींद में दूध के लिए आवश्यक सामान्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। विकल्प के रूप में कृषि उद्योगों के लिए भी कृषि उद्योग क्लस्टर एचएसआईआईडीसी आईएमटी के पैटर्न पर विकसित किए जाने चाहिए और इनमें औद्योगिक प्लॉट, बिजली शक्ति, औद्योगिक जल, कचरा निपटान प्रणाली तथा सामान्य सुविधाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ✓ कुल 500 करोड़ रुपये की निजी सहायता इक्विटी सृजित की जानी चाहिए (इसमें हरियाणा सरकार 100 करोड़ रुपये का योगदान कर सकती है और शेष राशि की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं व निजी इक्विटी पक्षों द्वारा की जा सकती है)। कृषि उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने और इसके साथ ही कृषि इकाइयों में व्यावसायिकता और प्रगत संचार करने के लिए स्वतंत्र व्यावसायिक निधि प्रबंधकों द्वारा इस धनराशि का प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- ✓ सहायी पारिस्थितिक प्रणाली जैसे कार्यनीति परक परामर्श सेवाओं, विपणन तथा ब्राण्ड प्रबंधन संबंधी परामर्श, जोखिम प्रबंधन, अधिक कारगर खरीद और विषय वस्तुसूची प्रबंधन आदि की सहायता के लिए हरियाणा में स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उपाय विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य से यह सिफारिश की जाती है कि सनदी लेखाकारों, लेखाकारों, सेवानिवृत्त बैंक व्यवसायविदों तथा अन्य व्यावसायिक रूप से योग्य/अनुभवी व्यवसायविदों को राज्य के प्रमुख कृषि उद्योग वाले स्थानों जैसे पानीपत, करनाल, कैथल, हिसार, रेवाड़ी और भिवानी आदि में अपनी परामर्श सेवाओं के केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ✓ चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि–व्यापार केन्द्र की शुरूआत करने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार के केन्द्र हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग की उदार वित्तीय सहायता से एम.एच.यू., जीजेयू, केयूके और एमडीयू में भी खोले जा सकते हैं।
- ✓ सरकार को राज्य के प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा अन्य सहायी सेवाओं के लिए वित्तीय संस्थानों के सहयोग से अनुदान के उदार घटक सहित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए।

हरियाणा किसान एव कृषि लागत व मूल्य आयोग मे कार्यदल के सदस्य

आयोजित बैठकों/प्रक्षेत्र दौरों का विवरण

क्र. सं.	तिथि	बैठक का स्थान	टिप्पणी
1.	26 जुलाई 2018	आयोग का कार्यालय, अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला	कार्य प्रणाली तथा उत्तरदायित्वों के वितरण पर चर्चा करने के लिए परिचयात्मक बैठक
2.	23–24 अगस्त 2018	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	उद्योगों के लिए प्रश्नावली तैयार करने हेतु उप समिति की बैठक
3.	3 सितम्बर 2018	सम्मेलन कक्ष, येदविन्द्र गार्डंस, अम्बाला–शिमला उच्च मार्ग, पिंजौर, हरियाणा	उप समिति द्वारा विकसित की जा रही प्रश्नावली पर चर्चा
4.	26 अक्तूबर 2018	सीसीएसएचएयू, हिसार का संकाय सदन	हिसार तथा आस–पास के क्षेत्रों के उद्योगपतियों के साथ विचार मंथन सत्र
5.	15 नवम्बर 2018	आयोग का कार्यालय, अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला	कार्य दल की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक
6.	24 दिसम्बर 2018	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	एकत्र की गई सूचना के विश्लेषणात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए उप समिति की बैठक
7.	15 जनवरी 2019	किसान भवन, सैक्टर–14, पंचकुला, हरियाणा	हरियाणा में कृषि आधारित उद्योगों की जमीनी स्तर की समस्याओं के अध्ययन के लिए उद्योगपतियों के साथ परिचर्चा बैठक
8.	11 मार्च 2019	किसान भवन, सैक्टर–14, पंचकुला, हरियाणा	कार्य दल की रिपोर्ट के मसौदे की प्रस्तुती और उसे अंतिम रूप देना

क्र. सं.	तिथि	प्रक्षेत्र दौरे	टिप्पणी
1.	21 और 22 सितम्बर 2018	सोनीपत, राई और दिल्ली का प्रक्षेत्र भ्रमण	कृषि उद्योगों के संबंध में कारखाना मालिकों के साथ पारस्परिक चर्चा
2.	4 से 6 नवम्बर 2018	कैथल और कुरूक्षेत्र का प्रक्षेत्र दौरा	कृषि उद्योगों (तेल, चावल और आटा कारखाना स्वामियों) से आंकड़ों के संकलन के लिए
3.	14 से 16 दिसम्बर 2018	भिवानी, चरखी दादरी, सिवानी, महेन्द्रगढ़ और नरनौल का प्रक्षेत्र दौरा	कृषि उद्योगों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए

कार्यदल के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में

डॉ. एन. के. बिश्नोई
(अध्यक्ष)

डॉ. एन.के. बिश्नोई, एमए (अर्थशास्त्र) और उद्यम पूंजी पर पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त हैं जिन्हें 27 वर्ष का शिक्षण संबंधी अनुभव है। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, कार्यनीतिपरक प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन है। उनके प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 60 से अधिक अनुसंधान पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें संकाय के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष सहित अनेक पदों का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। उनके पास विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निजी सहायता प्राप्त एक दर्जन से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं हैं। प्रो. बिश्नोई ने हरियाणा सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा के विभिन्न राज्य वित्त आयोगों तथा अन्य कारपोरेट में अनेक व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का वहन किया है। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों की विभिन्न शैक्षणिक निकायों के सदस्य भी रह चुके हैं।

डॉ. मीना शर्मा
(सदस्य)

विश्वविद्यालय व्यापार विद्यालय में प्राध्यापक और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के केन्द्रीय प्लेसमेंट पोस्ट की मानद निदेशक डॉ. मीना शर्मा को 29 वर्ष से अधिक का शिक्षण/अनुसंधान का अनुभव है। उनके रूचि के कार्यों में शामिल हैं: एमएसएमई के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे और चुनौतियां, छोटे और मध्यम उद्यमियों की सफलता के कारक, भारतीय अर्थव्यवस्था के सम–सामयिक मुद्दे, सामाजिक और नैतिक मुद्दे, कारपोरेट पुनर्संरचना और वित्तीय रिपोर्टिंग, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का प्रबंधन और इंटेंजेबल का मूल्य वर्धन। उन्हें विभिन्न पत्रिकाओं में 52 से अधिक अनुसंधान पत्रों के प्रकाशित होने का श्रेय है तथा उन्होंने 60 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रमों, अभिमुखन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की निधि सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजना भी चलाई है। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों की निर्णय लेने वाली निकायों की सदस्य हैं तथा स्वतंत्र–अकार्यपालक निदेशक के तौर पर सार्वजनिक लिमिटेड मंडलों की भी सदस्य हैं। साथ ही आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं।

डॉ. रोहतास
(सदस्य)

डॉ. रोहतास 3 दिसम्बर 2007 से चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें 10 वर्ष से अधिक अवधि का शिक्षण संबंधी अनुभव है। इन्होंने 'हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से लाभार्थियों की वृद्धि और आर्थिक निष्पादन विषय पर अपनी पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की है। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं: कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास और मात्रात्मक तकनीकें। उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकों और पत्रिकाओं में 15 अनुसंधान पत्र प्रकाशित करने और 3 अध्यायों का योगदान करने का गौरव प्राप्त है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेकर अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन्हें इंडिया इंटरनेशनल फ्रैंडशिप सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा 'भारत ज्योति पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है।

श्री पवन कुमार बंसल (सदस्य)

श्री पवन कुमार बंसल ने आंध्रा बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में 1979 में कार्य शुरू किया और वहां 4 वर्षों अर्थात जून 1983 तक कार्यरत रहे। उन्होंने जून 1983 में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग में उप निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और महा प्रबंधक (संयुक्त निदेशक), डीआईसी के रूप में हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर कार्य किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के उद्योगों के प्रवर्धन और विकास से संबंधित कार्यों की देखभाल की। उन्होंने कृषि उत्पादों और कृषि उपकरणों तथा उनके डाउन स्ट्रीम उद्योगों, कपड़ा, अभियांत्रिकी, रासायनिक उत्पाद, उपभोग योग्य सामग्री तथा अन्य संबंधित कृषि उत्पादों व कृषि उपकरणों सहित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का गहराई से अध्ययन किया है। आप हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग के अपर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

श्री ज्ञान सिंह कम्बोज़ (सदस्य)

श्री ज्ञान सिंह कम्बोज ने वित्त विभाग (ईआरएएमयू) में आरओ, एसआरओ और संयुक्त निदेशक के रूप में 32 वर्षों तक कार्य किया है। यहां इन्होंने वित्तीय प्रशासन, संसाधन नियोजन, व्यय नियंत्रण, योजना वित्त बजट तैयार करने, परियोजनाएं बनाने, वित्तीय संबंधों आदि जैसे विषयों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया है। इन्होंने 11 वर्षों तक इसी विभाग में परामर्शक/परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया है। वित्तीय भौतिक प्रशासन के कार्यनीतिपरक परक पहलुओं पर लगभग 44 वर्षों तक प्रत्यक्ष रूप से उनकी लंबी सम्बद्धता से उन्हें वित्तीय मामलों जैसे वित्तीय प्रशासन, संसाधन नियोजन, व्यय नियंत्रण, वित्तीय नियोजन, बजट बनाने, योजना तैयारक करने, वित्तीय संबंधों और संघीय हस्तांतरण आदि जैसे विषयों के सभी पहलुओं पर व्यापक और विषद अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है।

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग
अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला–134116
हरियाणा सरकार
दूरभाषः 01722551764, फैक्सः 01722551864
ईमेल–आईडीः haryanakisanayog@gmail.com
Website: www.haryanakisanayog.org